खण्ड-207, अंक-1
सोमवार, 9 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(31 अगस्त, 1959 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 207 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३१ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३६५

अक्षयवर्सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ , श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फर्तासिंह श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह,, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़यूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चितरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनाराणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदायल शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री

प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन ,श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवन्द्रदत्त दुब, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुराज सिंह चौधरी,
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन , श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह , श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह, चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री

वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वरी नक्वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण, शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्री निवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती

सियावुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३१ अगस्त, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

न्यायालयों में भ्रष्टाचार के कारणों की जांच के लिये समिति

१—श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने अदालतों में फैले भ्रष्टाचार के कारणों की जांच करने के लिये कोई कमेटी नियुक्त की थी? यदि हां, तो कब, किसकी अध्यक्षता में और कौन-कौन महानुभाव उसके सदस्य थे?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हां, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में भ्रष्टाचार के कारणों की जांच करने के लिये मार्च, १९५९ में निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की है :—

अध्यक्ष—न्यायाधिपति श्री जी० मुकर्जी, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

सदस्य—

१—श्री के० एल० मिश्र, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
२—श्री एस० एन० काटजू, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
३—श्री गोविन्द सहाय, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
४—कुंवर श्रीपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
५—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, वाराणसी।
६—श्री टी० एन० कोल, अधिवक्ता, बहराइच।
७—श्री जे० डी० शर्मा, जिला न्यायाधीश, लखनऊ।
८—श्री महेश चन्द्र, जिला न्यायाधीश, आगरा।
९—श्री शिव राम सिंह, सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
१०—श्री ज्ञान प्रकाश ज़िलाधीश, कानपुर।
११—श्री एस० सी० कुंवर, अधिवक्ता, प्रेसीडेन्ट, उत्तर प्रदेश लायर्स कान्फ्रेन्स, देहरादून।

[श्री बल्देवसिंह आर्य]

१२—श्री डी० सी० कुकरेती, अधिवक्ता, सेक्रेटरी, उत्तर प्रदेश लायर्स कान्फ्रेन्स, देहरादून।

१३—सदस्य/सचिव न्याय सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, अथवा उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार।

२—श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त कमेटी की रिपोर्ट उसके पास आ गई है? यदि हां, तो कब तथा क्या वह उसको सदन की मेज पर रखने के साथ-साथ उसका संक्षिप्त विवरण बतलाने की कृपा करेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं। उपरोक्त कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कमेटी की अभी तक कितनी सिटिंग हुई हैं?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—कई हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त ठीक तादाद बताना मुश्किल है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कमेटी की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है या अभी जारी है?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जारी है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं?

श्री अध्यक्ष—भ्रष्टाचार के कारणों की जांच करने की बात तो इसमें लिखी हुई है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट करने के लिये कितनी अवधि दी गई है?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—कोई टाइम लिमिट फिक्स्ड नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी की रिपोर्ट पेश होने से पहले जुडिशियल स्टैंडिंग कमेटी को भी उस रिपोर्ट को समझने का मौका दिया जायगा?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—रिपोर्ट तैयार वह करेंगे और जब तैयार होकर आयेगी तभी तो जुडिशियल कमेटी के सामने रख सकते हैं उसके पहले कैसे रख देंगे।

बलिया जिला सहकारी बैंक की वार्षिक साधारण सभा का स्थगन

३—श्री शिवमंगलसिंह** (जिला बलिया)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बलिया जिला सहकारी बैंक की वार्षिक साधारण सभा सन् १९५७-५८ रजिस्ट्रार सहकारी विभाग के आदेशानुसार रोक दी गई? यदि हां, तो इसका क्या कारण था?

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—जी हां। डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, वाराणसी, के आदेशानुसार बलिया जिला सहकारी बैंक की वार्षिक साधारण सभा सन् १९५७-५८ को स्थगित कर दिया गया है। इसका कारण यह था कि उक्त सभा के सम्बन्ध में कुछ अनियमिततायें थीं जिनको सभा करने के पूर्व दूर करना जरूरी था।

श्री शिवमंगलसिंह---क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चुनाव स्थगित करने के मुख्य कारण क्या थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---रजिस्ट्रार महोदय के पास और डी० एम० के पास लोगों ने एफीडेविट दी थी कि अनधिकृत रिप्रेजेन्टेटिव उस सभा में भाग ले रहे थे, बहुत से वर्तमान डाइरेक्टर्स पर बकाया है, वे डिफाल्टर्स हैं।

श्री शिवमंगलसिंह---बलिया की वार्षिक सभा जो ४ अगस्त को होने वाली थी रजिस्ट्रार के आदेशानुसार ३ तारीख की शाम को रोक दी गई टेलीफोन द्वारा, और क्या रोकने का कारण यह था कि ५७-५८ में कोई वार्षिक सभा नहीं हुई थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---इसमें सच्चाई है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि यह साधारण बैठक दूसरी बार टाली गई और पहली शिकायतों को हटाने के लिये डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय बलिया गये जिन्होंने सारी शिकायतों को हटाया, लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले इलेक्शन टाल दिया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---४८ घंटे पेश्तर नियमित रूप से जो सूची टांगी जाने वाली थी उसके बारे में कुछ लोगों ने एफ़ीडेविट डी० एम० को दी कि वह नहीं किया गया, तब डिप्टी रजिस्ट्रार से सलाह-मशविरा करके स्थगित किया गया।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या यह सच नहीं है कि सहकारी विभाग और डाइरेक्टर्स बोर्ड में नाइत्तिफ़ाक़ी थी, इसलिये चुनाव रोके गये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---यह सही नहीं है।

श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि २-८-५९ को एडीशनल कोआपरेटिव अफसर ने डिप्टी रजिस्ट्रार को, जो वहीं थे, कहा कि सदस्यों की सूची समय के अन्दर नहीं टंगी है, इसलिये ४ तारीख के पहले चुनाव स्थगित कर दिये जायं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---जब १९५७-५८ के चुनाव ड्यू थे तो १९५८-५९ के चुनाव के लिये स्थगित क्यों किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जिससे नियमित रूप से सारे ड्यू चुनाव एक साथ हो सकें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---सरकार ने जो आदेश भेजे हैं कि जहां झगड़ा है वे सभी चुनाव रोक दिये जावें, इस प्रकार प्रदेश भर में कितने चुनाव स्थगित हुये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---सूचना की आवश्यकता है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---५७-५८ के चुनाव स्थगित हो जाने के बाद ५८-५९ में चुनाव कराये गये या नहीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी नहीं, जल्दी कराने के लिये आदेश जारी हो गये हैं।

श्री शिवमंगलसिंह---रजिस्ट्रार अथवा सरकार को बैंक की साधारण सभाओं में हस्तक्षेप करने का अधिकार बाई-लाज़ या ऐक्ट की किस धारा के अनुसार है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---माननीय सदस्य स्वयं मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं और जानते होंगे अथवा रजिस्ट्रार ज्यादा जानकारी रखते होंगे, मुझे तो मालूम नहीं है।

श्री शिवमंगलसिंह---मंत्री जी बतला दें तो बड़ी कृपा होगी।

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—इन संस्थाओं के सही तरीके से चुनाव कराना रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है। जब उनके सामने गड़बड़ी आती है तो या तो वे चुनाव होने दें और अपने आप को हैल्पलैस पावें या उन्हें स्थगित कर के शिकायतों को दूर करके चुनाव होने दें। उनको चुनाव स्थगित करने का, संस्थाओं को सुपरसीड करने का, एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का सभी अधिकार है।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी को स्मरण है कि रजिस्ट्रार की मर्जी के खिलाफ़ भी उन्होंने रजिस्ट्रार के ऊपर दबाव डाला है कि चुनाव रोके जावें ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न स्पष्ट नहीं है कि किसने दबाव डाला।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—१९५७-५८ के चुनाव रोक दिये गये, १९५८-५९ के नहीं हुये, अब १९५९-६० है, तो अब चुनाव कौन से वर्ष का होगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसमें बड़ी गड़बड़ी चल रही है। इन संस्थाओं के एनुअल जनरल मीटिंग के लिये जरूरी है कि उस की आडिट रिपोर्ट भी सामने हो। मजे की बात यह है कि डिफ़ाल्टर्स अपनी जिन्दगी को लम्बी करते चले जाते हैं। अगर कोई संस्था अपने एकाउन्ट्स आडिट न करावे और वे एकाउन्ट्स सामने न हों तो सालाना मीटिंग नहीं हो सकती और इसलिये इलेक्शन नहीं हो सकता। इसका नतीजा यह होता है कि उनकी जिन्दगी लम्बी होती चली जाती है। इसलिये अगले नये बिल में यह रखने की बात है कि ३६५ दिन के बाद डाइरेक्टर्स की जिन्दगी खत्म हो जावे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार की यह घोषित नीति है कि सहकारी आन्दोलन को सफल और लोकप्रिय बनाने के लिये उसमें सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप कम से कम किया जाय, इस विशेष विधेयक को लाने से पहले सरकार इस बात के आदेश निकालेगी कि जो अधिकार इस समय उन्हें कानून से मिले हुये हैं उनका भी कम से कम प्रयोग किया जाय और दुरुपयोग बिल्कुल न किया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम—अगर पालीवाल जी का मतलब सभी चीजों से है तो उत्तर देना मुश्किल है। लेकिन सिर्फ इलेक्शन से है तो उसके लिये तो हम ऐसी मशीनरी बनाने की सोच रहे हैं कि जो ठीक से इलेक्शन करावे। जैसे असेम्बली है, उसे पूर्ण अधिकार हैं लेकिन अपना इलेक्शन वह नहीं करा सकती है, इलेक्शन कमिश्नर कराता है। मेरे खयाल में यह पालीवाल जी की नीयत नहीं होगी कि वह बाडी अपने इलेक्शन करा सकें।

आजमगढ़ जिले में लेखपालों को महंगाई भत्ता न मिलने की शिकायत

**४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपालों को मंहगाई भत्ता न मिलने का शिकायती-पत्र १३-८-५९ को प्रश्न-कर्त्ता द्वारा भेजा हुआ उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—जी हां, प्राप्त हो गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधीश आजमगढ़ से पूछ ताछ की गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—जो सूचना दी गयी है वह जिलाधीश को कब दी गई और उनसे उत्तर कब तक चाहा है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—२८ अगस्त को उनको पत्र लिखा गया है और ५ सितम्बर तक उत्तर मांगा गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि आजमगढ़, मैनपुरी और देवरिया जिलों में लेखपालों को यह ढाई रुपया नहीं मिला है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---११ जून को आदेश राजस्व परिषद् के पास भेजा गया और १४ जुलाई को उसने जिलाधीशों के पास भेजा है। इतने सारे लेखपालों के बिल बनाने में समय जरूर लगेगा।

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में श्री जगदीश पाठक की भूख हड़ताल

**५---आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय कारागार वाराणसी में आर० एस० पी० के कार्यकर्ता श्री जगदीश पाठक ने ११ अगस्त से भूख हड़ताल कर रखी है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---जी हां।

**६---आचार्य दीपंकर---यदि हां, तो क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---क्योंकि उनको जेल में उच्च श्रेणी (सुपीरियर क्लास) की सुविधायें नहीं दी गई हैं।

आचार्य दीपंकर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जगदीश पाठक ने पहले इसी मांग को लेकर भूख हड़ताल की और सरकार क आश्वासन पर उन्होंने उसको तोड़ दिया था?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---पहले भी उन्होंने भूख हड़ताल की थी, लेकिन सरकार ने उनको कभी ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि उनको सुपीरियर क्लास वे दी जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह भूख हड़ताल क्या अभी तक जारी है और भूखहड़तालो की हालत क्या है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---भूख हड़तालो की हालत ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। भूख हड़ताल उस वक्त तक जारी थी, जब तक कि हमें सूचना मिली थी।

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि इससे पहले भी कारागार में भूख हड़ताल उन्होंने की थी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---एक बार २८-११-५८ को और दूसरी बार ९-२-५९ को भी उन्होंने भूख हड़ताल की।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि २८-११-५८ को उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी उस वक्त यहां विरोधी पार्टियों के जो भी नेतागण हैं, वे उनसे मिलने गये थे और उनसे भूख हड़ताल तोड़ने के लिये कहा था और सरकार ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया था कि अगर वे भूख हड़ताल तोड़ दें तो उनके मामले पर विचार किया जायगा?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---विरोधी दलों के नेताओं के बारे में तो मुझको मालूम नहीं कि उनके बीच क्या बातें हुईं। २८-११-५८ की भूख हड़ताल उन्होंने इस वजह से तोड़ दी क्योंकि वह १५ दिन इंतजार करना चाहते थे कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या आज्ञा देती है। उसके बाद सरकार के आदेश हो गये कि उनको सुपीरियर क्लास नहीं दी जा सकती।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि जब तक कि हमारे पास सूचना है, उस समय तक भूख हड़ताल जारी थी तो क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि उनको यह सूचना किस दिनांक की है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत आया था, उस दिन तक की सूचना है।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि श्री जगदीश पाठक को सुपीरियर क्लास देने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उनका अपराध काफी गंभीर है। धारा ११५ के मातहत उनको कारावास हुआ है। गोरखपुर के एक ग्राम की सभा में उन्होंने इस प्रकार का प्रचार कर के जनता को उत्तेजित किया कि पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दो। यह अपराध सरकार की दृष्टि में काफी गंभीर है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार की हैसियत सुपीरियर क्लास देने के लिये होनी चाहिये वह भी नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किसी कैदी को सुपीरियर क्लास दिलाने के लिये किस हैसियत की आवश्यकता होती है ? उसके लिये सरकार की क्या पालिसी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--- इसके लिये नियम हैं। आम तौर पर जो लोग अच्छे स्टेटस से रहने के आदी होते हैं, उनको सुपीरियर क्लास देने की व्यवस्था है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस न्यायालय ने इनको सजा दी क्या उसने उन्हें इस बात का दोषी पाया कि उन्होंने एक सभा में लोगों को पुलिस अधिकारियों की हत्या के लिये उकसाया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--- जी हां, यह सही है।

नगरपालिका यूनियन

****७---श्री प्रतापसिंह**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उत्तर प्रदेश नगरपालिका यूनियन सरकार की ओर से बनाने का प्रश्न उसके विचाराधीन है ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---जी हां।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस यूनियन को बनाने का फैसला कब किया और कब तक इस यूनियन को बनाया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा---इसका फैसला अप्रैल, १९५७ में किया गया, तभी नियम बन गया और फरवरी, १९५८ में सरकार की तरफ से अपील भी निकली कि नगरपालिकाएं इसमें शरीक हो जायं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सरकार के आदेश से प्रदेश भर की नगरपालिकाओं की यूनियन बन रही है वह किस उद्देश्य से बनायी जा रही है ?

श्री जयराम वर्मा---उसका उद्देश्य तो यह है कि वे नगरपालिकाओं के भीतर के शासन के सम्बन्ध में विचार कर सकें कभी-कभी उनका सम्मेलन हुआ करे और .....

श्री अध्यक्ष---पहले तो उनका कहना यह है कि सरकार की ओर से बन रही है इसे आप साफ कीजिये।

श्री जयराम वर्मा---नियम बनाना सरकार के हाथ में है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन सरकार की ओर से तो वह नहीं बन रही है न ?

श्री जयराम वर्मा---जी नहीं, सरकार ने नियम बनाया है।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन् व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न था कि क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उत्तर प्रदेश नगरपालिका यूनियन सरकार की ओर से बनाने का प्रश्न उसके विचाराधीन ह ? इसका उत्तर दिया गया "जी हां" और अब इस समय यह कहते हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न से उनकी समझ में बात आयी न होगी, वे समझे होंगे रूल के बारे में आप पूछ रहे हैं। सरकार मान्यता देती है नगरपालिकाओं को कि वे यूनियन बना सकते हैं, सरकार यूनियन नहीं बनाती। इस संबंध में मैंने उनके उत्तर को स्पष्ट करा दिया उनके उत्तर का यह मतलब नहीं होगा कि उन्होंने यूनियन बनवाई है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि सरकार ने नियम बनाये हैं और अपील भी की कि लोग उस यूनियन में शामिल हों, तो वे कृपा करके बतलायेंगे कि नियम बनाने के बाद उनकी अपील करने का क्या परिणाम हुआ, यूनियन बनी अभी तक कि नहीं बनी है ?

श्री जयराम वर्मा---नियम यह है कि आधी से ज्यादा नगरपालिकायें अगर शरीक हों, तो यूनियन बन सकती हैं लेकिन अभी तक सिर्फ १७ नगरपालिकाओं ने यूनियन में शरीक होना मंजूर किया है।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो नगरपालिका यूनियन बन रही है वह अपने भीतरी कार्यक्षेत्र में आटोनामस होगी या उस पर सरकार का आधिपत्य होगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---सरकार का कोई आधिपत्य नहीं होगा, सरकार सिर्फ इतना देखेगी कि नियम के मुताबिक वे काम कर रहे हैं।

श्री राजनारायण---सरकार ने नगरपालिका यूनियन बनने के नियम बनाये हैं, तो उसमें सफाई के मजदूर, नगरपालिकाओं के अध्यापक, उसके कर्मचारी और जितने चुने हुये मेम्बर रहेंगे, सभी रहेंगे या नहीं ? और यदि सभी रहेंगे तो कोई पदाधिकारी उसका बाहर का भी हो सकता है ?

श्री जयराम वर्मा---सिर्फ नगरपालिकाओं के प्रेसिडेंट्स जनरल कौंसिल के मेम्बर होंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यूनियन बनाने की मांग नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की ओर से आयी थी या सरकार ने इसकी प्रेरणा दी ?

श्री जयराम वर्मा---इसकी व्यवस्था ऐक्ट के अन्दर है, इसलिये सरकार ने नियम बनाये हैं और उनको मौका दिया कि वे नगरपालिकाएं जो उसमें शरीक होना चाहती हैं शरीक हो जायं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने जो नगरपालिका यूनियन बनाने के नियम बनाये हैं उससे हमारे प्रदेश की कुछ नगरपालिकाओं ने सहमति नहीं प्रकट की है और उन्होंने इन नियमों के अन्दर संशोधन भेजा है और इसीलिये अधिकांश नगरपालिकायें इसमें शामिल नहीं हो पायी हैं ?

श्री जयराम वर्मा---जी हां, कुछ ने अपनी ऐसी सहमति प्रकट की है कि वे इसमें शरीक होना नहीं चाहती हैं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इसको पुनः स्पष्ट करेगी कि जनरल कौंसिल के सदस्य कौन लोग होंगे ?

श्री जयराम वर्मा---नगरपालिकाओं के अध्यक्ष।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---असहमति प्रकट करने वाली जो नगरपालिकायें हैं उन्होंने क्या आपत्ति की है, किस बात की आपत्ति करके उन्होंने अपनी असहमति प्रकट की है ?

श्री जयराम वर्मा—अधिकांश ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ का कहना है कि इससे कोई लाभ न होगा और बेकार का खर्च होगा।

देवरिया नगरपालिका के सदस्य श्री तिलकसिंह का अनशन

**८—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया नगरपालिका के सदस्य श्री तिलक सिंह सर्वहारा कतिपय मांगों को लेकर नगरपालिका के विरुद्ध आमरण अनशन गत २०-८-५९ से कर रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्री तिलक सिंह ने २०-८-५९ की सुबह से अपना अनशन नगरपालिका कार्यालय के सामने प्रारम्भ किया था जिसे २३-८-५९ की सुबह समाप्त कर दिया।

अंगनू की हत्या के आरोप में मड़ियांव थाने के कुछ पुलिस कर्मचारियों की मुअत्तली

**९—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या लगभग १४ अगस्त, १९५९ को लखनऊ जिले के मड़ियांव थाने के थानेदार ने एक निर्दोष व्यक्ति को जान से मार दिया ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—१३ अगस्त, १९५९ को ग्राम बरखुरदार पुर के कुछ व्यक्तियों ने मंडियांव थाने पर यह रिपोर्ट लिखाई कि उन्होंने अगनू, राजेंद्रसिंह व अनुरुद्ध सिंह को चोरी के बैलों के साथ पकड़ा। उपर्युक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ३७९ का मुकदमा कायम करने के बाद वे गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये। उनमें से एक व्यक्ति अंगनू की मृत्यु १५ अगस्त, को जेल में हो गई। एस०डी० एम० लखनऊ की जांच तथा पोस्ट मार्टम से मृत्यु का चोटों द्वारा उत्पन्न सदमें के कारण होना मालूम हुआ है।

**१०—श्री रामशरण यादव—यदि हां, तो क्यों और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त मामले की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा की जा रही है और थाना मंडियांव के सब-इंस्पेक्टर इंचार्ज और दो सिपाहियों को मुअत्तल कर दिया गया है।

श्री रामशरण यादव—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि अंगनू के यह चोटें गिरफ्तारी के पहले आईं या उसके बाद ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो राजेंद्रसिंह आदि जेल में थे उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि वह गिरफ्तारी के बाद और उनके जेल में आने के पहले आयीं, लेकिन बाद में २० तारीख को इस्तगासा दायर किया गया है कि जेल में मारपीट के जरिये से चोटें पहुंचाई गई हैं।

श्री रामशरण यादव—जेल सुपरिंटेंडेंट के द्वारा क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आई है कि उनके जेल में दाखिल होने के पहले चोटें नहीं थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने अभी निवेदन किया है कि दोनों बातों की जांच की गयी और गुप्तचर विभाग द्वारा जांच हो रही है। किस ने क्या किया इसका निर्णय जांच के बाद ही ठीक से हो सकेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जो व्यक्ति मारा गया है क्या मंत्री जी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर बतायेंगे कि क्या वह मृत्यु गोली के घाव से हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—गोली के घाव से नहीं हुई मारपीट का जो शाक है उससे हुई है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो मृतक व्यक्ति है वह मंडियाव थाने में मारा गया और जब मार जारी थी तो काफी शोरगुल हुआ और काफी मजमा उस वक्त वहां इकट्ठा हो गया था?

श्री रामस्वरूप यादव—जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमारे सामने इस संबंध में २ तरह की बातें आई हैं, एक तो जैसे कि मैजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए कि जेल में आने से पहले मारपीट हुई, लेकिन बाद में जो इस्तगासा दायर हुआ है उसमें यह है कि जेल में मारपीट के द्वारा चोटें पहुंचाई गई हैं। अभी जांच हो रही है इसलिये अभी निश्चय से कुछ कहना कठिन है।

मियांगंज निवासी, श्री अजीजुल रहमान की हत्या

****११—**श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्नाव जिले में थाना हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम मियांगंज में भूतपूर्व ताल्लुकेदार श्री अजीजुल रहमान को गोली मार दी गयी है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

****१२—श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त घटना में कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये और घटना किस तारीख की है?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और घटना दिनांक १२-१३ अगस्त, १९५९ की रात में घटी।

श्री सजीवनलाल—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में कोई रिपोर्ट हुई है? यदि हां, तो क्या?

श्री रामस्वरूप यादव—जिन सज्जन के ऊपर यह गोली चलाई गई थी उन्हीं की दस्तखती यह रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने कोई नाम नहीं बताये थे, बाद में कुछ लोगों की जांच से अफवाह है कि उन्हीं के कोई रिश्तेदार हैं शायद उन्हीं का हाथ इसमें है।

श्री सजीवनलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस जांच के संबंध में किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है या नहीं? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी गिरफ्तार कोई नहीं हो सका है, जिन साहब पर शक है उनका अभी पता नहीं चल सका और वह कहीं चले गये हैं क्योंकि जब फ्युनरल सेरेमनी मृतक की हुई उसमें भी वह सज्जन शामिल नहीं हुए।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उस क्षेत्र के विधायक श्री सजीवन लाल तथा श्री भीखा लाल ने उनको सूचना दी है कि इस हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस प्रकार की हत्या की आशंका है और हमने सी० आई० डी० द्वारा जांच के लिये कहा है? यदि हां, तो सरकार क्या विचार कर रही है?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां, यह शिकायत हुई थी और इस घटना का अभी पता नहीं लगा है। जांच हो रही है। आवश्यकता होगी तो सी० आई० डी० इंक्वायरी भी की जायेगी।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)—जब माननीय मंत्री जी को यह बताया गया कि वहां षड्यंत्र का संदेह था तो राज्य सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस षड्यंत्र को भी जानने की कोई कोशिश उसने की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जानने की कोशिश की जा रही है। इंक्वायरी हो रही है और जरूरत होगी तो सी० आई० डी० की इंक्वायरी भी कराई जायगी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना जो घटी तो वह व्यक्ति घर में सोये हुए थे या बाहर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बरामदे में सोये हुए थे।

श्री सजीवनलाल—श्रीमन्, जो उत्तर मिला वह गलत है। वह कोठरी के अन्दर सोए हुए थे। इसलिये इस मामले की फिर जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न की आप सूचना लिखित भेज दें तो अच्छा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—उन्होंने जो बताया कि एक आदमी के ऊपर शक है और वह घर छोड़ कर भाग गया है तो क्या उस आदमी के खिलाफ सरकार ने केस रजिस्टर करके दफा ८७–८८ की कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो रिपोर्ट आई थी मरने के पहले उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा था कि इसके ऊपर हमको शक है। जिन सज्जन की मृत्यु हुई उनका एक पुत्र सरकारी नौकरी में एडीशनल जज है उन्होंने भी कोई शुबहा नहीं किया। अफवाहन सुना गया है कि उनके एक रिश्तेदार से किसी मामले में झगड़ा था, मुकदमा चल रहा था। संभव है उनका हाथ इसमें हो। उसकी इंक्वायरी की जा रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये सदस्यों के निर्वाचन के स्थगित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं बीच में ही एक सूचना दे देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के सचेतक और पार्टियों से भी पूछ-ताछ की—चाहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के चुनाव के बारे में जो आज की तारीख निश्चित की गई थी वह तीन दिन के लिये स्थगित कर दी जाय। मैंने ४ तारीख निश्चित की है।

श्री राजनारायण—चुनाव के लिये टाला गया है या नामीनेशन फिर होगा ?

श्री अध्यक्ष—केवल चुनाव के लिये दिन टाल गया है।

श्री राजनारायण—उन्होंने कोई कारण नहीं बताया ?

श्री अध्यक्ष—वह समझते हैं कि शायद चुनाव की जरूरत न हो।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हरदोई में शक्कर के होलसेल डीलर्स को लाइसेंस देने का विरोध

*१—**श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरदोई में शक्कर के होलसेल डीलर्स के लाइसेन्सेज देने के विरोध में हरदोई के पुराने बड़े व्यापारियों का एक रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास मास जुलाई, १९५९ में आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—२३ जुलाई को एक प्रार्थना-पत्र चन्द्रसेन दुली राम, चन्द्रसेन सीताराम, चन्द्रसेन नारायण प्रसाद के नाम से प्राप्त हुआ जिस पर जिलाधीश से जानकारी प्राप्त की गयी। आगे कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

*२—**श्री बुलाकीराम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार उपर्युक्त डीलर्स को उस समय तक शक्कर उठाने के लिये रोकने का आदेश देगी जब तक उक्त रिप्रेजेंटेशन पर फाइनल आर्डर न हो जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं।

मेरठ में एक शक्कर विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

*३—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, बनारस से सन् १९५९ में सरकार द्वारा कितने दुकानदारों की कितने मन शक्कर जब्त की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, बनारस में किसी भी शक्कर बिक्रेता का स्टाक जब्त नहीं किया गया। किन्तु मेरठ में एक शक्कर विक्रेता के पास ६०० बोरे शक्कर अनधिकृत रूप में पाया ?गया। इस स्टाक को स्थगित (freeze) कर दिया गया है।

*४—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त दुकानदारों पर अन्य और कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—शक्कर के उपरोक्त विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

*५-६—**श्री सोहनलाल धुसिया** (जिला बस्ती) तथा **श्री प्रभुदयाल** (जिला बस्ती)—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

रबी और खरीफ अभियान के अन्तर्गत खाद की सप्लाई

*७—**श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान खरीफ और अगली रबी कम्पेन के लिये पहली अप्रैल, ५९ के बाद कितना टन सुपर फास्फेट और फर्टेलाइजर मिक्सचर (मिश्रित खाद) खरीदने के लिये सरकार की तरफ से टेंडर निकाले गये और १५ जुलाई, १९५९ तक उपरोक्त वस्तुओं में से कितना टन माल सप्लाई हुआ और किन- किन फर्मों से ?

श्री मोहनलाल गौतम—उद्योग-विभाग के सामग्री क्रय सेक्शन द्वारा २०,००० टन सुपरफास्फेट तथा ४०,००० टन फर्टिलाइजर मिक्सचर (मिश्रित खाद) के टेंडर निकाले गये। १५ जुलाई, १९५९ तक ५०७३ टन सुपर फास्फेट M/S D.C.M. Chemicals, Dehli से प्राप्त हुआ। फर्टिलाइजर मिक्सचर उक्त तिथि तक किसी फर्म से नहीं प्राप्त हुआ।

*८—**श्री बलवानसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक प्राप्त माल में से किन-किन जिलों को कितना-कितना टन दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८५ पर)।

[३१ अगस्त, १९५९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये विदेशी पशु न मंगा सकना

*१—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक कितने व कौन-कौन पशु पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये सरकार द्वारा विदेश से मंगाये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोई भी पशु अब तक विदेश से नहीं मंगाया गया है।

*२—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विदेश से पशु मंगाने में कितना धन व्यय हुआ है और कहां तक इस योजना में सफलता मिल रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये विदेशों से पशु न मंगाना सरकार ने क्यों ठीक समझा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारी सरकार के द्वारा करीब-करीब १९९ पशु मंगाये गये थे और वह सन् ५६–५७ तक हमारे यहां आये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे पास फारेन एक्सचेन्ज का इन्तजाम नहीं हो सका इसलिये वह अभी तक नहीं आ सके हैं। प्रयत्न किया जा रहा है। १,४०,००० रु० हमने उसके लिये रखा है।

धान की उपज में वृद्धि

*३—**श्रीमती राजेंद्र किशोरी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वर्ष १९५८–५९ में चावल की उपज राज्य में कितने प्रतिशत गत वर्ष की अपेक्षा बढ़ी है ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—२९.४ प्रतिशत।

*४—**श्रीमती राजेंद्र किशोरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औसतन प्रति एकड़ चावल की उपज राज्य में गत वर्ष कितने मन थी और वर्ष १९५८–५९ में कितनी रही ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—१९५७–५८ का औसत ६.१९ मन प्रति एकड़ १९५८–५९ का औसत ७.७३ मन प्रति एकड़।

*५—**श्रीमती राजेंद्रकिशोरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त उपज वृद्धि में उसकी कृषि भूमि में विस्तार होने के कारण हुई है या किन्हीं अन्य कारणों से ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—उपरोक्त वृद्धि चावल के बोये गये क्षेत्रफल में विस्तार के अतिरिक्त अनुकूल ऋतु और उन्नतिशील ढंग के अपनाने के कारण भी हुई।

श्रीमती राजेंद्र किशोरी—सरकार ने उत्तर दिया है कि उपज बढ़ने का कारण ऋतु अनुकूल होना है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है ऋतु का अनुकूल होना रिकार्ड में भी नहीं है। तो जो उत्तर दिया गया है वह कहां तक ठीक है ?

श्री मोहनलाल गौतम—ऋतु के अनुकूल से मतलब यह है कि जो भी बाधक चीजें थीं उनका भी खयाल करके जो नतीजा निकला उसमें ऋतु अनुकूल निकली।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में कितने एकड़ में खेती की गयीं और कितनी कुल उपज हुई ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी हां, १९५७–५८ में चावल, क्वारी १२,१८,७९८ टन हुआ और १९५८–५९ में १२,९३,९१७ टन हुआ । १९५८–५९ में प्रतिशत वृद्धि ६.२ हुई । चावल अगहनी १९५७–५८ में ८,७४,९८२ टन हुआ और ५८–५९ में १४,७४,२४६ टन हुआ और १९५८–५९ में प्रतिशत वृद्धि ६८.५ हुई । औसत पैदावार चावल क्वारी १९५७–५८, ६.४८, मन प्रति एकड़ १९५८–५९ में ६.४० मन प्रति एकड़ । चावल अगहनी १९५७–५८ में ५.८३ मन प्रति एकड़ और १९५८–५९ में ९.४६ मन प्रति एकड़ हुआ था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतायेगी कि पिछले वर्ष कुल मिला करके जितना चावल पैदा हुआ वृद्धि होने के बाद, उस वृद्धि के फलस्वरूप चावल में प्रदेश स्वयं पर्याप्त हो गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो मूल प्रश्न में था नहीं । अगर मंत्री जी को मालूम हो तो बता दें, मैं उनको इस पूरक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता ।

श्री कालीचरण अग्रवाल—यह तो फड डिपार्टमेंट की बात है । मुझसे अगर पूछा जाय तो सूचना की आवश्यकता है ।

सीतापुर में सस्ते अनाज की दुकानें

*६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९५९ तक सीतापुर जिले की प्रत्येक तहसील में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों की संख्या क्या थी और शहर सीतापुर में ऐसी दूकानों की संख्या क्या थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ऐसी दूकानों की संख्या सिधौली और मिसरिख तहसीलों में १–१ तथा सीतापुर नगर में ६ थी ।

*७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तारीख के पश्चात् और अधिक सरकारी सस्ते गल्ले की कितनी दूकानों को किस तारीख में एलाटमेंट किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—३१ जनवरी, १९५९ के पश्चात् सिधौली तहसील में ३ दूकानें ७ मार्च, ८ मार्च तथा १० मार्च १९५९ को, बिस्वां तहसील में एक दूकान ८ मार्च १९५९ को एवं मिसरिख तहसील में २ दूकानें १२ मार्च, १९५९ को खोली गयीं ।

*८—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर शहर में गल्ले के थोक विक्रेताओं (बी-लाइसेन्सीज) की संख्या क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सीतापुर शहर में इस समय उत्तर प्रदेश फूडग्रेन्स डीलर्स लाइसेन्सिग आर्डर, १९५९ के अधीन गल्ले के विक्रेताओं (लाइसेन्सीज) की संख्या ८५ हैं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिसरिख तहसील में यह दूकान कहां और किस तारीख में खुली ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १२ मार्च को तहसील मिसरिख में जो दूकानें खुलीं वे कहां–कहां खुलीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—स्थान के लिये सूचना चाहिये ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस कथन को नोटिस मान कर जवाब देने की कृपा करेंगे भविष्य में ?

श्री अध्यक्ष---यह कोई प्रश्न नहीं है । आप फिर से नया प्रश्न पूछें तो मंत्री जी जवाब देंगे ।

देवरिया जिले में सस्ते अनाज की बन्द दूकानें खोलने का आदेश

*९---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गत फरवरी, सन् १९५९ में देवरिया में कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें थीं और उनके बन्द कर देने के क्या कारण थे और अब तक उन सभी दूकानों को न खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---२८ फरवरी १९५९ को देवरिया जिले में सस्ते गल्ले की ३०७ दूकानें थीं । केवल देहाती क्षेत्रों की वे दूकानें जिन पर गल्ले के विक्रय की मात्रा २५ प्रतिशत या उससे कम हो गयी थी, बन्द हो गयी थीं । बन्द दूकानों को पुनः संचालित करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दूकानों की संख्या क्या है जिनको २५ प्रतिशत से कम की बिक्री पर बन्द कर दिया गया और क्या यह सही है कि आपके आदेश के बावजूद वे दूकानें अब तक चालू नहीं हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ये तो भिन्न-भिन्न स्थानों पर २५ प्रतिशत न होने से बन्द हुईं । अब सब चालू हैं । आपकी सूचना सही नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---दूकानों को जो तोड़ दिया गया था उनको चालू करने के लिये आदेश सरकार से कब भेजे गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---संभवतः अगस्त के पहले हफ्ते के आखिर में ।

*१०---श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---[न्याय मंत्री से सम्बन्धित ४ सितम्बर, १९५९ के लिये प्रश्न ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला गन्ना सहकारी समिति, शाहजहांपुर के कार्यालय के अस्थायी कर्मचारी

*११---श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि जिला गन्ना सहकारी समिति शाहजहांपुर के आफिस में कुछ कर्मचारी ६ वर्ष से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनको अपनी सेवाओं में स्थायित्व प्राप्त हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम---प्राप्त सूचनानुसार जिला गन्ना सहकारी समिति, शाहजहांपुर के आफिस में कुछ कर्मचारी ६ वर्ष से कार्य कर रहे हैं जो अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं ।

बस्ती जिले में सस्ते अनाज की बन्द दूकानें खोलने का आदेश

*१२---श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में जून, सन् १९५९ के पहले कुल कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें थीं और इस समय उसमें से कितनी कम कर दी गयीं ? कम करने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---१५ अप्रैल, १९५९ को बस्ती जिले में सस्ते गल्ले की २५० दूकानें थीं । तदुपरान्त देहाती क्षेत्रों की लगभग सभी दूकानें, गल्ले के विक्रय की मात्रा २५ प्रतिशत अथवा उससे कम हो जाने से, शनैः शनैः बन्द हो गयी थीं । बन्द दूकानों को पुनः संचालित करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह खबर सरकार को अब तक है कि जितनी दूकानें पहले चलायी गयी थीं उन सभी दूकानों पर अनाज पहुंच गया और बस्ती जिले में वह मिलने लगा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी वहां से रिपोर्ट तो नहीं पहुंची है कि कितनों पर नहीं पहुंचा है लेकिन आदेश गये हुए १५ रोज से ज्यादा हो चुके हैं तो मेरा अनुमान है कि सब पर पहुंच गया होगा।

मगराही फार्म की भूमि के मूल्य पर आपत्ति

*१३—श्री राजनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मगराही फार्म (मिर्जापुर) के लिये जमीन खरीदने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा आस-पास के प्रचलित रेट से दो सौ रुपया प्रति एकड़ की जगह आठ सौ रुपया प्रति एकड़ दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—जी नहीं। मगराही फार्म की भूमि का मूल्य जिलाधीश, मिर्जापुर ने, २०० रु० नहीं, ८०० रुपया प्रति एकड़ आंका था। अतएव उसी के अनुसार भुगतान किया गया।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५९ के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री राजनारायण द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ७० के उत्तर में सरकार ने "जी हां" कहा है ?

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न क्या है ? स्पष्ट कीजिये।

श्री राजनारायण—मैं अभी बतलाता हूं। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर ने जो रिपोर्ट उस प्रश्न के उत्तर में मेरे पास भेजी है उसमें डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर ने यह लिखा है—

"The land acquired for the farm was purchased for rupees 68,000 at the rate of Rs.800 per acre. The price paid for the land appears to be inordinately excessive because the actual price of this type of land in the locality is only about Rs.200 per acre."

जब सरकार की ओर से यह जवाब हमको दूसरे प्रश्न के उत्तर में मिल चुका है और डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, तो सरकार किस आधार पर कह रही है कि वह ज्यादा कीमत पर नहीं खरीदी गयी जबकि २०० रुपये प्रति एकड़ के लिये सरकारी अधिकारी ने कहा था ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—इस प्रकार का कोई उत्तर सरकार ने पिछले प्रश्नों के उत्तर में नहीं दिया था कि इस जमीन की कीमत ३०० रुपये प्रति एकड़ है। वास्तव में जिलाधीश, तहसीलदार और रजिस्ट्रार ने इसकी कीमत ५०० रुपये बीघा यानी ८०० रुपये एकड़ आंकी है, इसी आधार पर ८०० रुपये एकड़ के हिसाब से कीमत दी गयी है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि जब उस लोकैलिटी में उसी ढंग की जमीन २०० रुपये प्रति एकड़ बिकी है तो सरकारी कर्मचारियों ने इस जमीन का ८०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से क्यों दिया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल—यह खबर कि २०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसी प्रकार की भूमि बिकी है, गलत है। यह जो जमीन हमने ८०० रुपये प्रति एकड़ का मूल्यांकन किया यह तहसीलदार की रिपोर्ट पर किया और जो राबर्टसगंज का कानूनगो था उसने और कलेक्टर ने भी यही कहा था। २०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से असिंचित भूमि है और जो सिंचित भूमि है नहर के किनारे उसका रेट वही है जिस हिसाब से यह भूमि खरीदी गयी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह फार्म कितने एकड़ का है और पूरा फार्म खरीदन क लिय कितना रुपया दिया गया ?

श्री कालीचरण अग्रवाल---यह सूचना मुझे प्राप्त करनी पड़ेगी लेकिन लगभग ६८ एकड़ का फार्म है और उसी के हिसाब से यह रुपया दिया गया है ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार ने डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर की रपट का आखिरी पोर्शन पढ़ने की कृपा की है जिसमें उन्होंने लिखा है :---

"The cultivator and the general public can have nothing but sheer contempt for such agricultural farm."

श्री मोहनलाल गौतम---जैसा अभी कहा, डिप्टी डायरेक्टर, हेडक्वार्टर्स को यह हिदायत दे दी गयी है कि वे वहां जाकर सब चीजें देखें और अपनी रिपोर्ट दें, उस पर हम फिर गौर करेंगे ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक प्रश्न और ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । जब वह इन्क्वायरी कर रहे हैं तो फिर अभी क्या प्रश्न हो सकता है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक इन्क्वायरी २६-१०-५८ को हो चुकी है जिसके अनुसार रिपोर्ट दी गयी । अब ये अपनी इन्क्वायरी खुद करावें ।

*१४---१५---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सहकारी संघ उस्का बाजार के अन्तर्गत सहकारी समितियां

*१६---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के सहकारी संघ उस्का बाजार के अन्तर्गत कौन कौन सी सहकारी समितियां हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---एक सूची मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६ पर ।)

*१७---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त सहकारी संघ के अन्तर्गत इस वर्ष किन-किन गांवों में नयी सहकारी समितियां कायम करने का सरकार का विचार है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस संघ के अन्तर्गत इस वर्ष कोई सहकारी समिति बनाने का विचार नहीं है ।

देवरिया उत्तरी क्षेत्र में नलकूपों की आवश्यकता

*१८---श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अब तक डी० सी० ओ० देवरिया उत्तरी क्षेत्र मे कितने नलकूप केन डेवलपमेंट द्वारा लगाये जा चुके हैं और कितने बाकी हैं ? यदि बाकी हैं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---गन्ना विकास विभाग द्वारा स्वयं नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है अतः देवरिया उत्तरी क्षेत्र में केन डेवलपमेंट द्वारा नलकूप लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डी० सी० ओ०, पडरौना द्वारा यह आश्वासन देने पर कि एक निश्चित रकम जमा करने पर ट्यूबवेल लगाया जा सकता है वहां के किसानों ने रुपया जमा कर दिया है किन्तु कुशल कारीगरों के न मिलने के कारण वहां ट्यूबवल नहीं लगाया जा रहा है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---ट्यूबवेल के लिये गन्ना विकास की ओर से सहायता दी जाती है । जो प्रश्न आपने उठाया सरकार को इस प्रश्न की कोई सूचना नहीं है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---देवरिया जिले की गन्ना विकास समितियों की ओर से कुछ ट्यूबवेल लगाये गये हैं, तो क्या सरकार यह विचार कर रही है कि वे ट्यूबवेल सिंचाई विभाग में ले लिये जायं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां । ११ ट्यूबवेल्स को सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने पर विचार हो रहा है । एक सहकारी समिति अपने ट्यूबवेल को स्वयं चलाना चाहती है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि पडरौना उत्तर क्षेत्र के किसानों ने केन विभाग के आश्वासन पर अनुदान की रकम प्राप्त करने के लिये निश्चित रुपया जमा कर दिया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है लेकिन दो निजी ट्यूबवेल लगे हैं, उनके लिये सहायता दी गयी ।

भारती भण्डार द्वारा मंहगी चीनी बेचने की शिकायत

*१९---श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---क्या मसोधां फैजाबाद के भारती भंडार द्वारा महंगी चीनी बेचने के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों ने सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं ।

श्री मदनगोपाल वैद्य---भारती भंडार के सम्बन्ध में कोई दूसरी शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हमारे पास कोई शिकायत नहीं पहुंची है ।

श्री गेंदासिंह---भारती भंडार से किसी भाव पर चीनी बिकने की कोई सूचना उनको मिली है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---श्रीमन्, मैं कह चुका कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

दुग्ध सहकारी संघों की जांच

*२०---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में दूध का वितरण (Co-operative) सहकारी समितियों द्वारा होता है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, नैनीताल, अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल और सुल्तानपुर जिलों में दूध का वितरण सहकारी दुग्ध संघों द्वारा होता है ।

*२१---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या प्रदेश की दूध की डेरियों में लाभ या हानि जानने के लिये कोई जांच कमेटी नियुक्त की गयी है ? यदि हां, तो उस कमेटी ने अब तक क्या कार्य किया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जी हां, जांच कमेटी ने संघों की जांच कर ली है पर रिपोर्ट अभी नहीं दी है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन सहकारी समितियों की जांच के लिये यह कमेटी बिठायी गयी और क्यों बिठायी गयी थी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—लखनऊ को छोड़कर जिन दुग्ध सहकारी संघों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनकी खराबी को दूर करने और उनका काम सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये यह कमेटी बनी थी जो सब जगह का दौरा कर चुकी है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सात समितियों में से किसी पर गबन के भी आरोप लगाये गये थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—अभी इस कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी है इसलिये कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं लेकिन शायद गबन की भी शिकायतें थीं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कहा गया है उसके अनुसार नफे में नहीं चलती हैं और अल्मोड़े की सोसाइटीज नफे में चलती हैं फिर भी उसकी मशीन लगाने की मांग को ठुकरा दिया गया और जो नुकसान में चलती हैं वहां लगा दी गयी क्या यह सच है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन कारणों से जांच समिति के बिठाने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बता दिया है, ऐसा मैं समझता हूं ।

गाजियाबाद मण्डी में लेवी स्कीम के अन्तर्गत गेहूं की खरीद

*२२—**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद मंडी में कितने लाइसेंसीज से मई, जून, जुलाई, १९५९ में कितना गेहूं लेवी (Levy) में सरकार ने खरीदा और कितने लाइसेन्सीज ऐसे हैं जिनसे नहीं खरीदा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—गाजियाबाद में मई, जून व जुलाई, १९५९ में कुल ३९४ मन २६ सेर ८ छटांक गेहूं लेवी स्कीम के अन्तर्गत ३३ लाइसेन्सदारों से खरीदा गया । ८५ लाइसेन्सदारों से, जिनमें १४ सस्ते गल्ले के दूकानदार सम्मिलित हैं, कोई खरीदारी नहीं की गई ।

श्री तेजासिंह—जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि लगभग ३९४ मन गल्ला तीन महीने में खरीदा गया तो एवरेज साढ़े सात मन का आता है । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो कोटा मुकर्रर कर रखा है वह ज्यादा है या कम है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—किसी जिले के लिये कोई कोटा मुकर्रर नहीं है । सारे प्रदेश का है उसके हिसाब से २५ हजार टन काफी है ।

श्री तेजासिंह—सिर्फ ३३ लाइसेंसदारों से ही गेहूं खरीदा गया बाकी ८५ से नहीं खरीदा गया तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने गेहूं का काम ही नहीं किया या किसी खास कारण से नहीं खरीदा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—पश्चिमी जिले के ट्रेडर्स ने गेहूं का काम नहीं किया जिससे सरकार लेवी सिस्टम छोड़ दे ।

श्री गेंदासिंह—जिन लोगों ने गेहूं खरीदा व्यापारियों से तो क्या उनके लिये कोई लाजमी रेट बना दिया था कि किसानों को इस भाव पर कीमत अदा करें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हां, वह तो १४ रुपये मन रुपये फेयर ऐवरज क्वालिटी का था ।

श्री तेजसिंह—तीन महीने में कुल ३९३ मन गेहूं सरकार ने खरीदा है और लेवी के मुताबिक पचास परसेंट सरकार खरीदती है तो गाजियाबाद में जो ६०-७० हजार की आबादी है उसको बाकी गेहूं खाने के लिए कहां से मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उसको हमने दिया ।

श्री तेजसिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके, हिसाब लगाकर देखेंगे कि १४ दूकानों पर कितनी आबादी को राशन दे रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंहनेगी—इसके अतिरिक्त दस मन से नीचे का जितना आया था उसको हमने नहीं लिया । पब्लिक में ही बंट गया ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यापारियों को लाइसेंस दिया गया था लेकिन उन्होंने कोई गल्ले का कारोबार ही नहीं किया उनका लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लाइसेंसीज से सरकार ने ५० प्रतिशत गल्ला खरीदा, उनके पास जो गल्ला बच गया उसको वे किस दाम से बेंचे, सरकार ने कोई ऐसी नीति निर्धारित की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां । जो पचास प्रतिशत छूट जाता है उस पर कीमत मुकर्रर है । वह सरप्लस जिलों में उसी कीमत पर देंगे जिस पर खरीदा है और दूर के जिलों में एक दो रुपये के फर्क से बेच सकते हैं ।

लखनऊ में सहकारी सम्मेलन पर व्यय

*२३—**कुंवर श्रीपाल सिंह तथा राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि २८-२९ अप्रैल, १९५९ को जो लखनऊ में सहकारी सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को जिलों की सहकारी समितियों तथा सरकार की ओर से आवागमन तथा लखनऊ में उनके रुकने का सारा व्यय वहन किया गया था ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—सहकारी सम्मेलन में भाग लेने वाले सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के आवागमन व रुकने का व्यय उन सहकारी समितियों ने स्वयं सहन किया । सरकारी प्रतिनिधियों का व्यय सम्बन्धित विभागों के वार्षिक बजट में स्वीकृत अनुदान से दिया गया ।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कुल कितना व्यय हुआ सरकार का और उन समितियों का मिला कर ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसका उत्तर पिछले सोमवार, २४ तारीख को दिया जा चुका है ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो डेलीगेट इस सम्मेलन में आये थे उनको चाय भी दी गयी थी और अगर दी गयी थी तो किसकी तरफ से और उस पर क्या खर्चा हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---जवाब दिया जा चुका है । अगर आप कहें तो फिर दोहरा दूं ।

श्री अध्यक्ष---मैं दोहराने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डेलीगेट आये थे और जिनके रुपये का भुगतान जिला सहकारी समितियों से हुआ, वह कुल कितना था ?

श्री मोहनलाल गौतम---उसका हिसाब अभी हमारे पास नहीं है ।

बाराबंकी जिले में सस्ते अनाज की दुकानें

*२४---**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)---क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत प्रत्येक तहसीलवार कहां-कहां पर सस्ते गल्ले की दूकनें खोली गयी हैं और खोलने का विचार है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जिले में खुली हुई तहसीलवार सस्ते गल्ले की दूकानों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है । फिलहाल और दूकानें खोलने का विचार नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८७ पर)

*२५---**श्री रामसुन्दर पांडिय**---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे सोमवार क लिये स्थगित किया गया ।]

सुल्तानपुर जिले में गेहूं और चने की उपज

*२६---**श्री गुरुप्रसादसिंह** (जिला सुल्तानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग सन् १९५७-५८ और ५८-५९ में कितने क्षेत्रफल में गेहूं और चना बोया गया और उनको अलग-अलग उपज कितनी हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम---सूचना एकत्र की जा रही है ।

*२७---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२८---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकन के कारण छठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर तथा बस्ती जिलों में मत्स्य-पालन कार्य

*२९---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर तथा बस्ती जिलों में मत्स्य पालन विभाग द्वारा किन-किन तालाबों में मत्स्य-पालन का कार्य शुरू किया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---गोरखपुर जिले में २९ तालाबों में तथा बस्ती जिले में ४ तालाबों में मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य-पालन कार्य किया जा रहा है जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८८ पर) ।

तारांकित प्रश्न २४ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

तराई कृषि फार्म को पेट्रोल सप्लाई

*३०--श्री मदन पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में कितने राजकीय कृषि फार्म हैं, जहां अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा बनायी गयी बहुधन्धी सहकारी समितियों से ही कृषि फार्म के उपयोग में आने वाला पेट्रोल खरीदा जाता है? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इस प्रकार कितना पेट्रोल प्रतिवर्ष खरीदा जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस राज्य के केवल तराई कृषि फार्म के उपयोग में आने वाला पेट्रोल, तराई राजकीय कृषि क्षेत्र के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा बनाय गयी हल्दी मल्टी परपज कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड से खरीदा जाता है । इस प्रकार १५,००० गैलन पेट्रोल प्रति वर्ष खरीदा जाता है ।

*३१--श्री मदन पांडेय--क्या यह सही है कि जून, सन् १९५५ तथा जनवरी, १९५७ में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों द्वारा जो यह सुझाव दिया गया था कि "जितने बड़े परिमाण में पेट्रोल राजकीय फार्म में प्रयुक्त होता है उसे देखते हुए कृषि फार्म को पेट्रोल सप्लाई कम्पनी से संपर्क स्थापित कर पम्प लगवा लेना चाहिये", उसको क्यों नहीं स्वीकार किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, ऐसा सुझाव लेखा परीक्षकों ने दिया था परन्तु अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया गया है, क्यों कि ऐसा करने से सरकार को कोई विशेष लाभ न होकर हानि होने की सम्भावना है ।

सहकारी बीज भंडार, नत्थीखेड़ा में अधिक वजन के बांट पकड़े जाना

*३२--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहकारी बीज भंडार नत्थीखेड़ा, जिला झांसी में अक्तूबर, १९५८ में १३ छ० अधिक वजन के मन पकड़े गये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहनलाल गौतम--जिला झांसी के सहकारी बीज भण्डार नत्थीखेड़ा में अक्टूबर, १९५८ में एक मन वाले दो बांट ऐसे पकड़े गये थे जो ८ और ४ छंटाक अधिक वजन के थे । २० सेर का एक बांट और भी पकड़ा गया जो ४ छटांक कम वजन का था । अभी यह मामला रजिस्ट्रार के विचाराधीन है ।

*३३--श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मनों से ही कृषि बीज भंडार तालबेहट, जिला झांसी से लगभग तीन हजार मन बीज सहकारी बीज भंडार ने ६-१०-५८ से ९-१०-५८ तक लिया था ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस बारे में अब तक जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर यह कहना कठिन है कि उपरोक्त बांट कृषि बीज मण्डार, तालबेहट पर ६ से ९ अक्टूबर, १९५८ तक प्रयोग में लाये गये थे ।

*३४--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त १३ छ० अधिक वजन के मन कहां से आये थे ?

श्री मोहन लाल गौतम--अभी तक इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो पाया है ।

क्षेत्रीय सहकारी कृषि सम्मेलनों पर व्यय

*३५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, १९५९ में कहां-कहां Co-operative farming में seminars लगाये गये और इन पर D.A. व T.A. में सरकार का कितना खर्च हुआ ? क्या इस सम्बन्ध में कोई राजाज्ञा हुई थी ? अगर हां, तो वह क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम—फरवरी से अप्रैल, १९५९ तक रामपुर, नरवर (जिला वाराणसी), डढ़वल (जिला बस्ती) तथा हल्द्वानी (जिला नैनीताल) में क्षेत्रीय सहकारी कृषि गोष्ठियां अथवा सम्मेलन (कोआपरेटिव फार्मिंग सेमीनार) हुए।

इन गोष्ठियों के लिये डी० ए० व टी० ए० की अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई । प्रतिनिधियों के सफर खर्च का भुगतान सम्बन्धित समितियों ने किया ।

सरकारी कर्मचारियों ने भत्ता वर्ष की निर्धारित डी० ए० धनराशि से लिया । इन गोष्ठियों में जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों ने भाग लिया था और सम्बन्धित विभागों से उनके टी० ए० व डी० ए० के आंकड़े एकत्रित करने में जो श्रम व समय लगेगा, वह सूचना उपयोगिता को देखते हुए आवश्यक प्रतीत नहीं होता ।

सरकार की ओर से यह आज्ञा दी गयी थी कि कृषि सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन महत्वपूर्ण प्रश्नों को विचार करने के लिये किया जाय ।

कोआपरेटिव लैन्ड मार्गेज बैंक की स्थापना

*३६—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत बजट सेशन के बाद गत अप्रैल, मई या जून के महीनों में किसानों को ऋण दिलाने की सुविधायें विस्तार करने के लिये कितने जिलों में मारगेज बैंक खोले गये ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव लैंड मारगेज बैंक की स्थापना हुई है उसने अभी कार्य आरम्भ नहीं किया है ।

*३७—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह बैंक प्रदेश के सारे जिलों में कब तक खुल जायेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—सब जिलों में कोआपरेटिव लैंड मारगेज बैंक खोलने की आवश्यकता न होगी । यह बैंक अपनी शाखायें खोलकर या जिला सहकारी बैंकों के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन ऋण बांटेगा ।

चीनी का जिलेवार कोटा

*३८—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने जुलाई, सन् १९५९ में राज्य के प्रत्येक जिले को चीनी का कोटा निर्धारित किया है। यदि हां, तो क्या राज्य के सभी जिलों को उस महीने में मिलने वाला कोटा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सही है कि सरकार ने प्रति मास मिलने वाली चीनी को बांटने के लिये प्रत्येक जिले का कोटा निर्धारित कर दिया जिसकी सूची संलग्न है, यह चीनी वितरण की नई योजना पहली अगस्त, १९५९ से लागू की गयी । इसलिये इस योजना के अन्तर्गत जुलाई में कोटा मिलने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८९ पर)

*३९—कुंवर श्रीपालसिंह—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

गन्ना सोसाइटी, घुघली की कटौती तथा बिक्री कमीशन

*४०—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोरखपुर जिले की गन्ना सोसाइटी घुघुली द्वारा गन्ना किसानों से पिछले दो सालों से शिक्षा और रोड के नाम पर कोई कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कटे हुए धन के व्यय का ब्योरा देगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४१—श्री अमरनाथ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के केन डेवलपमेंट यूनियन घुघुली का १९५६-५७ का गन्ना बिक्री कमीशन अभी तक पंजाब शुगर मिल, घुघुली ने नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

जौनपुर जिले के सहकारी संघ को जब्त करना

*४२—श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जौनपुर जिले का सहकारी संघ जब्त कर लिया गया ह ? यदि हां, तो कब से और किन कारणों से ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, यह संघ ६-३-५९ से निलम्बित है । निलम्बन का कारण यह है कि संघ का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा था और इसका संचालक मंडल विभागीय आदेशों का पालन नहीं कर रहा था ।

*४३—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[स्वायत्त शासन मंत्री से सम्बन्धित २ सितम्बर, १९५९ के प्रश्न ३९ के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया गया ।]

*४४—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—[मुख्य मंत्री से सम्बन्धित, सातवें गुरुवार के लिये प्रश्न ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कानपुर जिले में कपास की खेती की अग्रगामी योजना लागू करने की जानकारी

*४५—श्री व्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह कानपुर जिले में कपास की खेती की अग्रगामी योजना कब से लागू करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

टेहरी-गढ़वाल के किसानों को खराब बीज देने की शिकायत तथा फोर्ड फाउंडेशन टीम की सिफारिशें

*४६—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार का ध्यान टेहरी-गढ़वाल के किसानों की इन शिकायतों की ओर गया है कि उन्हें इसी रबी की फसल के लिये गेहूं का जो बीज सरकार की तरफ से दिया गया उससे पैदावार कम हुई ? अगर हां, तो सरकार ने इन शिकायतों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री मोहनलाल गौतम—ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

*४७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कोई फाउन्डेशन टीम की सिफारिश के मुताबिक प्रदेश में खाद्यान्नों की पैदावार अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये खेती सम्बन्धी किसी पाइलेट प्रोजेक्ट की स्थापना करने जा रही है या करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम—फोर्ड फाउन्डेशन टीम ने खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने के लिये प्रयोगात्मक पाइलेट प्रोजेक्ट स्थापित करने की सिफारिश की है और ऐसे कुछ पाइलेट प्रोजक्ट तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन है । अतः उक्त पाइलट प्रोजक्ट की इस समय रूपरेखा देना कठिन है ।

अतारांकित प्रश्न

बदायूं जिले में कंट्रोल रेट से ईंटें न मिलने की शिकायत

१—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार के पास इस बात की कोई शिकायत आयी है कि जिला बदायूं के भट्ठे वाले ईंट कन्ट्रोल के भाव पर नहीं बेचते ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी । हां, जिलाधीश के पास इस प्रकार की एक शिकायत दहगवां के भट्ठे वाले के खिलाफ प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करायी गयी, परन्तु कन्ट्रोल भाव से अधिक पर ईंट बेचने का कोई प्रमाण नहीं मिला ।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी की मांग

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं प्रश्नों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । करीब एक महीना हुआ हमने एक प्रश्न पूछा था तो आपकी ओर से उसको वापस कर दिया गया था और फिर हमने माननीय मंत्री जी से कहा । मैंने पूछा था १९५२ से अब तक हिन्दुस्तान कामर्शल कार्पोरेशन . . . .

श्री अध्यक्ष—यह चीज मेरे दफ्तर में पूछिये ।

श्री राजनारायण—जरा आगे कह लूं । जब आपने उत्तर दिया तो हमने माननीय मंत्री जी को खत लिखा । उन्होंने कहा कि मैं उत्तर दे दूंगा । अब करीब एक हफ्ता हो रहा है । हम दो तीन बार पूछ चुके । उन्होंने कहा कि जब तक मुख्य मंत्री नहीं कहेंगे मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—पत्रों के बारे में मैं निर्णय नहीं करता ।

श्री राजनारायण—आपकी ही सलाह मान कर हम पत्र-व्यवहार करते हैं कि वह उत्तर दे देंगे, और उत्तर देने में एक विभाग का मंत्री कहता है कि मुख्य मंत्री के कहे बिना मैं उत्तर नहीं दे सकता. . . .

श्री अध्यक्ष—यह तो आप मेरे कमरे में कहें । यहां तो मैं बता नहीं सकता ।

श्री राजनारायण—अच्छी बात है ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं यहां भी निवेदन करता हूं और कमरे में भी गुजारिश करता हूं, कभी-कभी प्रार्थना भी करता हूं लेकिन मेरे निवेदन पर गौर नहीं होता है. . . .

श्री अध्यक्ष—आपके निवेदन पर भी गौर होगा ।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, मेरा प्रश्न है. . . .

श्री अध्यक्ष---आपका प्रश्न ४ तारीख के लिये रख दिया गया है ।

श्री टीकाराम पुजारी---उसमें लिखा हुआ है ४-७-५९ को पांचवें शुक्रवार के लिये, तो वह तो पीछे रह गया । तो क्या यह सरकार अब पीछे भी हटने लगी, पीछे भी देखने लगी ?

श्री अध्यक्ष---४-७-५९ नहीं वह ४-९-५९ है, छपने की गड़बड़ी है ।

श्री टीकाराम पुजारी---मेरे साथ यह होता है, श्रीमन् । सच पुजारी कहता है और वह सबके दिल से उतरा है ।

माइक्रोफोन के संबंध में जानकारी

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहता हूं । इस कुर्सी के पास तीसरी लाइन पर एक माइक्रोफोन था । तीसरे रोज से मालूम नहीं वह कहां हटा दिया गया । पता नहीं वह चोरी चला गया या कहीं हटा दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---इसकी भी जांच हो जायगी ।

इलाहाबाद में छात्रों पर गोली वर्षा के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास कामरोको प्रस्ताव बहुत से इलाहाबाद में हुए गोलीकांड के सम्बन्ध में आये हैं । उसके सम्बन्ध में मुझे अभी सूचना यह मिली है कि इसकी जांच करने के लिये एक हाईकोर्ट के जज से इन्क्वायरी कराने का निश्चय किया है । (मुख्य मंत्री से) क्या यह बात सही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां, सही है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---तो श्रीमन्, जांच में क्या-क्या बातें रहेंगी ? टर्म्स आफ रेफरेंस उसका क्या है ?

श्री अध्यक्ष---तो पहले तो इस विषय में मैं यह कह देना चाहता हूं कि उस घटना के सम्बन्ध में जांच जब हाईकोर्ट के जज के सामने जा रही है तो घटना के ऊपर चर्चा यहां नहीं हो सकती । इसलिये कामरोको प्रस्ताव जो आये हैं उनकी किसी की भी मैं इजाजत नहीं देता हूं । माननीय त्रिलोकीसिंह, कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---मान्यवर, मैंने दरख्वास्त की थी कि पेश्तर इसके कि आप कोई निर्णय करें मुझे मौका दें कि कामरोको प्रस्ताव की जो दरख्वास्त थी उसके वैध होने के सम्बन्ध में, आप इजाजत दें या न दें, कुछ अर्ज कर सकूं । अगर अब भी इसकी कुछ गुंजायश हो तो मैं यह आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी आप इजाजत दें ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उसके ऊपर तो मैं काफी विचार कर चुका हूं । मैं समझता हूं कि जब ऐसे गोलीकांड वगैरह हो जाते हैं तो कई दफे इसी बात की मांग की गयी कि कोई जूडिशियल इन्क्वायरी हो जानी चाहिये और जब जुडिशियल इन्क्वायरी का निश्चय हो जाता है तो उसका परिणाम यह है कि यहां पर न मैं सरकार को इजाजत दूंगा कि वह अपना बयान यहां उपस्थित करे जिसका परिणाम जांच के ऊपर पड़ सके और दूसरी तरफ से भी जो घटना हुई उसके बारे में चर्चा करने की इजाजत देना मैं उचित नहीं समझता हूं क्योंकि जो काम सौंपा गया है एक हाईकोर्ट के जज के ऊपर, उनके सामने जो विवरण जिसको देना है, गवाही देना है, शहादत देनी है, जो सूचना देनी है सब उनके सामने होना चाहिये और आदरणीय सदन में उस विषय पर चर्चा

[श्री अध्यक्ष]

नहीं होनी चाहिये, क्योंकि यहां की चर्चा सुरक्षित चर्चा है । चाहे जिस सूचना पर भी भाषण यहां माननीय सदस्य दे सकते हैं और जो भी सूचना उनको मिलती है उसके ऊपर जिक्र यहां वे कर सकते हैं । फिर वह सूचना बेबुनियाद क्यों न हो । इसलिये मैंने ऐसी स्थिति में इसकी इजाजत नहीं दी कि इस घटना के सम्बन्ध में यहां पर कोई चर्चा हो । अन्य कोई प्रश्न, जैसा कि राजनारायण जी ने टर्म्स आफ रिफरेन्स का सवाल किया, उसके बारे में पूछना हो तो आप मुख्य मंत्री जी से पूछ सकते हैं । उस सम्बन्ध में मैं आपको इजाजत दे दूंगा ।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता था कि इसमें दो बातें हैं । एक तो यह है कि यह इन्क्वायरी किस प्रकार की होगी ? आया यह खुली हुई जांच होगी और इसमें किसी शख्स को भी हक होगा कि वह अपनी शहादत पेश कर सके और उसको यह भी हक होगा कि वह, जो शहादत पुलिस की तरफ से आये, उनके गवाहों से जिरह कर सके । मिसाल के तौर पर जैसे कानपुर में कमिश्नर द्वारा इन्क्वायरी हुई थी । वह इन्क्वायरी इन कैमरा थी । उसमें किसी बाहरी आदमी को जाने का अधिकार नहीं था । उसमें किसी को यह हक नहीं था कि वह गवाहों से जिरह कर सके । मैं बहैसियत गवाह के उसके समक्ष स्वयं पेश हुआ था । किसी को कोई सवाल पूछना होता था तो वह कमिश्नर साहब से कहे और, यदि वह उचित समझें, तो पूछ ले । वह नहीं पूछ सकता था । तो यह एक महत्वपूर्ण इन्क्वायरी है । क्या खुली जांच होगी जैसे कि लखनऊ में फायरिंग की सन् १९३० में इन्क्वायरी हुई थी या जलियानवाला बाग की हंटर कमेटी द्वारा इन्क्वायरी हुई थी जिसमें यह अख्तियार था कि जिसके जी में आवे अपने को पेश करे । मैंने यह इसलिये कहा कि कि मेरे पास कुछ मसाला है । मैं उसको पेश करना चाहूं या किसी वकील को अपनी तरफ से मुकर्रर करूं जो चाहे जिस तरफ से गवाह आयें, उनसे जिरह कर सकें उसकी गुंजायश होगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इस सदन का संबंध है, सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव पर विवाद हो रहा था जब कि कानपुर में कमिश्नर साहब द्वारा इन्क्वायरी का एलान हुआ था । उसी समय गृह मंत्री जी ने एलान किया था । ऐसी संसदीय प्रथायें अनेक हैं कि असेम्बली या पार्लियामेंट में विवाद हो गया, और अच्छा खासा विवाद हो गया और फिर उसके बाद इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त हुई । जैसे कि विवियन बोस इन्क्वायरी कमीशन मुन्दरा के सम्बन्ध में अप्वाइन्ट हुआ । इस सदन को भी यही प्रथा है जैसे कि कानपुर में भार्गव साहब कमिश्नर के तहत में इन्क्वायरी कमेटी हुई । वह इन्क्वायरी यहां की बहस के बाद हुई । यह आवश्यक नहीं है कि इन्क्वायरी कमीशन यहां की बहस से प्रभावित हो । जिसको जो इत्तिला है वह रख देगा ।

मान्यवर, मैं यह अर्ज करूंगा कि आपकी यह आज्ञा हुई कि इस कामरोको प्रस्ताव पर बहस न हो । मुझे यह शिरोधार्य है लेकिन आप को यह अधिकार प्राप्त है कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप आज्ञा दे दें कि यहां पर और उस नियम के अन्तर्गत, जिसमें ढाई घंटे बहस की इजाजत है, बहस हो जाय । उस पर राय न ली जाय । राय होने पर इन्क्वायरी कमीशन प्रभावित हो सकता है लेकिन अगर यह सदन राय नहीं देता है तो फिर कठिनाई की बात समझ में नहीं आती । हमें जो मालूमात हैं वे हम रख दें और सरकार की तरफ से जो जानकारी हो वह भी रख दें । माननीय सदस्यों की जो जानकारी हो वह सामने आ जाय । मुझे भी वहां जाने का इत्तफाक हुआ था । कुछ मैंने सुना और कुछ देखा । मेरा खयाल है कि ऐसा करने से इन्क्वायरी के कार्य संचालन में सहायता होगी बजाय इसके कि कमीशन किसी प्रकार प्रिजुडिस्ड हो ।

एक बात मुझे यह भी गुजारिश करनी है कि कानपुर के सिलसिले में जो इन्क्वायरी हुई, ईश्वर जाने उसका क्या हश्र हुआ और वह कब शुरू हुई । तो अब सरकार की तरफ से साफ साफ आना चाहिये कि कितना वक्त लगेगा । यह सही है कि हाईकोर्ट के जज मजबूर हो जायं और उनके सामने एक हजार शहादतें आ जायं और देर लगे लेकिन सरकार की तरफ से अनुमानित समय का एलान होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---एक-एक प्रश्न का जवाब ले लीजिये। बहुत से प्रश्न एक साथ न मिलाइये। अभी दो प्रश्न सामने आये हैं। एक तो राजनारायण जी का है जिसमें वह टर्म्स आफ रिफरेन्स की बाबत जानना चाहते हैं और दूसरे श्री त्रिलोकीसिंह जी ने यह प्रश्न उठाया कि यह इन्क्वायरी 'ओपेन' होगी या 'इन कैमरा' होने का विचार है। मैं समझता हूं कि इस विषय में स्पष्ट नियम होंगे ही, लेकिन तो भी, अगर सूचना नहीं है किसी माननीय सदस्य को नियमों के संबंध में, तो माननीय नेता सदन इस विषय में स्पष्टीकरण दे दें। एक तो टर्म आफ रेफरेन्स के बारे में और दूसरे इन्क्वायरी ओपेन होगी या किसी और प्रकार की, उसमें जिरह करने का अधिकार होगा, एवीडेंस देने का अधिकार होगा, इत्यादि बातों के बारे में बतला दें।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, इतना मैं निवेदन कर दूं कि यह जो कमीशन बैठाया गया है यह उन कई जांचों से भिन्न प्रकार का है जो कानपुर में या और कहीं की गईं। इसको हमने बैठाया है "दि कमीशन आफ इन्क्वायरी" ऐक्ट ६० आफ १९५२ के मातहत। इसमें स्पष्ट तरीके पर कहा गया है कि---

"Any proceeding before the Commission shall be deemed to be the judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 of the Indian Penal Code (Act XLV of 1860)."

जैसी जूडिशियल प्रोसीडिंग होती है वैसी ही यह है और होगी। फिर इसके सेक्शन ४ में लिखा हुआ है :---

"4. The Commission shall have the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908), in respect of the following matters, namely :

(*a*) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath.

(b) requiring the discovery and production of any document.

(*c*) receiving evidence on affidavits.

(*d*) requisitioning any public record or copy thereof from any Court or office.

(*e*) issuing commissions for an examination of witnesses or documents.

(*f*) any other matter which may be prescribed."

इसके माने यह हैं कि पूरा-पूरा अधिकार कमीशन को होगा। उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं है हमारी तरफ से सिवाय सेक्शन ८ के, जो इस प्रकार है---

"8. The Commission shall subject to any rules that may be made in this behalf, have power to regulate its own procedure (including the fixing of places and times of its sittings and deciding whether to sit in public or in private) and may act notwithstanding the temporary absence of any member or the existence of a vacancy among its members."

वह पूरे तौर से जिसको चाहें बुलावें और जो चाहें करें।

जहां तक टर्म आफ रेफरेंस की बात है उसके लिए सरकार को एक नोटिफिकेशन निकालना होता है। वह आज निकलेगा और उसके अन्दर पूरे पूरे जाब्ते से लीगल तरीके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पर टर्म आफ रेफरेंस लिखे होंगे। लेकिन जो प्रेस स्टेटमेंट निकल गया है उसमें टर्म आफ रेफरेंस लिख दिये गये हैं। और उसमें लिखा है कि पुलिस के अधिकारियों के कामों के बाबत कोई चीज हो, उनके कंडक्ट की बाबत कोई बात हो, वह सब कमीशन देख सकता है। कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जो कमीशन के क्षेत्र से बाहर हो। हर चीज का पूरा-पूरा अख्तियार कमीशन को होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच की, जाब्ते की कार्यवाही के संबंध में जिस सवाल को आपने माननीय नेता विरोधी दल को उठाने की इजाजत दी, वैसा ही एक सवाल मैं भी करना चाहता हूं और वह यह है कि जांच के समय क्या सरकार यह इरादा रखती है कि जिन अधिकारियों की जांच होने वाली है उन अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाय ताकि जांच सहूलियत से हो सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं वहां जा कर वहां की की हालत देखने के बाद लौटा हूं। वहां पर जो आतंक व्याप्त है उसको देखते हुए मेरे इस प्रश्न को ही सूचना मान कर क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जो अधिकारी वहां पर हैं, और उसके लिये मैंने उनको एक पत्र भी लिखा है, उनका ट्रांसफर किया जायगा वहां से ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने नाहीं कर दी है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। प्रयाग में बहुत बड़ी घटना हुई है और एक हाईकोर्ट के जज साहब इसकी जांच के लिये नियुक्त किये गये हैं। इस सदन की प्रतिष्ठा और मर्यादा किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज्यादा है। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप कौन सा उपाय बताते हैं कि जिसके द्वारा यह सदन भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके ? मैं इसकी व्यवस्था आप से चाहता हूं। आपने कामरोको प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया, लेकिन फिर मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन-सा तरीका बताते हैं ताकि हम अपनी बातों को व्यक्त कर सकें। हमारी जो जानकारी है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उसको हम कैसे कहें, इसको आप बताइये।

***श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने जो बतलाया इंक्वायरी के लिये, तो जहां तक इंक्वायरी का संबंध है वह तो होगी ही, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि जब तक वहां का मौजूदा हाकिम है, अधिकारी है, तब तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां कोई जांच नहीं हो सकती क्योंकि इस समय मैं वहां से आया हूं। इस समय भी वहां कोशिश की जा रही है कि कोई आदमी अपने घर से न निकले और एक व्यक्ति भी अगर इधर उधर की बात करता है तो उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि इंक्वायरी बैठने के पहले वहां क अधिकारी हटा दिये जायं और सस्पेंड कर दिये जायं तब कोई इंक्वायरी बैठे।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि आपने कहा कि सरकार ने एक जुडीशियल इंक्वायरी बैठा दी है और.....

श्री अध्यक्ष---आप कुछ पूछना चाहते है तो पूछिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण--इस कहने में ही पूछना हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष--मतलब यह है कि घटना के बारे में कुछ मत कहिये ।

श्री राजनारायण--आपने जो व्यवस्था दी उस संबंध में नहीं कह रहा हूं । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो जुडीशियल इन्क्वायरी होगी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कानून की दफा पढ़ दी और उसके मुताबिक, जो व्यवस्था दी हुई है, माननीय जज उसी सीमा में बंध करके चलेंगे । मेरा कुछ ऐसा खयाल है और स्पष्ट मत है, आपका भी यही मत होगा और सदन के सम्मानित सदस्यों का भी होगा कि जनतन्त्र की व्यवस्था किस ढंग से विकसित हो । इस रूप की इंक्वायरी की व्यवस्था कोई पूर्व में नहीं हुई और आज जिस ढंग की फायरिंग हो रही है उससे जनतन्त्र ही खतरे में पड़ रहा है, तो क्या इस सदन के सम्मानित सदस्यों का कुछ कर्त्तव्य होगा कि वह अपना मत इस सदन में प्रकट करें ?

श्री अध्यक्ष--किस विषय में ?

श्री राजनारायण--जैसा कि हमारा कहना है, आप जानते होंगे कि निहत्थी जनता के ऊपर गोली चलाई जा रही है, वह नहीं चलानी चाहिए । आप देखें कि जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी तो भी सन् ५४ में इसने थानू पिल्लै से इस्तीफा मांगा था।

श्री अध्यक्ष--मैं आपकी कठिनाई समझता हूं, उसका जवाब देता हूं ।

एक तो राजनारायण जी ने यह कहा कि निहत्थे आदमियों पर गोली नहीं चलनी चाहिए, यह बात सदन मान ले । उसके लिये रास्ता सीधा है कि इस आदरणीय सदन में कोई भी असरकारी प्रस्ताव आ सकता है कि प्रदेश में किसी वक्त में गोली नहीं चलनी चाहिए । मैं समझता हूं कि जनतंत्र की सरकार है । अगर बहुमत होगा तो वह प्रस्ताव पास हो जायगा और सरकार को उसके अनुसार चलना होगा वरना यह सरकार अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देगी और उसे सौंप देगी जो ऐसे प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए समर्थ होंगे । यह तो तरीका उसका सिद्धान्त मनवाने के हिसाब से है, लेकिन जब तक अभी भिन्न नियम बने हुए हैं उसमें आज तक यही मांग होती है कि अगर कोई घटना गोली चलने की हो गयी, उस पर सरकार एक बात कहती है या सरकार के अफसर एक बात कहते हैं और जनता के प्रतिनिधि और अन्य लोग हैं , उनका मत होता है कि घटना भिन्न प्रकार की हुई, अत्याचार हुआ या बिला वजह गोली चलायी गयी इत्यादि । इस कारण यही मांग होती थी कि जुडीशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि सरकार अपना मत कहेगी और सरकारी अफसरों से जो खबर आती है उसके आधार पर कहेगी इस कारण स्वतंत्र न्याय करने का जो काम है वह कोई जुडीशियल अफसर करे । सब लोग इसकी मांग करते थे । उस मांग की पूर्ति अबकी दफा सरकार ने कर दी और जुडीशियल अफसर के जिम्मे इस बात को कर दिया कि वह सब बातों की जांच करके सही बात क्या है घटना के संबंध में, वह बतावें और यह भी मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, आफिसर्स के कांडक्ट के बारे में, कि उन्होंने अगर कोई ज्यादती की है गोली चलाने में या और तरह से, उसके बारे में भी उस जुडीशियल इंक्वायरी में जज साहब अपना फैसला देंगे । तो अब तक जितनी जांचें हुई हैं, कमिश्नर की जांच के बारे में विरोधी दल के नेता ने संकेत किया था, उसमें और इसमें भिन्नता है और पूरा अधिकार इस कमीशन को है कि अपना प्रोसीज्योर वह तय कर ले। इससे मतलब यह है कि क्रास एग्जामिनेशन करने के संबंध में, और चीजों के संबंध में जितनी बातें हैं वह उसी हाई कोर्ट के जज के सामने यह प्रश्न उपस्थित करके और उनके द्वारा ही प्रोसीज्योर थोड़ा बहुत और व्यापक बनाया जा सकता है, इतना अधिकार उनको है प्रोसीज्योर के संबंध में, जो कि आपकी मांग है । उसी तरह से यह अगर लोग समझ

[श्री अध्यक्ष]

कि गवाही हासिल होने में कोई अफसर बाधक होता है, उसकी भी शिकायत, मैं समझता हूं उस जज के सामने, उसका अटेंशन ड्रा करके बातें उसके सामने आ सकती हैं और उसके साथ-साथ सरकार के सामने भी लायी जा सकती हैं। अभी तो यह सिर्फ शंका ही है कि अफसर मदाखलत करेंगे, लेकिन जिस समय कमीशन बैठ जायगा उस वक्त यह अपेक्षा की जाती है कि अपने हित में ही अफसरान बाधक नहीं होंगे। अगर वे बाधा उपस्थित करेंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्यवाही हो सकती है, इस डर के मारे शायद वह ऐसा न करें। और अगर करते हैं तो यह भी संभव है कि उस अदालत के सामने शिकायत की जाय कि जांच किसी दूसरे जिले में कर दी जाय, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वह जांच इलाहाबाद में ही हो। तो यह मांग उस अवस्था में लोग अदालत के सामने भी रख सकते हैं और सरकार के सामने भी रख सकते हैं।

श्री झारखंडे राय जी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में जो कहा, मैं समझता हूं कि कई दफे गोली कांड हो चुके हैं, कोई यह पहला मौका नहीं है और हर गोली कांड के वक्त में सदन ने अपनी भावनायें व्यक्त की हैं। और एक भावना जैसी कि राजनारायण जी ने अभी व्यक्त की, उसी प्रकार सिद्धान्त भी उपस्थित हो चुके हैं।

श्री राजनारायण--हमने हमेशा इस्तीफे की मांग की है, लखनऊ में भी और कानपुर में भी, क्योंकि हमारा सिद्धान्त है कि निहत्थी जनता पर गोली न चले।

श्री अध्यक्ष--तो ऐसे सिद्धान्त बराबर सदन के सामने कहे गये हैं। जो घटनायें होती रहीं उनके संबंध में यहां चर्चा होने पर मैंने तो कभी नहीं देखा कि उसमें विरोधी दल और सरकार में मतैक्य हो गया हो यानी वे एकमत हो गये हों। विरोधी दल हमेशा कहता रहा कि अन्याय और ज्यादती हुई, और सरकार की तरफ से कहा गया कि सही तौर पर कार्य किया गया। तो इसका कभी निर्णय नहीं हो पाया इस आदरणीय सदन में। तो इस आदरणीय सदन में जो बात या वाद-विवाद हम कई दफा कर चुके हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकला और कोई बात न्याय की सिद्ध नहीं हुई वही निरर्थक बात झारखंडे राय जी चाहते हैं कि आज भी हो। न्याय करने के लिये हमेशा यह मांग रही है कि ऐसी घटना की जांच करने के लिये कोई तीसरा व्यक्ति होना चाहिए और वह जूडिशियल आफिसर होना चाहिए और वह बात आज स्वीकार कर ली गयी है। फिर भी अगर कोई घटना का अतिरंजित वर्णन यहां हो जिससे वातावरण भी बिगड़ सकता है तो मेरे दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि जब अदालत के सामने मामला हो तो यहां पर ऐसी बातों की चर्चा करना, फिर अदालत उससे चाहे प्रभावित हो या न हो, एक प्रकार से अदालत के दिमाग के ऊपर जबरदस्ती बोझ डालना होगा। अखबार में यहां के भाषण निकलेंगे कि फलां ने यह कहा, फलां ने वह कहा, इस तरह से अदालत के शान्त वातावरण में विचार करने में अड़चन पड़ती है। उस तरह की अड़चन नहीं पैदा होनी चाहिए। हमारे यहां नियम ११० भी है और ६० भी है। ११० में यह लिखा है—

"No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any Commission or Court of Enquiry appointed to enquire into or investigate any matter shall ordinarily be permitted to be moved :

Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the Tribunal or Commission or Court of Enquiry."

यह नियम मोशन के बारे में है । नियम ६० इस प्रकार से है :—

"साधारणतया ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हों जो किसी न्यायिक या अर्द्ध-न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हों ।"

तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि झारखंडेराय जी ने जो प्रश्न किया वह अभी संवरण करें इस विषय पर बहस करने की इच्छा को और जिस समय कि कमीशन की रिपोर्ट सदन में आये उस वक्त मुमकिन है कि उस रिपोर्ट पर उस समय आदरणीय सदन को बहस करने का मौका हो सकता है और उसे पढ़कर सदस्य कह सकते हैं कि अमुक आफीसरों ने ज्यादती की है और रिपोर्ट के अनुसार यह भी हो सकता है कि आफीसरों ने कोई ज्यादती नहीं की है तो सरकार कह सकती है कि न्याय किया गया है । इसलिये इस वक्त हमें खामोश ही हो जाना चाहिये ।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैंने आपसे एक दूसरी बात निवेदन की थी जिस पर आपने यह आज्ञा दी थी लेकिन मेरा निवेदन है कि नियम ५७ के अन्तर्गत चाहे यह सदन कोई निर्णय न ले लेकिन जिस किसी को अगर कोई जानकारी है उसको यहां कह दे, तो किसी प्रकार से इंक्वायरी प्रीजूडिस नहीं हो सकती , इसके अनेक प्रमाण हैं ।

श्री अध्यक्ष—मैंने जो कुछ कहा शायद अपने सुना नहीं । मैंने कहा था कि मेरी यह स्पष्ट राय है कि चाहे सदन की बहस से कोई प्रभावित हो या न हो, लेकिन इस प्रकार की बहस शांत वातावरण में विचार करने के लिये जो जांच बैठी है, उसके लिये अड़चन पैदा कर सकती है । इसलिये मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि इस तरह की कोई इजाजत दी जाय और इस तरह की बहस हो । वह तो फैसला मैंने कर दिया । अगर सरकार से इस विषय में कुछ पूछा जाय और घटना के बारे में सरकार भी कुछ सूचना देना चाहे, अपने आफीसरों के कार्य के बारे में या उन्होंने सरकार को जो रिपोर्ट भेजी है उसके संबंध में तो भी मैं सरकार को वैसी सूचना देने की इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि इस वक्त तो एक हाईकोर्ट का जज मुकर्रर हो गया है । वही घटना के बारे में जांच करेगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैंने आज इसके बारे में अखबारों में जो विज्ञप्ति देखी उसके बारे में क्या मैं आपके द्वारा यह जान सकता हूं कि उसमें जो टर्म्स आफ रिफरेंस निकले हैं क्या उनमें हम लोग अपना सुझाव दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—आज तक जो कुछ उन्होंने किया है उसके बारे में तो उन्होंने जवाब दे दिया । आप माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्टीकरण कर सकते है और उनको अपने सुझाव भेज सकते हैं ।

श्री झारखंडेराय—मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं । जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे गोलीकांड की जांच कराना उचित समझा है तो क्या उनसे मैं इस चीज की आशा नहीं कर सकता हूं, इसलिये कि सरकार में जनता का विश्वास हो, जो कमीशन वहां नियुक्त किया गया है , उसकी जांच बिलकुल निष्पक्ष और सही हो और उस की जांच पर दूर दराज प्रभाव भी न पड़े और जनता उसे वैसा माने तो क्या इसके लिये यह जरूरी नहीं है कि जो उच्चाधिकारी वहां पर हैं, उनको अगर सस्पेन्ड न किया जाय तो कम से कम वहां से हटा दिया जाय । जनता के इस प्रकार के भावों को मानने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---अभी उन्होंने अपनी राय दे दी कि उनका क्या इरादा है। आपकी भावनाएं भी उनके कान तक पहुच गयीं, मैं समझता हूं कि वे उन पर विचार करेंगे, मैंने यह भी बता दिया कि बाद में भी आपको मौका हो सकता है, यदि आप इस तरह की अड़चन देखें तो उस अदालत के सामने इस तरह की दरखास्त आप दे सकते हैं और उस वक्त सरकार से भी मांग कर सकते हैं कि अफसरों के कारण अमुक-अड़चन पड़ रही है उस वक्त मुख्य मंत्री जी उस पर अवश्य विचार करेंगे। वे विचार नहीं करेंगे, ऐसी मेरी धारणा नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार ने यह जरूरी समझा और बहुत जल्द इस पर फैसला लिया कि यह घटना ऐसी हुई है जिसमें एक हाईकोर्ट के जज द्वारा जांच होने की आवश्यकता है तो उससे जाहिर है कि सरकार के जहन में कुछ ऐसे वाकयात अवश्य होंगे जिनसे प्राइमाफेसी केस बनता होगा और वह इस नतीजे पर पहुंची होगी कि मामला गंभीर है। ऐसी हालत में उन अधिकारियों को उसी स्थान पर रहने देना उचित नहीं मालूम होता। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और जरूरी समझता हूं कि आपकी इजाजत से इस आदरणीय सदन के सदस्यों को यह कहने का हक होना चाहिये कि वहां जो प्रजेंट ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप है उसको उस जिम्मेदारी की जगह से जिस जगह पर रहते हुए उनके द्वारा यह घटना घटी, पृथक किया जाय। मैं सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, उनको किसी भी जगह पर भेज दें, मुझे मलाल नहीं होगा लेकिन जब प्राइमाफेसी केस मालूम होता है तब उन्हें उस स्थान से हटा देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---आप दोनों ही तरफ से आर्गू न कीजिये। एक तरफ तो मांग भी करें कि जांच हो और दूसरी तरफ कहें कि प्राइमाफेसी केस सिद्ध है। इस कारण जांच न बैठायी जाय।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की बात सुनी मैंने। जब एक ओर से इतनी मांग है और यह भी दृढ़ है जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये जैसा आपने कहा, शांत वातावरण भी कुछ चाहिये। शान्त वातावरण जिस स्थान पर घटना हुई है, वहां भी होना जरूरी है और उस शान्ति के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि अगर लोगों के अन्दर क्षोभ है और विश्वास है कि जिन अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार की घटना हुई है, और जिन पर उसकी जिम्मेदारी है उन अधिकारियों के रहते हुए वहां कैसे शान्ति होगी यह भी आप सोच लें। और उस शान्ति के लाने के लिये यह आवश्यक है कि सरकार इन माननीय सदस्यों की बात को और वहां के लोगों की भी मांग को स्वीकार करते हुए वहां के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दे। मैं उनके सस्पेन्ड करने की बात नहीं कहता हूं ....

श्री अध्यक्ष---यही बात सभी कह चुके हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार बतलावे कि वह किन कारणों से उनका ट्रांसफर नहीं करना चाहती है?

श्री अध्यक्ष---इसका तो जबाब उन्होंने दे दिया। जब कामरोको प्रस्ताव से यह प्रश्न संबंधित है तो मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। प्रोसीजर के बारे में किसी को कुछ कहना हो इसलिये मैंने इसके लिये थोड़ी चर्चा का समय दे दिया। अब इस पर किसी को बोलने के लिये समय नहीं दिया जायगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि जब तक वहां पर ....

श्री अध्यक्ष---आपने कहा था उसका जबाब तो उन्होंने दे दिया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---मैंने मुख्य मत्री को बता दिया था कि जब तक ये अधिकारी वहां रहेंगे तब तक आयकी जांच बिलकुल निष्फल रहेगी और वहां के लोग तब तक सतुष्ट नहीं होंगे। आप वहां पर दूसरा जलियां वाला बाग न बनाइये। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार वहां जलियां वाला बाग और न बनवाये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---मेरा श्रीमन्, यह व्यवस्था का प्रश्न है कि जब आप एक माननीय सदस्य को बोलने के लिये पुकारते हैं परन्तु उस पर भी जब कोई अन्य माननीय सदस्य बोलने लग जाते हैं तो कृपा कर वह कार्यवाही एक्सपन्ज हो जानी चाहिए, जब आप की एक रूलिंग हो चुकी तो उसके पश्चात् यह डिस्कशन नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि यदि मैं किसी को बोलने की इजाजत नहीं देता हूं और कोई माननीय सदस्य बोलते रहते हैं तो ऐसी दशा में उतनी कार्यवाही को एक्सपन्ज कर दिया जाय। इस विषय में मैं पहले भी निर्णय दे चुका हूं कि अगर इस तरह से कोई सदस्य मेरे रोकने पर भी भाषण करता रहता है तो वह भाषण कार्यवाही में नहीं जायगा और अगर अध्यक्ष उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हमेशा कोई इस तरह की कार्यवाही करना आवश्यक ही है, ऐसी बात नहीं है। जहां तक इन प्रश्नों की बात है मैंने स्वयं सीमा निर्धारित कर दी कि घटना के संबंध में चर्चा नहीं होगी और माननीय सदस्यों ने भी कृपा कर वह नहीं की है। केवल कुछ लोगों ने प्रोसीजर के बारे में थोड़ी चर्चा की है और मैंने भी उनको थोड़ा-सा मौका राय देने का दे दिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, उनके कान तक उनकी आकाक्षाएं पहुंच जायं परन्तु अब काफी चर्चा हो चुकी अब इससे अधिक चर्चा की इजाजत मैं नहीं दूंगा। यदि कोई और महत्वपूर्ण बात हो तो आप कह सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर के बारे में भी अब काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री झारखंडेराय---श्रीमन्, आप ने माननीय मुख्य मंत्री जी को हमारी जो आकांक्षा थी, जो हमारे प्रश्न थे उनका उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं किया। हमारे यहां कहावत है कि मौन स्वीकृति का लक्षण होता है, क्या हम उन के मौन को इसी रूप में समझें कि वह हमसे सहमत हैं? या कुछ और समझें?

श्री अध्यक्ष---जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ भी आप थोड़ी सी हमदर्दी रखें कि उन्होंने जब इतना काम किया है तो वह आप की भावनाओं का विचार न करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके लिये उपस्थित प्रश्न में तत्काल कोई निर्णय लेना कठिन है, क्योंकि देखना होता है कि किसी के साथ अन्याय न हो जाय, सब बातों का खयाल करना पड़ता है, चारों तरफ की सब चीजें देखकर कोई कदम वे उठा सकते हैं। यही सब समझ कर मैंने अभी उनको कुछ कहने के लिये बाध्य नहीं किया है, वह तमाम 'प्रोस एण्ड कांस' देखकर निर्णय लेंगे। फिर भी मैंने आप को रास्ता बता दिया कि आप को अदालत के सामने शिकायत पेश करने का अधिकार रहेगा।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय मेरा विचार है कि यदि उन हत्यारों के, उन अधिकारियों के, रहते हुए जांच होती है तो वह जांच एक तरफा और अधूरी रहेगी और इस नीति के विरोध में मैं १ घंटे के लिये सदन का परित्याग करता हूं।

(समाजवादी दल के सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ऐसे अधिकारियों से इस्तीफा भी नहीं मांगती और न वहां से उन जिलाधीश को हटा रही है और न उन घायल व्यक्तियों के लिये किसी तरह के मुआवजे का प्रबन्ध कर रही है तो ऐसी सरकार के साथ बैठकर कार्यवाही में हिस्सा लेने के बजाय इस अन्यायपूर्ण सरकार के रुख के कारण हम भी एक घंटे के लिये सदन का त्याग करते हैं।

(सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी के सदस्य भी सदन से बाहर चले गए।)

श्री त्रिलोकीसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं तो बैठा ही हूं। पेशतर इसके कि आप दूसरा कामरोको प्रस्ताव लें मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि बावजूद आप के संकेत करने के और बावजूद उन भावनाओं को सुनने के जो इधर के बैठने वालों की तरफ से प्रकट की गई और बावजूद इसके कि प्राइमाफेसी केस उन अधिकारियों के खिलाफ बनता है कि जिन्होंने लाठी चार्ज या फायरिंग कराया और जिसके लिये हाईकोर्ट जज द्वारा इंक्वायरी कमीशन की जरूरत समझी गई फिर भी माननीय मुख्य मंत्री ने मुनासिब नहीं समझा कि उन लोगों को उस जगह से हटाया जाय। ऐसी हालत में हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इसको खामोशी से बरदाश्त करें। इसलिए इसके प्रतिवाद स्वरूप हम इस सदन की कार्यवाही से १५ मिनट के लिये सदन का परित्याग करते हैं।

(प्रजा सोशलिस्ट दल के सदस्य भी सदन से बाहर चले गये।)

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की ओर से जो कामरोको प्रस्ताव आया और माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से जिस न्याय की हम आकांक्षा करते थे उसको न पाकर हम भी, जनसंघी इसके विरोध स्वरूप सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य भी सदन से बाहर चले गए।)

श्री झारखंडेराय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आप से निवेदन किया था कि मौन सम्मति का लक्षण होता है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने उदारतापूर्वक कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं इस एटीच्यूड का विरोध करता हूं और पूरी पार्टी के साथ एक घंटा के लिए वाक आउट करता हूं।

(श्री झारखंडे राय अपनी पार्टी के साथ सदन से बाहर चले गए।)

नन्दगांव में पुलिस द्वारा गोलीकांड के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव था मथुरा के संबध में कि पुलिस द्वारा नन्दगांव में गोलीकांड हुआ। अनिश्चितता के आधार पर मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है। वैसे तो मेरा इरादा था कि नियम ५२ के अनुसार नन्दगांव के संबंध में जानकारी देने के लिये मंत्री जी से कहूं, लेकिन जिन लोगों ने उसको पेश किया है वह उपस्थित नहीं हैं।

नियम ५२ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री अब्दुल रऊफ लारी और श्री चन्द्रजीत यादव दोनों मौजूद नहीं हैं इसलिये उनके उठाए हुए प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और भी लोग उपस्थित नहीं हैं जिन्होंने कि प्रश्न उपस्थित किये हैं इसलिये उनके भी प्रश्न समाप्त किये जाते हैं।

नियम ५२ के अंतर्गत किरावली तहसील में वाटर लागिंग के फलस्वरूप भयंकर परिस्थिति के संबंध में न्याय मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---परसों मैंने कहा था कि विश्वेश्वरानन्द जी के प्रश्न के बारे में आज माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, लेकिन आज के बजाय अब कल जवाब दें, क्योंकि विश्वेश्वरानन्द जी इस वक्त मौजूद नहीं हैं। वह प्रश्न अबेट नहीं होगा, क्योंकि वह स्वीकार हो चुका है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी के अधीन प्रख्यापित† आज्ञा, १९५९

राजस्व उपमंत्री (श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल)—मैं उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५८ की धारा ५० की उपधारा (१) के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (कठिनाइयों का निवारण) आज्ञा, १९५९ को उक्त धारा ५० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षणार्थ सूचना

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक नियम ५२ के अन्तर्गत नोटिस दिया था आज सुबह उसके संबंध में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—जब मैंने कहा कि कोई हाजिर नहीं है तो आपने ध्यान नहीं दिलाया। मैंने समझा कि सब विरोधी पार्टी के ही नोटिस हैं ।

श्री नेकराम शर्मा ने नियम ५२ के अन्तर्गत यह नोटिस दिया है:—

"प्र० नि० के नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । लोक महत्व का प्रश्न यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अतरौली (अलीगढ़) में स्थानीय पुलिस अधिकारियों की ज्यादतियों के कारण ता० ३० अगस्त से बाजार बन्द है और बहुत से प्रतिष्ठित नागरिक गिरफ्तार करके थाने में तारीख ३० से बन्द हैं । वहां पर दफा १४४ लगा दी गई है यदि शीघ्र सरकार ने कोई उचित कदम न उठाया तो जनता के असंतोष की सीमा उल्लंघन होकर हालत और भी बिगड़ जायेगी ।"

अब चूंकि और कोई मेरे पास बाकी नहीं है और सब से ज्यादा महत्व का यही बाकी रह जाता है इसलिये मैं संबंधित मंत्री जी से कहूंगा कि यदि उनके पास सूचना हो तो आज वक्तव्य दे दें वरना किसी और रोज दे दें ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—श्रीमन्, यह प्रश्न बहुत देर में मिला है । अभी कोई सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—कल दे देंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कल तो शायद नहीं दे सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष—तो परसों के लिये मैं इसे निश्चित करे देता हूं ।

प्रस्तावक के जानबूझ कर सदन से अनुपस्थित रहने की दशा में उस प्रस्ताव के लेने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्रम उपमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य कोई प्रश्न सदन में उपस्थित कर चुका हो और जब वह प्रश्न आया तो उस वक्त वह सदस्य यह जानते हुए भी कि उस दिन के कार्यक्रम में उसका प्रश्न है, सदन में उपस्थित न रहे तो उस प्रश्न को दूसरे दिन के लिये स्थगित करने की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष—आवश्यक नहीं है, लेकिन एकोमोडेट करने का सवाल है । जैसे जब कभी कोई मंत्री जी सदन में नहीं होते हैं तो मैं कह देता हूं कि वह दूसरे दिन उत्तर दे दें ।

आज कोई विशेष घटना हुई है जो आपको स्पष्ट ही दिखाई देती है । हां तो ऐडजर्नमेन्ट मोशन से संबंधित घटना की बात थी, मैंने पहले दिन कहा था कि मंत्री जी इस विषय पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं । उन्होंने खुद आज का समय मांग लिया था

---

† छापो नहीं गयो ।

[श्री अध्यक्ष]

तो उनको अगर मैंने ऐकोमोडेट किया था तो वह सदस्य अगर आज मौजूद नहीं हैं तो उनको मैंने आज ऐकोमोडेट कर लिया। वैसे उनके लिए स्थगित करना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन मैंने स्थगित न करना उचित नहीं समझा।

भावी कार्य-क्रम के संबंध में जानकारी की मांग

श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—मैंने जो सूचना मांगी थी सदन के कार्य-क्रम के संबंध में वह सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी दे दें

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं पहले इस सप्ताह का कार्यक्रम निवेदन कर दूं। माननीय माल मंत्री जी ने यह कहा था कि इस समय जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत संबंधी आरोपण विधेयक चल रहा है उसपर विवाद करने के लिये ५ दिन दिये जायेंगे। एक दिन हो चुका है २७ को। ४ दिन और बाकी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ३१,१,२ और ३ को वह चलेगा। ४ तारीख को सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) विधेयक, १९५९ लिया जायगा। और वह भी अगर उस तारीख को खत्म नहीं हुआ तो मैं सदन से कहूंगा कि ५ तारीख को भी बैठें क्योंकि आर्डिनेंस निकला था और उसकी आखिरी तारीख ६ सितम्बर है। अगर एक ही दिन में हो गया तो शनिवार को बैठने की आवश्यकता नहीं होगी।

हमारा अनुमान है कि सदन को १० तारीख तक बैठना होगा।

विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय में वृद्धि की मांग

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति ने अपना प्रतिवेदन देने के लिये समय और चाहा है। उस संबंध में जो यहां पर घटना पहले हुई थी और कुछ सोशलिस्ट सदस्यों के विरुद्ध जो जांच हो रही है उसका प्रतिवेदन देने के लिये मैंने ३१ अक्तूबर, १९५९ तक समय बढ़ा दिया है।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् के लिये सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—माननीय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में कार्य करने के लिये वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १९ की उपधारा (१) की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में कार्य करने के लिये वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १९ की उपधारा (१) की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—इसके अनुसार मैं यह कार्य-क्रम निश्चित करता हूं :

नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय—३ सितम्बर, १९५९ को सायंकाल ५ बजे तक।

नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय—४ सितम्बर, १९५९ को साढ़े दस बजे सचिव के कमरे में।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ८ सितम्बर , १९५९ सायंकाल ५ बजे तक ।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में दिनांक १०–९–५९ को १२ बजे से ५ बजे तक होगा ।

इलाहाबाद, गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा सैनिक शिक्षा परिषद् के लिये दोबारा निर्वाचन कराने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना और देना चाहता हूं । इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा सैनिक शिक्षा परिषद् के लिये जिन सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में चुनाव हुआ था उसका फल मैं घोषित नहीं कर रहा हूं । उसका कारण यह है कि मेरे पास इस बात की शिकायत आई है कि एक सदस्य उसमें ऐसे थे, सैनिक शिक्षा परिषद् में, श्री सुखीराम भारतीय, जिनके नाम के आगे यह दे दिया गया था कि वे जनसंघ के हैं और पार्टीज में कुछ इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग बतलायी गयी थी कि एक विरोधी दल का चुना जाना चाहिये और एक कांग्रेस का होना चाहिये लेकिन उक्त गलती से दोनों कांग्रेस वाले चुन गये । उसकी वजह से दूसरी पार्टियों का यह कहना है कि इससे पार्टियों में आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास होगा और फिर यह न हो कि भविष्य में समझौते होने पर भी सिंगिल वोटिंग के जरिये अपने अपने आदमियों को वोट करना शुरू हो जाय, इसलिये जो विश्वविद्यालय गोरखपुर और इलाहाबाद के सम्बन्ध में आपस में तसफिया हुआ था वोटिंग के सिलसिले में लोग यह कहेंगे कि उनमें भी गलत तरीका अख्तियार किया गया । यद्यपि कायदे में तसफिया करने की कोई चीज नहीं आती, लेकिन आदरणीय सदन की यह प्रथा रही है, मैं देखता रहा हूं कि चुनाव न हो इसलिये आपस में पार्टियां तसफिया कर लेती हैं । उस तस्फिये को मान्यता न देना, उसका खयाल न करना या उसमें किसी को धोखा हो गया है किसी वजह से तो मैं ऐसी अवस्था में चुनाव को अनुचित समझता हूं । इसलिये मैं थोड़ी सी जांच करना चाहता हूं । यदि ऐसी कोई गड़बड़ी हो गयी हो तो मैं समझता हूं कि आदरणीय सदन मेरा चुनाव फल घोषित न करना इस समय अनुचित नहीं समझेगा । शायद फिर से चुनाव हो जाना उचित होगा नहीं तो परस्पर विश्वास पार्टीज में न रहे तो आइंदा समझौते का रास्ता फिर रुक जाता है ।

*उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—अब न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर,कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ को इस सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, विवाद होगा ।

श्री महीलाल भाषण दे रहे थे, उनका भाषण जारी रहेगा ।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन के गत कार्य दिवस के अन्तिम समय में मैंने अपने विचारों के द्वारा यह प्रकट करने का प्रयत्न किया था कि प्रस्तुत विधेयक एक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है और उस विधेयक के लाने के जो उद्देश्य व कारण दिये गये हैं वे उससे भी ज्यादा महत्व के हैं और मैं आपकी आज्ञा से यदि

---

*२० अगस्त, १९५९ की कार्यवाही में छपा है ।

†२७ अगस्त, १९५९ की कार्यवाही से ।

[श्री महीलाल]

यह भी निवेदन करूं तो अनुचित नहीं होगा कि इस विधेयक की आवश्यकता व महत्ता वर्तमान समय में और भी बढ़ जाती है जब कि हमारे देश व प्रदेश की खाद्य समस्या एक जटिल रूप धारण किये हुए हो।

मान्यवर, एक बात इस सिलसिले में कहते हुए और भी अधिक दुख: होता है कि जिस देश के ७२ प्रतिशत लोग कृषि पर अपना जीवन निर्भर करते हों और उनका मुख्य उद्यम कृषि हो, उसके बाद भी देश के सामने अनाज की कमी रहे तो इस कारणवश इस विधेयक का महत्व बड़ा न्यायोचित और बड़ा व्यापक हो जाता है। मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक के उद्देश्य के सम्बन्ध में जो शब्दावली है वह थोड़ी-सी पढ़ कर सुनाना चाहता हूं और उससे मेरा तात्पर्य यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य पूरा-पूरा यह था कि हम समाज के दुखी और पीड़ित भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के वर्ग को आराम देंगे, उनको एक मान का स्थान देंगे। मान्यवर, आरम्भ यहां से किया गया है —

"भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को यथासम्भव मात्रा में भूमि उपलब्ध करा कर उसका अधिक साम्यपूर्ण वितरण करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से तथा सहकारिता के आधार पर खेती की व्यवस्था करने और भूमि के प्राप्य साधनों का संरक्षण इस प्रकार बनाये रखने के विचार से कि राजकीय फार्मों में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से खेती करके उत्पादन में वृद्धि की जाय . . । अतएव समाज के दुर्बल वर्ग के आर्थिक हित की उन्नति करने तथा सार्वजनिक कल्याण के हेतु यह विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है।"

मैं जोर दे रहा हूं "साम्यपूर्ण" शब्द पर। तो साम्यपूर्ण वितरण करने वाला विधेयक हमारे सामने यह विधि लाता है कि जो भूमि मिलेगी उसका वितरण इस प्रकार किया जायगा कि एक व्यक्ति को साढ़े १२ एकड़ ज्यादा से ज्यादा दी जाय। दूसरी ओर यह विधेयक १८० एकड़ तक एक व्यक्ति पर भूमि छोड़ता है। मान्यवर, आप ही विचार करने की कृपा करें कि यह कितना साम्यपूर्ण वितरण है कि एक ओर तो अधिक से अधिक साढ़े १२ एकड़ और दूसरी ओर बागों को छोड़ कर, उद्योग की भूमि को छोड़ कर, यह चाहे जितनी हो ,केवल कृषि के लिये १८० एकड़ तक जैसा मैंने निवेदन किया, यह साम्यपूर्ण वितरण लाया गया समाज के दुर्बल-वर्ग के आर्थिक हित की उन्नति करने के लिये। और वह दुर्बल वर्ग कौन-सा है? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का जिनका पेशा एकमात्र खेती पर ही काम करना है और उनके बाप-दादे का हमेशा से रहा है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस विधेयक पर और उसके उद्देश्य और कारणों पर पुन: गम्भीरतापूर्वक विचार करने की कृपा करें, क्योंकि उद्देश्य और कारण और विधेयक के बीच में परस्पर एक साम्य होनी चाहिये जो मैं इस विधेयक में नहीं पाता।

दूसरी बात मैं आप के द्वारा खेतिहर मजदूरों की जो स्थिति उस समिति ने दी है अपनी रिपोर्ट में जो भारत सरकार ने एक खेतिहर मजदूर जांच समिति बिठाई थी उसके बारे में कहना चाहता हूं। उसके आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि आज भूमि उन लोगों के पास नहीं है जो भूमि पर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज की जो हमारी खाद्य स्थिति है, आज का जो हमारा आर्थिक संकट है, आज हमारे भूमि के बटवारे में जो विषमता है वही उसका मुख्य कारण है और इसलिये मुख्य कारण है कि आज के कृषि के अर्थशास्त्रियों ने यह अपना स्पष्ट मत दे दिया है कि बड़ी जोतों में छोटी जोतों की अपेक्षा उपज कम होती है और यह आज के ही अर्थ शास्त्रियों ने नहीं बल्कि हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी यही परामर्श दिया था। जो कि उनका लेख १५ फरवरी, १९४२ के "हरिजन" में निकला था। उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि बड़े फार्मों में प्रति एकड़ उपज कम और छोटों में अधिक। यह हमारे राष्ट्र पिता पूज्य बापू के शब्द हैं और मैं विशेष रूप से स्वतंत्र दल के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जिनके भाषणों को मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि पूज्य बापू जी के

स्वप्नों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, इन शब्दों के बाद उनके पास कोई उत्तर नहीं रह जाता है कि इस हदबन्दी विधेयक का विरोध करें या सीमा निर्धारण का विरोध करें।

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि पूज्य बापू और आज के कृषि के अर्थ-शास्त्री भी इस बात के साक्षी हैं कि जहां तक हो सके छोटी जोतें होनी चाहिये और बड़ी जोतें देश तथा राष्ट्र के हित में नहीं हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं एक और प्रमाण आपके द्वारा मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं कि वह कृषि उपज प्रतियोगिता के प्रति वर्ष के आंकड़ों को मंगा कर देखेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा, वह देखेंगे कि प्रथम और द्वितीय पुरस्कार ज्यादा पैदावार करने में छोटी जोत वालों ने ही पाये हैं, वह बड़े फार्म वालों ने नहीं प्राप्त किये हैं। यह लगातार कई वर्षों के सरकारी कार्य का अनुभव है और आंकड़े इसके प्रमाण हैं। मैं आशा करता हूं कि जब मंत्री जी उत्तर देंगे तो कृषि विभाग से आंकड़े मंगाकर देखेंगे कि मेरी बात सत्य है या नहीं। मेरी यह जानकारी है, बावजूद इसके कि जब कोई किसान किसी फसल प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उसे जमानत जमा करनी पड़ती है। फिर भी बड़े फार्म वालों के मुकाबिले में छोटे किसान ही इनाम पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि ४० एकड़ की सीमा के प्रश्न पर आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पुनः विचार करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरी बात अधूरी रह गयी थी। उस समय मैं कह नहीं पाया कि खेतिहर मजदूर जांच समिति की रिपोर्ट हमारे सामने यह तथ्य लाती है कि १९ प्रतिशत वह खेतिहर लोग हैं जिनके पास एक बिस्वा जमीन भी नहीं है लेकिन खेती पर काम करते हैं। १३.६ प्रतिशत वह लोग हैं जिनके पास एक एकड़ तक भूमि है, १७.३ प्रतिशत वह लोग हैं जिनके पास १.२५ एकड़ भूमि है, १७ प्रतिशत वह लोग हैं जिनके पास २.५ एकड़ से लेकर ५ एकड़ तक भूमि है। बात बहुत लम्बी हो जायगी इसलिये मैं संक्षेप में ही कहता हूं कि ५ प्रतिशत से कम पर १/३ जमीन है। कुल २/३ किसानों पर केवल १५ प्रतिशत भूमि है। ३/४ किसान जिनके पास एक एकड़, सवा एकड़, ढाई एकड़ और पांच एकड़ तक जमीन है, उनका स्तर जो साधारण गरीब का स्तर है उससे भी नीचा गिरा हुआ है। तो हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि हम उसको तमाम प्रश्नों पर प्राथमिकता दें और इस प्रश्न को हल करें। केवल इस प्रश्न को एक छोटा-सा प्रश्न मान कर या छोटे आदमियों का सवाल मान कर नहीं छोड़ देना चाहिये इसलिये कि कोई भी छोटी से छोटी चीज को छोटी नहीं समझना चाहिये। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण यह हैं कि काठ से भी अग्नि पैदा हो जाती है। यह वर्ग जो गरीब हैं, जिसकी आर्थिक दशा दयनीय है, अगर उनके प्रश्न को हमने हल नहीं किया तो वह प्रश्न एक बड़ा गम्भीर प्रश्न हो कर हमारे सामने आ सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण बहुत लम्बा हुआ जा रहा है इसलिये मैं अब इस विधेयक के सिलसिले में विशेष रूप से माननीय मंत्री जी के सामने अपनी कुछ कठिनाइयां व परेशानियां रखना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मजबूर किया ऊपर की सब बातें कहने के लिये। परिवार की परिभाषा हर कानून के साथ बदलती चली जाती है। जब भी हमारे भूमि सम्बन्धी अधिकारों के सम्बन्ध में संशोधन आया परिवार की परिभाषा बदलती चली गयी। बदलते-बदलते यहां तक लाकर रख दिया कि यदि मेरे पांच नाबालिग बच्चे हैं उनके नाम ४०, ४० एकड़ जमीन कर दी है तो वह जमीन उनकी हो गई। धारा ३ (ग) का स्पष्टीकरण यह कहता है 'इस खंड के प्रयोजनों के लिये बच्चा उस दशा में पृथक समझा जायगा जब भूमि पृथक रूप से उसके नाम अभिलिखित हो।"

मान्यवर, अब मैं कैसे आशा करूं कि जहां इतनी उदारता बड़े फार्मों को कायम रखने के लिये बर्ती गयी हो वहां पर खेतिहर मजदूरों के लिये कोई भूमि मिल सकेगी। आगे विधेयक में यह कहा गया है कि उद्योग के लिये प्रयोग में आने वाली भूमि सीमा-निर्धारण से छोड़ दी जायगी। चीनी उद्योग के फार्म इस विधेयक के मुताबिक उद्योग की परिभाषा में आते हैं। हमारे गृह विभाग के उप-मंत्री महोदय गर्दन हिला रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यदि ऐसा नहीं है

[श्री महीलाल]

तो जहां पर और चीजों की परिभाषा की गई है वहां पर औद्योगिक भूमि की भी परिभाषा हो जानी चाहिये कि किस-किस उद्योग की भूमि उद्योग के काम में लगी समझी जायगी।

दूसरी जो मैं इसमें कमी पाता हूं कि वह यह कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों पर आधारित उनकी दशा सुधारने के लिये विधेयक विशेष रूप से लाया गया है और उनकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है कि कौन खेतिहर मजदूर होगा ? १८० एकड़ के एक किसान का लड़का कहता है कि मैं तो भूमिहीन हूं जब कि बाप की जमीन बेटे के हक में जाने वाली है। बाप की जमीन पर काम करता है लेकिन उसक बाद भी कह सकता है कि मैं तो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हूं, मेरा अधिकार भी उस भूमि पर होना चाहिये जो जमीन सीमा निर्धारण से निकली है। इसलिये इसमें स्पष्ट होना चाहिये था कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर कौन होगा और किस को अधिकार होगा सीमा-आरोपण के बाद प्राप्त हुई जमीन को पाने का। इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सिलसिले में इतनी बात और आवश्यक समझता हूं कि सीमा के बाद जो भूमि मिले जब तक वह समय नहीं आ जाता समाज में कि सब को भूमि सहकारी समिति की भूमि हो और हमारा समाज उसके लिये तैयार नहीं होता है उस समय तक यह अपनत्व और स्वत्व का अधिकार भूमिहीन खेतिहर मजदूर को भी मिलना चाहिये। भूमि उनके नाम पर हो उसके बाद उन की सहकारी समिति बने और जैसे एक किसान को अधिकार होगा एक कृषि सहकारी समिति में सम्मिलित होने के बाद अपने को उससे अलग करने का अपनी जमीन के साथ, वैसे ही उन भूमिहीन मजदूरों को भी अधिकार होना चाहिये जिनको कि इस सीमा-आरोपण के बाद भूमि प्राप्त होती है सहकारी समिति से अलग होने का।

मान्यवर, विधेयक की धारा १३ की उपधारा (५) में कहा गया है कि वह भूमि जिस पर बाग हो इसके अन्तर्गत भूमि नहीं है। वह छोड़ दी गई है जिस पर बाग हो। अब बाग कौन-सा हो ? अभी मैं कल अपने जिले से आ रहा हूं मेरे जिले में एक बहुत बड़े फार्म के मालिक ने ६० एकड़ बाग का उद्घाटन कराया कल या परसों। अब मैं नहीं जानता कि जिस बाग का उद्घाटन कल हुआ है वह बाग रहेगा या उसकी ४० एकड़ जमीन में शामिल होगा, क्या होगा ? एक बात इस सिलसिले में कही जाती है . . .

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—उद्घाटन किसने किया ?

श्री महीलाल—कोई होंगे स्वतंत्र दल के सदस्य जिन्होंने किया होगा। तो इस सिलसिले में एक बात कही जाती है कि अधिक पेड़ों की आवश्यकता राष्ट्र के लिये है और इसके सिलसिले में दलील यह दी जाती है कि ३३ प्रतिशत भूमि पर हमारे यहां वृक्ष होने चाहिये और इस समय तक हमारे यहां वनों को मिलाकर कुल केवल ११ प्रतिशत भूमि पर वृक्ष हैं। राष्ट्र का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, माननीय मंत्री जी ने भी देखा होगा कि हजारों एकड़ जमीन सड़कों के किनारे खाली पड़ी है और उन पर पेड़ नहीं है जब कि दोहरी लाइनें पेड़ों की उन पर लग सकती हैं। भूमि-हीन खेतिहर मजदूरों को पहुंचने वाली जमीन में से ही काट कर उस कमी को क्यों पूरा किया जाय ? अगर सरकार इस कमी को पूरा करना ही चाहती है तो इस प्रश्न को एक महत्वपूर्ण प्रश्न समझ कर सड़कों के किनारे पेड़ लगवाये और वह कमी उससे पूरी हो। उस से राष्ट्र हमारा क्षति से बचेगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुईं।)

इतना ही नहीं, इस प्रश्न को लेकर धारा १६ में अधिष्ठात्री महोदया, यह भी कहा गया है कि यदि किसी किसान की कुछ जमीन सीमा के बाहर हो जाती है और वह सरकार के पास आ जाती है उदाहरण के तौर पर १२८ एकड़ का बाग तो उस के पास रह जाता है और उसके बाद १०० एकड़ जमीन सरकार के पास आ जाती है तो धारा १६ के मुताबिक इसमें से वह १० एकड़

जमीन वापिस ले सकता है कि यह काश्तकार उस जमीन में बाग लगा ले। इस तरह से १३८ एकड़ जमीन उसके पास हो जाती है। मेरा निवेदन यह है कि जिस उद्देश्य को ले कर, जिस कारण को ले कर और जिस समाज की मांग को ले कर यह विधेयक आया है और नागपुर में बैठ कर हमारे देश के नेताओं ने जिस विचार से यह फैसला लिया है वह हमारा विचार पूरा-पूरा कार्यान्वित होना चाहिये। उसके लिये हमारा यह विधेयक ही एकमात्र आधार है। यदि इसमें कमी रह जाती है तो हम नागपुर के फैसले को, जो कि समाज के लिये अत्यन्त आवश्यक है और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिये एक मात्र सहारा है, पूरा नहीं कर पायेंगे।

सहकारी खेती जिसके विषय में न केवल मैं और आज के अर्थशास्त्री बल्कि राष्ट्र-पिता ने भी, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, स्पष्ट कहा है कि "मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें खेती से तब तक पूरा लाभ नहीं होगा जब तक कि हम सहकारी खेती न अपना लें" यह पूज्य बापू के शब्द हैं जो १५ फरवरी, सन् १९४२ के हरिजन में निकले हैं। उनकी राय थी कि जमीन की मिल्कियत सहकारी हो। केवल सेवा सहकारिता की बात उन्होंने नहीं कही। यहां तक उन्होंने कहा कि जमीन की मिल्कियत सहकारी हो और काम भी सहकारी हो तो जमीन का रूप ही बदल जायगा और गरीबी दूर हो जायगी और सहकारी खेती का उद्देश्य मशीनीकरण नहीं होगा। अधिष्ठात्री महोदया, मैंने सदन का समय अधिक लिया। मैं अपने पूरे-पूरे विचारों को सरकार तक पहुंचाने के लिये मजबूर था। इसलिये मैंने अपनी भावना को प्रकट किया है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से आशा करूंगा कि वह इस विधेयक को पूरा करने के लिये विचार करें और इसीलिये वह इसको संयुक्त प्रवर समिति में ले जा रहे हैं। आशा है वह मेरे इन विचारों को अपने सामने रखेंगे और न केवल इन विचारों को बल्कि अपने उद्देश्य को सामने रखेंगे। इसके उद्देश्य और कारण को सामने रखते हुए इस पर विचार करेंगे और संशोधन के बाद इसकी महत्ता और सुधारों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद पुनः इस सदन में लायेंगे।

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मुझे अफसोस है कि इस वक्त हमारे माल मंत्री महोदय मौजूद नहीं है लेकिन मेरा खयाल है कि मेरी स्पीच की रिपोर्टिंग मे हरबानी करके सही की जायगी ताकि वह इसको पढ़ लें। उस दिन मैं इधर बैठा ही था कि विधेयक पेश हुआ। एक राजा साहब ने कुछ बातचीत की तो राजा साहब पर अटैक किया गया और हम पर भी कुछ छींटा-कशी की गई और यह फरमाया कि जिस वक्त जमींदारी प्रथा तोड़ी जा रही थी तो उस वक्त सीताराम शुक्ल एक किताब लिख रहे थे और वह यह कहते थे कि जमींदारी प्रथा न तोड़ी जाय। खैर, उन्होंने यह भी फरमाया कि उनके किताब लिखने से बड़ी मदद मिल गयी। किताब लिखी थी कि जमींदारी न तोड़ी जाय लेकिन वह तोड़ दी गयी। तो उनका कहना गवर्नमेंट के फायदे का ही हुआ करता है, यह उन्होंने फरमाया था। मैं इस तरह जवाब देने का आदी नहीं हूं। अगर कोई गलती करे तो मैं भी गलती करूं, ऐसी बात मैं नहीं करता। मेरा तरीका यह है कि यह बहुत अच्छे आदमी हैं मैं इनसे भी अच्छा आदमी हूं। यह तरीका मेरा नहीं है कि चूंकि वे खराब आदमी हैं इसलिये मैं अच्छा आदमी हूं। खैर, मैं अपनी बात छोड़ता हूं, लेकिन अधिष्ठात्री महोदया, उस दिन जब विधेयक पेश किया गया था, माननीय महीलाल जी बोल रहे थे और बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं इस विधेयक के लिये सरकार को बधाई देने के लिये तैयार नहीं हूं। इस पर हमारे माल मंत्री जी ने फरमाया था कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। ताज्जुब है कि उस कुर्सी पर बैठने के बाद भी लोग इतनी कर्टसी नहीं जानते, इतनी तहजीब नहीं जानते कि किस बात का जवाब किस तरह से देना चाहिये। मैं उधर से यहां आ कर बैठा हूं और मुख्य मंत्री जी का मेरे पास खत आया है। उन्होंने पहले भी लिखा था। मैंने लिखा था कि यह वजह हैं कि मुझे कांग्रेस छोड़ देना चाहिये .....

एक सदस्य---कर्टसी यह है कि इस सदस्यता से इस्तीफा देकर फिर लड़िये और तब बैठिये।

श्री सीताराम शुक्ल---इस असेम्बली की सीट को सीताराम ठोकर मारता है। जिस करेक्टर के बल पर यह सीट मुझे मिली उसको छोड़ने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। मेरी राय है कि यह मेम्बरी मुझे छोड़ देनी चाहिये, किन्तु कुछ मेरे मित्रों की ऐसी राय नहीं है। असेम्बली की मेम्बरी सीताराम शुक्ल को प्यारी नहीं है। यहां मेम्बरी करके २०० रुपया माहवार मिलता है, अगर मैं घर जाकर वहां का काम देखूंगा तो दो हजार रुपया माहवार मिलेगा। आप इसे जानते नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता---आप अपनी स्पीच पर ही रहिये।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मैं असेम्बली की मेम्बरी पर ठोकर मारता हूं। क्या पार्लियामेंटरी सिस्टम में यह कहने का अधिकार है? यह हाउस की मान मर्यादा का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता---ठोकर मारने का मतलब उनका त्याग करने से है।

श्री सीताराम शुक्ल---मेरा मतलब यही था। असेम्बली की मेम्बरी अच्छी चीज है, लेकिन ईमानदारी को छोड़ कर मुझे असेम्बली की मेम्बरी नहीं चाहिये। अगर मेरी इज्जत पर ठेस लगती है तो मैं बड़ी खुशी से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं और दे भी दूंगा। मेरी राय भी यही है कि देना चाहिये, लेकिन दोस्तों की राय कुछ और प्रकार की है जिसे मैं अभी बतलाना नहीं चाहता। उनका खयाल है कि अभी नहीं देना चाहिये, जब इस्तीफा मांगा जाय तब विचार करना चाहिये। तो मुख्य मंत्री जी का खत मेरे पास आया कि कांग्रेस मत छोड़ो और जो चाहो सो बोलो, पूरी आजादी है। लेकिन मैंने अर्ज किया कि आप मुख्य मंत्री हैं, किन्तु प्रधान मंत्री की राय है कि जो इत्तफाक न करता हो उसको छोड़ देना चाहिये, लिहाजा अफसोस के साथ, दुख के साथ मुझे छोड़ना पड़ा। मगर खैर, आप जो चाहें सो कहें।

मेरा दिल कांग्रेस में है, सिर्फ कलम, जबान और दिमाग इधर आया हुआ है क्योंकि मैं देखता हूं कि वहां रह कर मैं मुल्क की खिदमत नहीं कर सकता। वहां रह कर अपनी आजाद राय भी नहीं दे सकता। कहा जाता है कि यहां रह कर अपनी बात कह लीजिये, शिकायत कर लीजिये, लेकिन अफसोस तो यह है कि वहां रह कर अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। आप तो पार्टी में रह चुकी हैं, आपने देखा होगा, पार्टी मीटिंग चल रही है, जल्दी-जल्दी खत्म किया जाता है, काम की बात कहने का मौका नहीं मिलता. (व्यवधान) जरा तहजीब सीखिये (व्यवधान) ..वहां की हर स्पीच पर इंटरप्शन हो सकता है....

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य अपने विषय पर बोलें। यह चीज यहां पर कहने की नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर वे इंटरप्ट करेंगे तो जवाब उसका देना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा रहा तो उधर की भी कोई स्पीच नहीं होने पायेगी, अगर बिला वजह इंटरप्ट किया जायगा मैं अर्ज करता हूं, जरा सुनने की मेहरबानी कीजिये और जरा सोसाइटी में बैठना सीखिये कि वहां किस तरह बोला जाता है। मेरे पास आज भी खत आया है मुख्य मंत्री जी का कि मुझे दुःख है कि आपने कांग्रेस छोड़ दिया है, कांग्रेस को और हमारे दोस्तों को छोड़ दिये हैं। आप यहां मजाक करते हैं, जरा तहजीब सीखें। चिट्ठी मौजूद है, हुक्म हो तो पढ़ दूं।

अब मुझे मतलब पर आने दीजिये। उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे चिट्ठी लिखने से हमारा काम चल गया। ताज्जुब है कि हमारे मंत्री महोदय को विचार करने का अवसर नहीं मिलता। मैं उनके पास भी गया था और कहा था कि आप सदन में रहियेगा, मुझे बोलना है, लेकिन वह नहीं रहे। मुझे आशा है कि उन तक मेरी बात पहुंच जायगी। उनका खयाल है कि सीताराम का किताब लिखना बेकार गया--चिट्ठी लिखना, किताब लिखना भाषण देना बेकार

गया। यह उनको बड़ा धोखा है। अगर आपका अच्छा काम है, ठीक काम है तो इस लखनऊ के चुनाव का नतीजा देखिये कि क्या हुआ है। नैनीताल जहां पंडित पंत का घर है, क्या नतीजा हुआ है १९५२-५७ में ? इलाहाबाद जहां पंडित जवाहर लाल नेहरू का मकान है वहां क्या नतीजा हुआ है ? आगरे में क्या नतीजा हुआ, वाराणसी में किस तरह से सीट जीती गयी है और मेरे सामने इंटरप्ट करते हो और दस्तखत दूसरी तरफ करते हो कि सरकार खराब है। ९८ मेम्बरों ने इस तरह के दस्तखत किये हैं कि यह सरकार खराब है, यह सरकार भ्रष्टाचारी है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य से पहले कह चुकी हूं कि अपने विषय पर बोलें, ये विषय से बाहर की बातें हैं।

श्री सीताराम शुक्ल—यह बिल्कुल उसी पर आती हैं जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने फरमाया था। तो मैं कहता हूं कि आपको सार्टिफिकेट आपकी पार्टी के ९८ मेम्बरों ने दे दिया है, बाहर की कौन कहे। १९२४ में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही थी, वहां से वाक आउट करके कुछ मेम्बर बाहर चले गये। वोटिंग हुई, प्रस्ताव पास हुआ तो गांधी जी ने कहा कि वह कागज पर प्रस्ताव पास होता है लेकिन दरअस्ल फेल हो गया। जिन लोगों न वाक आउट कर दिया था उनको अगर जोड़ देते हैं तो प्रस्ताव फेल हो गया। तो उस नतीजे को देखने के बाद भी आपको पता नहीं है कि हवा किधर जा रही है। मेहरबानी करके छींटाकशी के बजाय अपनी तरफ देखिये, सोचिये और फिर कदम उठाइये। मैं चाहता था कि सरकार समाजवाद की बुराई को समझे, मैंने इस पर लिखा, बाहर तथा इस सदन में बोला, बराबर बोलता रहा, बजट पर और प्रस्तावों पर अपने विचार (व्यूज) दिये कि समाजवाद से नुक्सान होगा, फायदा नहीं होगा। हमेशा कहता रहा और उसके बाद भी कांग्रेस समाजवाद की तरफ बढ़ती रही।

१२ साल हो गये अधिष्ठात्री महोदया। १२ साल ठोकर खाने के बाद एक अजीब घटना घट गयी। महाराणा प्रताप तो ३० साल जंगलों में मारे-मारे फिरते रहे, इसलिये मेरी हिम्मत नहीं टूटती थी। लेकिन मुझे ३० साल नहीं भटकना पड़ा, मेरे सामने तो ३० साल का रेकार्ड राणा प्रताप का था। १२ साल के अन्दर ही मुझे, राजगोपालाचारी मिल गये जिनके कैरेक्टर, समझ-बूझ और पांडित्य, त्याग की बराबरी दूसरा नहीं कर सकता है। उन जसा लीडर हमको मिला। हमको मुंशी मिले जो यहां के एक्स-गवर्नर थे। हमको मोदी मिले, और साथी मिले। तो जब वह मिले तो फ्लोर क्रास किया और बाहर हो गया। आपने अभी देखा कि और सब विरोधी लोग बाहर चले गये, किन्तु सीताराम वहीं बैठा रहा। सीताराम बेवकूफी में साथ नहीं देंगे। बात ठीक होगी तो साथ देंगे, गलत काम कोई करेगा तो सीताराम साथ देने के लिये तैयार नहीं हैं। तो इंसाफ की निगाह से गौर कीजिये तभी आपका काम चल सकता है। मैं बड़ी खुशी से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, बड़ी मुहब्बत से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह जो इन्टरप्ट कर रहे हैं, शायद जेल जाने की गल्ती नहीं की है। जब बिगुल बजा था तब लड़ाई से भाग गये थे और यहां बहस कर रहे हैं। मैंने गरीबों के लिये, मजदूरों के लिये, किसानों के लिये, मुल्क के लिये कांग्रेस का साथ दिया। आज मुझे मालूम हो जाय कि समाजवाद से मुल्क की भलाई होगी, ज्वाइन्ट फार्मिग से और कोआपरेटिव फार्मिंग से मुल्क की भलाई होगी तो बड़ी खुशी से मैं कहूंगा कि मेरी राय गलत थी। लेकिन आज मैं अपनी राय पर चल रहा हूं। मैं बड़े गौर से व्याख्यान सुनूंगा और अगर मेरी राय बदल गई तो तो मैं उसको बदलने के लिये तैयार हूं लेकिन सिर्फ पार्टी अनुशासन (डिसिप्लिन) या किसी बड़े आदमी ने कह दिया, इसलिये मानने को तैयार नहीं हूं। मैंने बहुत देखा, बहुत समझा, पं० जवाहरलाल जी हमारे नेता बहुत अच्छे हैं, उनकी वैदेशिक नीति बहुत अच्छी है। मैं पूछता हूं कि क्या यही लीडरी है कि मैं कम्यूनिज्म के न खिलाफ हूं और न मुवाफिक ? उन्होंने रूस, अमरीका, चीन, इंग्लैंड सभी देशों में घूमा है और उसके बाद भी अपनी राय नहीं कायम कर सकते कि यह चीज अच्छी है या बुरी है। काश्मीर से पाकिस्तान

[श्री सीताराम शुक्ल]

की फौजें भाग रही थीं और हमारी फौजें आगे बढ़ रही थीं लेकिन उन्होंने जाकर सीज फायर करा दिया, लड़ाई रोक दी ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य विधेयक पर बोलें, मैं उनसे दो दफा कह चुकी हूं ।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं उसी पर बोल रहा हूं । बिना इन बातों को कहे इस बिल का जवाब भी कैसे दिया जा सकता है ? अंग्रेजों ने पाकिस्तान को बनाया । हमारे लीडर ने कह दिया कि कश्मीर में रेफ्रेन्डम होगा जनमत लिया जायगा, यह जानते हुये भी कि क्या वोट मिलेंगे । फिर क्या तमाशा हुआ, उनकी एक गल्ती के कारण हमारे मुल्क को भुगतना पड़ता है । आज हमारे बार्डर पर चीन की फौज खड़ी है, पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलती हैं, एक आदमी की गल्ती की वजह से । इसलिये इस पर गौर करना पड़ेगा, मेरी प्रार्थना है कि हमें समाजवाद के मामले में गौर करना चाहिये, रीजन दिया जाय । कहा जाता है और ठीक कहा जाता है कि किसी के पास हजार बीघे जमीन है, किसी के पास ५०० बीघे और किसी के पास एक बिसुवा भी नहीं, यह मुनासिब नहीं है । किसी के पास लम्बी खेती हो, कोई तकलीफ में रहे, कोई मोटर, हवाई जहाज पर चले और किसी के बच्चे के पैर में जूता न हो, किसी के यहां कुत्ते गोश्त खायें और किसी के बच्चे को पानी न मिले, पानी दूर से लाना पड़े, यह बड़ी गलत बात है । सबको बराबर करना चाहिये, छीन लेना चाहिये ताकि सब खायें, यह बिल्कुल सही है और ठीक है ।

(व्यवधान)

छेड़ने से मेरा नुकसान नहीं होता । अगर वह कोई प्वाइन्ट कहेंगे तो उसका जवाब मिलेगा ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--एक व्यवस्था का प्रश्न है । क्या इस आदरणीय सदन के लिये यह शोभा की बात है कि एक माननीय सदस्य यह फर्मायें कि १२ हजार रुपया लेकर उधर चले गये ?

श्री अधिष्ठाता--यह किसने कहा, मैंने तो सुना नहीं ।

श्री सुरथबहादुरशाह--यह आवाज कम से कम २० सदस्यों ने इधर सुनी है । जो माननीय सदस्य मुंह पर हाथ लगाये हुये बैठे हैं, उन्होंने कहा है ।

श्री अधिष्ठाता--ऐसा कहा तो बहुत अनुचित है ।

श्री सुरथबहादुरशाह--क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि माननीय सदस्य अपने वह शब्द वापस लेने की हिम्मत करें ?

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला फर्रुखाबाद)--अधिष्ठात्री महोदया, सीताराम शुक्ल जी ने कहा था कि वह २०० रुपये पर ठोकर मार सकते हैं, उनको दो हजार मिल सकते हैं तब मैंने कहा था कि क्या दो हजार मिले इसीलिये चले गये । मैं तो उनसे प्रश्न पूछ रहा था ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--अब बात बहुत संगीन हो गई है और रेकार्ड पर भी आ गई है । इस सदन की मर्यादा को देखते हुये ऐसी बात कम से कम यहां नहीं की जानी चाहिये चाहे उनका मतलब कुछ भी रहा हो ।

श्री अधिष्ठाता--उनका मतलब यह नहीं था कि २०० रुपये माहवार वह लेते हैं ।

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमती जी, उन्होंने अपना अनुभव बताया जो इस आदरणीय सदन की मर्यादा, सम्मान और परम्परा के विरुद्ध है। मैं चाहूंगा कि वह अपने शब्द वापिस लें। इसमें उनकी कोई जिल्लत नहीं है, बल्कि तारीफ है।

श्री अधिष्ठाता---ऐसा कहना तो अनुचित ही है। मैं माननीय शुक्ल जी से शुरू से ही कह रही हूं कि विषय पर ही बोलें।

श्री सुरथबहादुरशाह---विषय पर बोलना दूसरी बात है। माननीय सदस्य उसे इकबाल भी कर चुके हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उनसे कहें कि वे इन शब्दों को वापस लें। यह इस सदन की, आपकी और सबकी मर्यादा के विरुद्ध है।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---अधिष्ठात्री महोदया, जब आप व्यवस्था दे चुकी हैं तो उन्हें वापिस लेना चाहिये। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो क्या यह आपका अपमान नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता---मैंने वापस लेने को नहीं कहा। मैंने कहा कि यह बात अनुचित है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने यह शब्द कहा है वह स्पष्ट करदें कि उनका मंशा क्या था।

श्री रामकृष्ण जैसवार---मेरा यह मंशा नहीं था कि वह २,००० रुपये लेकर उधर चले गये। सीलिंग पर भाषण देने से माननीय सदस्य कह रहे थे कि २०० रुपये को ठोकर मारकर वह २,००० रुपये माहवार कमा सकते हैं। मेरी नीयत यह नहीं थी कि उन्होंने २,००० रुपये ले लिये हैं।

श्री अधिष्ठाता---ठीक है।

श्री सीताराम शुक्ल---मंशा केवल नहीं देखा जाता है। शब्द देखे जाते हैं। मैं कहता हूं कि बिना रिश्वत लिये कई हजार रुपया माहवार म कमा सकता हूं। कलम मेरी है, आर्टिकिल लिख सकता हूं, किताब लिख सकता हूं। छोटा-सा फार्म भी है जिस पर सीलिंग का कोई असर नहीं पड़ सकता है। आप जानती हैं कि हमारे कई एक मिनिस्टर ऐसे हैं जो बाहर बीस हजार रुपया माहवार कमा सकते हैं लेकिन यहां १,२०० रुपये पर हैं क्योंकि जनसेवा का अवसर मिलता है। किन्तु ऐसे भी हैं जिन्हें २० रुपये भी बाहर नहीं मिल सकते और यहां बैठे हैं। यह इत्तफाकन है।

जब सरकार ने खेती को कम करने का उसूल माना है तो ४० एकड़ भी नहीं रहेगा। इसी सदन में पहले ३० एकड़ पास हुआ, फिर कहा कि यह ज्यादा है तो साढ़े बारह कर दिया जाय। अभी महीलाल जी ने कहा था कि ४० एकड़ ज्यादा है, रिऐक्शनरी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं किन्तु सबके पास ४ एकड़ भी नहीं रहेगा, ६ एकड़ भी नहीं रहेगा और इससे भी कम होगा। क्योंकि किसी के २ लड़के होंगे, किसी के ४, किसी के ज्यादा होंगे। कोई भाई का हक मार गया, तो फिर ऊंचा-नीचा होंगे। नतीजा यह होगा कि पूरे गांव को संयुक्त खेती करनी होगी। उसमें दिक्कत यह होगी कि कोई सुपरवाइजर होगा, कोई सेक्रेटरी होगा और कोई प्रेसीडेंट होगा। कोई वहां देवता नहीं होगा सब आदमी ही होंगे। अपने विरोधियों का विरोध करेंगे और समर्थकों का समर्थन करेंगे।

जब जमींदारी थी तो अगर कोई किसी के चपत मार दता था तो उस पर ३२३ का मुकदमा चल सकता था लेकिन अब पंचों को इतना हक है कि किसी से दावा करा दें और डिक्री कर दें और मियाद बीतने पर कुर्की होती है। वहां ५०० रुपये तक डिक्री हो जाती है। अगर वहां किसी किसान के ऊपर सरपंच की त्यौरी बदल गई तो वह उसे उजाड़ सकता है। मैं ताकत

[श्री सीताराम शुक्ल]

देने के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन किसके हाथ में वह जाती है, इस पर जरा-सा गौर करें। दोनों फरीक मुंसिफ से कहते हैं कि सरकार हमारा मुकदमा पंचायत में न भेजो, आप ही कर दो। अदालत कहती है कि नहीं हम नहीं कर सकते, इसे पंचायत में ही जाना होगा। आपको मालूम होगा कि मैंने ही अपने इस्तीफे में लिखा है कि अंगूठे की निशानी किसी की, नाम किसी का और पैसा किसी का। चन्द आदमियों को छोड़कर शेष फर्जी मेम्बर बनाते हैं तो लीडर साहबान तो करें ४२०, और पटवारी, कुर्क अमीन और थानेदार ईमानदार रहें। मैं सबको नहीं कहता। हमारे शुक्ल जी माइक पकड़ रहे हैं। इसमें देवता भी बैठे हैं लेकिन राक्षस भी हैं? तो आप करें तो अच्छाई के लिये कि किसानों की आमदनी बढ़े, ज्वाइंट खेती हो, फिर सवाल होगा कि अलग-अलग सबका खाना ही क्यों बने? अलग-अलग सबकी आग ही क्यों जले? हमारे दोस्त तो जेलखानों में रह चुके हैं वे जानते हैं कि तेल आता है तरकारी बनाने के लिये, जाकर बिकता है बाजार में। कैदियों को नहीं मिलता था। बी क्लास के पोलीटिकल सफरर जेल में एक साथ रहे, अगल-अलग ग्रुप होते गये, तो यह मामला इसी प्रकार बढ़ सकता है। अब तक मैं सीरियस रहा। अब कुछ हंसने के लिये अर्ज करूं। कांग्रेस के ही एक मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर साथ खेती करते थे, अब बटवारे की दरख्वास्त लगी है। वे दोनों एक साथ खेती नहीं कर सकते, किन्तु साहब बहादुर कहते हैं कि जनता ज्वाइन्ट खेती करें। दिक्कत यह होती है। खाली रोटी कपड़े से काम नहीं चलने का है। इससे तो और झगड़ा बढ़ेगा।

रेलवे सरकार की है। एक की जगह पर चार-चार मजदूर हो गये। जब कंपनी की थी तो सरकार को एक अरब रुपया टैक्स का मिलता था और अब ११ करोड़ रुपया मिलता है जब कि सेकिंड और थर्ड का किराया दुगुना हो गया, फर्स्ट का ज्यों का त्यों है। लड़के बेटिकट चलते हैं और डर के मारे स्टेशन मास्टर बोलते नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सीताराम शुक्ल जी अपने विषय पर ही बोलें।

श्री सीताराम शुक्ल--जरा गौर करें, मैं दलील दे रहा हूं। समाजवाद का चित्र खींच रहा हूं। जब से नेशनलाइजेशन हुआ है रेलवे का तब से किराया दुगुना हो गया है। आचार्य कृपलानी ने कहा कि जब हम घूस देते हैं तभी खद्दर की गांठ 'इधर से उधर जा सकती है।

श्री अधिष्ठाता--यह समाजवाद का प्रश्न नहीं है। मैं शुरू से ही कहती आयी हूं कि आप विषय पर ही बोलें, लेकिन आरम्भ से अभी तक आपने विषय को टच भी नहीं किया है।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं तो अपनी अक्ल से विषय पर ही बोल रहा हूं। अगर आप हुकुम दें तो बैठ जाऊं। मैं कह रहा था कि हर गांव में गांव सभा होगी और सब लोग मजदूर हो जायंगे। सरकार मालिक होगी। मजदूरों में यह हो सकता है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका ज्यादा हिस्सा होगा। वह गांव का मालिक हो सकता है। उसका हाथ से काम करना बंद हो जायगा। सुपरवीजन रह जायगा। उससे भी अच्छा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जायगा। समाजीकरण और सीलिंग के बाद ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। लेकिन कलेक्टर साहब चाहें कि किसी गांव सभा में जाकर बोल दें कि सरकार का इस प्रकार सुधार हो सकता है, तो बोल नहीं सकते। चाहे कैसी ही लाभ की बात वह समझते हों लेकिन न लिख सकते हैं और न बोल ही सकते हैं। तात्पर्य कि जब तक मनुष्य अपने इच्छानुसार बोल नहीं सकता तब तक आदमी कहां है? तो मेरी गुजारिश है कि आदमी आदमी तब होता है जब वह पैसे से निश्चत होता है। मैं यह नहीं कहता हूं, यह श्लोक कहता है--

विद्या ददाति विनयम्, विनयाद्याति पात्रताम्।
पात्रत्वात् धनाप्नोति, धनाद्धर्मम् ततः सुखम्॥

विद्या से विनम्रता पैदा होती है, विनम्रता से योग्यता उत्पन्न होती है, योग्यता से धन मिलता है और धन मिलने के बाद आदमी धर्म करता है और जब धर्म करता है तो उसको खुशी होती है। अब तो धर्म करने का रास्ता ही नहीं रह गया है। "वह डाल ही न रही जिस पै आशियाना था।" आदमी सिर्फ मशीन के लिये नहीं है, सिर्फ खाने के लिये ही नहीं है। जब उसे खा के लिये हो, रहने के लिये बंगला हो, बगीचा हो, मोटर हो, उड़ने के लिये हवाई जहाज हो तो इससे उसको शारीरिक आराम मिलता है, किन्तु परोपकार से आध्यात्मिक आराम मिलता है। जब दान करता है, खैरात करता है और परोपकार करता है तब उसे खुशी होती है। मेरी गुजारिश है कि जब आदमी रोटी के सवाल से निश्चित होता है तभी वह इस तरह का कोई कार्य कर सकता है।

जब स्वराज्य की लड़ाई का बिगुल बजा तो उसमें बेचारे गरीब किसान और मजदूर नहीं आये, क्योंकि वे समझते थे कि हम जेल चले जायेंगे तो हमारे बच्चे क्या खायेंगे लेकिन जिन के सामने रोटी का कोई सवाल नहीं था वे उस लड़ाई में शरीक हुये। तो मेरी प्रार्थना है कि आप मौका दीजिये कि वे आगे बढ़ सकें। आप मजदूरों और किसानों के दृष्टिकोण से देखें कि उसका किसमें फायदा है। वह बराबर हल जोतता रहे, बरसात में भीगता रहे, जाड़े में ठिठुरता रहे और गर्मी में तपता रहे, यह अच्छा है या एक, दो, चार या १० साल हल जोतने के बाद बड़ा आदमी होकर बंगले में आराम से बैठे यह उसके लिये अच्छा है। समाजवाद में तो वह हमेशा गरीब ही रहेगा। वह कभी अमीर होकर आराम की जिंदगी बसर ही नहीं कर सकता है। सोचने की बात है कि एक आदमी हमेशा पाखाना साफ करता रहे, झाड़ू देता रहे यह अच्छा है या आज का मंत्री कल जमादार बने, उसके बाद बड़ा आदमी हो जाय और बिजनेस करके मिलमालिक होकर हवाई जहाज पर उड़ता फिरे, इसमें फायदा है ?

मैं समझता हूं कि किसानों और मजदूरों का फायदा गरीबी की गारंटी में नहीं है। एक आदमी जो आज गरीब है वह कल अमीर बन कर आराम की जिन्दगी बसर कर सकता है। एक आदमी ने फरमाया कि सीताराम तुम क्या बकते हो, गरीबों में अमीर बनने की हजारों में एक मिसाल मिल सकती है। मैं कहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो फिर हजारों आदमियों का पढ़ना बेकार है क्योंकि सब थानेदार और डिप्टी कलेक्टर नहीं होते। अगर एक लाख में एक आदमी एम०ए०ए० बनता है तो फिर वोटर बनना बेकार है, जब ६ करोड़ की आबादी में एक आदमी चीफ मिनिस्टर बनता है तो चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश करना बेकार है। मुझे मालूम है कि मामूली आदमी भी बड़े आदमी बन जाते हैं। मुझे एक मिल मालिक ने बतलाया कि जब मैं २० वर्ष का था तो मैं १५ रु० माहवार का नौकर था और आज मैं करोड़ों का आदमी हूं और हवाई जहाज पर उड़ रहा हूं। मेरी प्रार्थना यह है कि सीलिंग करके आप किसानों के लिये गरीबी की गारन्टी करते हैं, वह कभी भी अमीर नहीं बन सकता है। यह ठीक है कि पैसे से बुराई भी पैदा होती है। उसका दुरुपयोग भी होता है। मैंने इसी हजरतगंज में देखा है कि लोग जमींदारी बांड्स बेंच कर शराब पीते हैं और उन पैसों का बुरी तरह से दुरुपयोग करते हैं। जमींदारी चली गयी लेकिन उनका पागलपन नहीं गया। उनका सब छीन लीजिये। मेरी गुजारिश यह है कि एक, दो या चार की गलती से सब बुरे नहीं हो सकते। आपको याद होगा कि जब स्वराज्य की लड़ाई चल रही थी तो जमींदार लोग चुपके से पैसा देते थे और रसीद नहीं लेते थे कि किसी तरह से कहीं उसका पता अंग्रेजों को न लग जाय। अपनी नौकरी को खतरे में तो डालना नहीं चाहते थे किन्तु अनेक सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस की हर तरह से मदद की थी। क्या एक के बुरे होने से सब बुरे हो गये ?

पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को किस ने डंडे मारे थे ? पंडित जवाहर लाल नेहरू को किसी जमींदार के लड़के ने नहीं पीटा था, वह काश्तकार का लड़का था ? तो क्या सब काश्तकार बुरे हो गये ? इसी तरह से सब जमींदार कुछ की गलती से बुरे नहीं हो गये। सौ में ९९ थानेदार अगर रिश्वत लेते हैं, किन्तु थानेदारी प्रथा को खत्म नहीं कर दिया जायगा ? अपि ऐसा होगा तो चोरी-डकैती और कत्ल बढ़ेंगे। इसलिये ऐसा नहीं किया जा सकता।

[श्री सीताराम शुक्ल]

इसलिये कोई सीमा मत रखिये, दरवाजा बन्द करने से काम नहीं चलेगा। इससे किसान को नुकसान होगा, इससे मजदूर का भी नुकसान होगा। दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिस में बुराई-भलाई दोनों न हों। पंडित जवाहर लाल जी नेहरू कहत हैं कि विकल्प और आल्टरनेटिव क्या है ? जब कोई बात कही जाती है तो फरमाते हैं कि वह १९वीं सदी की पुरानी बात है, पुरानी बात नहीं होनी चाहिये। किन्तु अगर पुरानी बातों से चिढ़ है तो दुनिया भी कई करोड़ बरस की पुरानी हो चुकी इसको भी छोड़ दीजिये। पुरानी तो बहुत-सी चीजें हैं, पुरानी तो हवा भी हो गई, आप सांस न लीजिये, पानी भी पुराना हो गया उसका उपयोग भी आप न कीजिये।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---इसीलिये आप ने कांग्रेस पुरानी समझकर छोड़ दी।

श्री सीताराम शुक्ल---आप जरा देर में आये। मैंने कहा था कि मेरा दिल अब भी कांग्रेस में है, मैं यहां उसका सुधार करने के लिये आया हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि हर चीज पुरानी न छोड़िये। भगवान कृष्ण जी ने नेहरू जी की इस बात का जवाब दिया है और वह कहते हैं कि---

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भाहिदोषेण, धूमेनाग्नि रिवावृता ।।

अर्थात् जो स्वाभाविक कर्म हैं वे दोषपूर्ण होने पर भी न छोड़ने चाहिये। क्योंकि कोई काम दुनिया में ऐसा नहीं है जिस में भलाई बुराई दोनों न हों, जिस प्रकार जहां आग होती है वहां धुआं भी होता है। यह श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। तात्पर्य कि जब तक आप साबित न कर दें कि ज्वाइंट फार्मिंग से या सीलिंग करने से खेती की पैदावार बढ़ेगी तब तक उसको लादना उचित नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप रूस की या चीन की रिपोर्ट देख लें कि वहां पर एक आदमी को कितनी रोटी, कितना कपड़ा, कितनी चीनी, कैसा मकान मिलता है। मैं चैलेंज करता हूं कि आज चीन और रूस के मजदूरों की हालत देखिये, वहां की अपेक्षा फ्रांस में और अमरीका में अधिक आराम मजदूरों को है। अमरीका में हर ४ आदमी के पीछे एक मोटर है। हम ऐसे कम्युनिज्म या सोशलिज्म को लेकर क्या करेंगे कि जहां गरीबी की गारन्टी है। पूंजीवाद खूनी सही, कसाई सही, शोषक सही, लेकिन उन के हर घर में मोटर तो है, २० रुपया रोज वहां मजदूर पाता है, अच्छे से अच्छा खाता है, पीता है, आराम से रहता है। हमें सोचना होगा कि आग से कभी-कभी मकान जल जाता है तो क्या उसे बुझाकर खाना कच्चा खाया जायगा ? नुकसान हो सकता है लेकिन उस को हम छोड़ नहीं सकते, खाना तो आग से बनेगा ही, मोटर, हवाई जहाज से एक्सीडेंट होते हैं लेकिन उन का उपयोग छोड़ा नहीं जा सकता। अतः एक की गलती से सब को सजा देना मुनासिब न होगा। इसलिये आप दरवाजा खोलिये। मेरे इस जगह बैठने के धोखे में न रहिये, हमारे सब दोस्त आज इधर से सदन को छोड़कर चले गये मैंने कहा मैं बेवकूफी में साथ नहीं दूंगा।.....

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य फिर वहीं पहुंच गये।

श्री सीताराम शुक्ल---मैंने कहा कि लड़के शैतानी करें, वार्निंग से न मानें, तो गोली चलायी जायगी, शांति स्थापित करनी होगी जिस में लाभ हो वही किया जाय। जिस में भला हो वह करो। जिसमें भलाई हो उधर शौक से चलिये। जिसमें भलाई न हो उसको छोड़िये। जोश में आकर गलती करेंगे तो उसमें नुकसान होगा। मैं निन्दा करने का आदी नहीं हूं, सही मशविरा देता हूं कि प्रदेश की जमीन का नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामान का बटवारा होना चाहिये। दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां जमीन ज्यादा है और आदमी कम हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां आदमी ज्यादा हैं जमीन कम है। जरूरत इस बात की है कि दुनिया के सामान का ठीक-ठीक बटवारा किया जाय। जर्मनी में आदमी ज्यादा जमीन कम, इंगलैन्ड में

आदमी ज्यादा जमीन कम, पाकिस्तान में, हिन्दुस्तान में और जापान में जमीन कम और आदमी ज्यादा हैं। लेकिन रूस में जमीन ज्यादा है, आदमी कम हैं। अमेरिका और अफ्रीका में भी यही हालत है। आस्ट्रेलिया में एक वर्ग मील में ढाई आदमी रहते हैं और हिन्दुस्तान में ढाई सौ रहते हैं।

जरूरत इस बात की भी है कि पार्टीबाजी यहां पर बन्द हो। पार्टीबन्दी से ऊपर उठकर जो जहां के लिये योग्य हो, फिट हों उन्हें वह जगह दी जाय। अपनी पार्टी के अन्दर भी गुटबंदी बन्द की जाय। अच्छे आदमियों को चाहे इधर के हों, चाहे उधर को हों उनको जगह दी जाय। नेशनल हुकूमत बनाइये। यहां भी और सेंटर में भी। दुनिया में सही प्रोपेगेंडा कीजिये और यू० एन० ओ० में हमारा आदमी जाय और कहे कि हमारे यहां आदमियों को खाने को नहीं मिलता और दूसरी जगह कुत्तों को गोश्त और रोटी मिलती है।

अभी हमारी मदद रूस ने भी की। अमेरिका से भी मदद हो रही है। अगर हमने सही प्रोपेगेंडा किया तो हमारे पास जनशक्ति है---जिसके पास जमीन है हम उनसे फायदा उठायें और संसार हमसे फायदा उठाये। इन शब्दों के साथ इस सीलिंग का मैं विरोध करता हूं।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मुझे खुशी है कि जिस बात की वर्षों से प्रतीक्षा हो रही थी वह विधेयक आज हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। बहुत दिनों से हम इसकी चर्चा करते आ रहे थे कि स्वराज्य होगा और स्वराज्य होने पर सभी गरीबों के भोजन और रहने आदि का प्रबंध ठीक रूप से किया जायगा। उसकी ओर हमने कदम बढ़ाना शुरू किया। उसी रास्ते में जमींदारी को तोड़ना पड़ा और जमींदारी को तोड़ने के बाद भूमि के वितरण का सवाल हमारे सामने पेश हुआ। हमने सड़कों पर और गलियों में यह नारा लगाया था कि धन और धरती बटकर रहेंगे और इस नारे को पूरा करने के लिये हमने सारी जनता का वोट लेकर असेम्बली भवन में सदस्य के रूप में आने का सौभाग्य प्राप्त किया। हर एक पार्टी में इस बात की होड़ लगी थी कि किसानों और मजदूरों का अधिक से अधिक हित कौन कर सकता है। कांग्रेस, जनसंघ, प्रजासमाजवादी या कम्युनिस्ट, इनमें से कौन अधिक से अधिक हित कर सकता है। सभी लोग अधिक से अधिक लाभ जनता को बताने के लिये अपनी-अपनी योजना बना रखे थे और जनता के बीच में जा-जा कर अपने-अपने कार्यक्रम को बतलाते थे। उस कार्यक्रम में कोई भी ऐसा दल नहीं था जिस दल ने भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई न कोई अपना विचार न व्यक्त किया हो। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसने भी भूमि-व्यवस्था के सम्बन्ध में अपना कुछ खास दृष्टिकोण रखा था और जब महात्मा गांधी जीवित थे उस समय से ही हमारे विचार धीरे-धीरे विकसित हो रहे थे। महात्मा जी स्पष्ट-रूप से कहते थे कि दुनिया में जितना धन-दौलत है और जिनके पास है उनको नहीं समझना चाहिये कि वह उनकी चीज है बल्कि उनके पास थाथी के रूप में रखी हुई है और अपनी आवश्यकता भर रख कर उनको कोई हक नहीं है कि अपने पास रखें। इसी तरह से प्राचीन धर्मों को देखें। ईसाई मजहब में धन की बड़ी निन्दा की गई है, संग्रह की निन्दा की गई है और एक जगह कहा गया है कि सुई की नोंक से हाथी का निकल जाना सम्भव हो सकता है लेकिन अगर कोई धन जरूरत से ज्यादा अपने घर में रख कर यह सोचे कि हम स्वर्ग में जा सकते हैं तो असम्भव है। इसी तरह से मुसलमानों, हिन्दुओं तथा जितने भी मजहब हैं सभी जगह यह लिखा हुआ है। बाद में चल कर एक पाश्चात् दार्शनिक ने यहां तक कहा था कि जो कुछ हम जरूरत से ज्यादा रखते हैं वह चोरी का माल है और हमको उसको रखने का हक नहीं है। हम भी समझते हैं भगवान ने जिन चीजों को सारी दुनिया के लिये पैदा किया है उन चीजों पर कुछ लोग स्थायी अधिकार जमा करके बैठे रहें और कुछ लोग उनके सामने भूखों मरते रहें और उस धन के ऊपर गर्व करके उन भूखों और नंगों को रोंदते रहें और उनके अन्दर घमंड पैदा हो जाय कि वह अपने को ऊंचा समझें और दूसरे को नीचा समझे और उनको तबाह करने की बात सोचें तो यह चीज कभी भी नहीं बरदाश्त की जा सकती है। इन्हीं चीजों के आधार पर मार्क्स का जन्म हुआ, रूस की क्रांति

]श्री रामलखन तिवारी]

हुई, हिन्दुस्तान में इन्कलाब का नारा लगाया गया और १९४२ के बाद शेष प्रस्ताव द्वारा यह स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि यहां किसानों और मजदूरों का राज्य स्थापित करना है।

महात्मा गांधी जी ने बार-बार कहा कि धन धरती किसी की नहीं है और किस रूप में किसको रखने का अधिकार है? इसके पहले हमने यह दावा किया, हमारे देश के भीतर विनोबा-भावे घूम कर इसके दार्शनिक पहलू को समझाते फिर रहे थे, बड़े-बड़े भूमिवानों से वे भूमि मांगते फिरते थे। जमीन की भीख, धन की भीख और यह स्पष्ट रूप से कहते थे कि जो हम मांग रहे हैं वह भीख नहीं है बल्कि हम उस अधिकार की मांग कर रहे हैं जो अधिकार आज तक हमारे पास नहीं था। हम वह भूमि इसलिये ले रहे हैं कि हमारा भी अधिकार उस पर है और जिनको वे स्वयं भूमि देते थे उनसे भी कहते थे कि तुम्हें यह भूमि इसलिये नहीं दी जाती कि तुमको यह भीख के रूप में मिल रही है बल्कि तुमको इस समाज में कुछ अधिकार है और उसी अधिकार के कारण यह भूमि दी जा रही है और इस भूमि से अर्जन करने का पूरा-पूरा अधिकार है। हम नित्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, वैदिक मंत्रों को देखिये भगवान से यही प्रार्थना की गई है कि हे पृथ्वी माता तू अपने गर्भ से पैदा करके जो अन्न देती है वह सब ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है और ईश्वर हमें तुम्हें यह सब आशिष दिला रहा है, इसलिये ईश्वर, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हम सूर्य पाये हैं, पृथ्वी पाये हैं, जल पाये हैं। इन तमाम चीजों के लिये भगवान की आराधना करते समय उनको नमस्कार करते हैं, इसके लिये अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इस बात के लिये अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और यह सभी करते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों। तो सब प्रार्थना करने के अधिकारी हैं, भगवान को बधाई देने के अधिकारी हैं।

कांग्रेस ने नागपुर में स्पष्ट कर दिया और इससे पहले कुछ दिन हुये यह स्पष्ट कर दिया कि ६० के अन्दर हम सारी जमीनों की सीलिंग व हदबन्दी के कानूनों को लागू कर दें, तो हमारे यहां सबसे पहले सरकार ने कदम उठाया और यहां पर सीलिंग का कानून पास हुआ। होना तो यह चाहिये कि जितनी भी धरती हो, जितने भी इंसान हों सबको बराबर-बराबर बांट दी जाय, हर आदमी यह कह सके कि यह जमीन हमारी है और हमारे प्रदेश में कोई भी ऐसा न रहे जिसके पास साढे ३ हाथ जमीन न हो। लेकिन ऐसे बहुत से लोग इस प्रदेश में हैं जिनके पास साढ़े ३ हाथ जमीन हो जहां वे रात को शयन कर सकें। होना तो यह चाहिये था कि जो इस धरती में मेहनत करे और इसमें धन पैदा करने की चेष्टा करे उसको अधिकार हो उनको इतना अधिकार अवश्य हो कि इस धरती पर अपने रहने लायक जमीन उनके पास हो जिसको वे अपनी कह सकें। लेकिन यह नहीं हो सकता। हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। हमारा समाज इस तरह से बट चुका है, हमारे सामाज में इस कदर भ्रष्टाचार पैदा हो गया है जिससे हमारा तमाम समाज बट गया है।

धरती ही केवल हमारी जीविका का साधन नहीं रह गयी है। हमारे इस प्रदेश में और इस देश में जीविका के कई साधन हैं। धरती से हम अनाज पैदा करते हैं। पढ़ लिख कर लोग नौकरी करते हैं। कल कारखानों में काम करते हैं। दूसरे व्यापार व वाणिज्य में लोग काम करते हैं लेकिन कोई भी काम आज किसी खास क्लास के लिए सुरक्षित नहीं है। न नौकरी, वाणिज्य व व्यवसाय किसी खास तबके के लिये सुरक्षित है। जिसके पास धन रहता है वह कारखाने भी खोल सकता है और धरती भी खरीद कर बड़े से बड़ा फार्म बना लेता है। यह समाज की अव्यवस्था तथा बिडम्बना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने लड़के को पढ़ाने के लिये पैसा नहीं है, जिनके पास अपने घर में रहने के लिये मकान नहीं है, जिनके पास खेती करने का कोई साधन नहीं हैं, जिनके पास वाणिज्य, व्यवसाय व नौकरी के कोई साधन नहीं है वैसे भी लोग इस देश में हैं, उनको साधन न मिलना इस देश की सरकार के लिये एक कलंक की बात है, हमारे प्रदेश की सरकार के लिये उससे भी बढ़ कर एक कलंक की बात है। हमारा उद्देश्य यह है कि सब लोगों को सुखी बनायेंगे, सब लोगों को काम देंगे, सबको रोटी देंगे और जब तक हम सब को रोटी नहीं दे लेते, काम नहीं दे लेते, जब तक हम सब लोगों को कोई न कोई जीविकोपार्जन

के साधन उपलब्ध नहीं कर सकते तब तक हमें हक नहीं है कि हम जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से कोई सरकार चलावें ।

हमारा उद्देश्य है कि हमारे कदम इस ओर बढ़ते चले जायं लेकिन हमारे साधन इतने कम हैं, हमारे पास व्यवसाय इतने कम हैं, हमारे पास जमीन इतनी कम है कि हम लोगों को आज कुछ देने में असमर्थ हो रहे हैं। तो फिर धन व धरती को कैसे बांटा जायगा ? धन तो हमारे पास बहुत ही कम है। धरती भी हमारे पास जो है वह बहुत कम है। हिसाब लगा कर देखा गया तो मालूम हुआ कि जितनी धरती फी एवरेज पड़ती है उतनी सब को बांट दी जाय तो सभी लोग सुखी नहीं हो सकते, इसका नतीजा यह जरूर हो सकता है कि जिन लोगों के पास धरती इकट्ठा हो गयी है उन लोगों की धरती छिन जायगी। और उन लोगों के सामने एक मुसीबत जरूर खड़ी हो जायगी लेकिन क्या उस मुसीबत को हम उनके सामने खड़ा करा के अपने उन गरीबों को सुखी बना सकेंगे ? नहीं, ऐसा सम्भव नहीं प्रतीत होता। इसलिये हमें क्या करना होगा इस पर कांग्रेस और प्लानिंग कमीशन ने विचार किया और हमारे देश दथा प्रदेश के बूढ़े, बुजुर्गों ने विचार किया कि हमें जमीन की कौन-सी हद निश्चित करनी चाहिये। जो पहले पहल कांग्रेस का मंत्रिमण्डल बना था तो यह सुनने में आता था कि ३० एकड़ की हदबन्दी होगी। फिर उसके बाद प्लानिंग कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी, शायद उसको सामने रखते हुए हमारी सरकार ने ४० एकड़ की सीमा का प्रस्ताव इस विधेयक में रखा।

पहले दिन इस विधेयक पर होने वाले वादविवाद को जब मैं सुन रहा था तो मेरे मन में आया कि मैं इसका घोर विरोध करूं और यह कहूं कि अगर किसी के अधिकार को कोई छीने हुये बैठा है तो सरकार को चाहिये कि उसे छीन कर दूसरे को सौंप दे। अगर हमने यह सिद्धान्त माना है कि जितना भी धन या धरती, इतने से अधिक कोई अपने पास रखे है जो चोरी का है तो कोई हक नहीं है कि सरकार उसके धन और धरती की रक्षा करे बल्कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जितना अधिक वह रखे हुये है उसे जबरन छीन कर उन लोगों को दे जिनका हक है और जिनके पास वे चीजें नहीं हैं। लेकिन बाहर जा कर जब मैंने उस पर विचार करना शुरू किया कि क्या सारी अक्ल हम लोगों के पास ही है, ये बुजुर्ग लोग जो इस हुकूमत को चला रहे हैं और इतने दिनों से जिनको इस हुकूमत के चलाने का तजुरबा है और जिनका इस प्रदेश की राजनीति और जनता से इतना सम्बन्ध रहा है क्या उन्होंने कोई गलत कदम उठाया है ? तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी भी जमीनें हैं जिनके ४० एकड़ ५ व्यक्तियों के परिवार को बहुत सुखी रख सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी भी जमीनें हैं जिनका लगान बहुत ज्यादा है और लगान के आधार पर उनको अच्छा मान कर अगर ४० एकड़ की सीमा कर दी जाती है तो उस ४० एकड़ से भी उनका गुजर नहीं हो सकता है। और कुछ ऐसी भी जमीनें हैं जहां ४० एकड़ कुछ नहीं के बराबर है।

आज वह जमीन है, कल नहीं रह गयी, जैसे गंगा और घाघरा के दियारे। सौ-सौ एकड़ तक एक व्यक्ति के पास जमीन है लेकिन अगर गंगा जी ने मेहरबानी कर दी तो वह सारी की सारी जमीन बालू हो जाती है। फिर कहीं, १०, २०, ५० साल के बाद अगर वह जमीन मिट्टी हुई तो उसका उद्धार हुआ। तो ऐसी जमीनों को जो कि दियारे की जमीने हैं और जो कि नदियों के कटाव या बाढ़ से भली या बुरी हुआ करती हैं उन जमीनों को इससे मुस्तसना नहीं किया गया। जो जमीनें मौजूद नहीं हैं उनके ऊपर सीसाबन्दी कैसे की जायगी और उन पर सीमाबन्दी करना कहां तक उचित कहा जायगा ? इस तरीके से ४० एकड़ जमीन ज्यादा है या कम, हिसाब जोड़ने से एक परिवार के लिये ४० एकड़ जमीन अगर केवल खेती से ही जीवन रक्षा करना उसका पेशा है तो ज्यादा नहीं कही जा सकती। तो फिर क्या न्याय की कसौटी पर यह ठीक है कि एक आदमी के पास बिलकुल न रहे और एक के पास ४० एकड़ रहे ? हो सकता है कि मानवता के न्याय पर यह ठीक न उतरे लेकिन यह भी इंसानियत के परे बात होगी जब हम एक आदमी को सुखी करने के लिये दूसरे के सामने की रोटी जो कि उसके खाने भर को है, छीन कर दूसरे को खिलाने की चेष्टा करें। अगर

[श्री रामलक्षण त्रिवारी]

हम मानते हैं कि ४० एकड़ जमीन एक परिवार के सुखी ढंग से चलाने के लिये आवश्यक है तो हमारी नीति यह नहीं होनी चाहिये। हमारे भीतर प्रतिहिन्सा की भावना नहीं आनी चाहिये कि हम उसकी सारी जमीन छीनकर अपने बराबर कर दें।

हम से एक सज्जन ने पूछा कि आप सीलिंग के सम्बन्ध में क्या चाहते हैं तो मैंने कहा कि मैं बराबरी का बंटवारा चाहता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिये चाहता हूं। हम इस नीयत से न सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है इसलिये सब के पास कुछ भी न रहे। जितनी मेरे पास रहे उतनी सब के पास रहे। इस न्याय से जमीन बांट दी जानी चाहिये। हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारा उद्देश्य यह है कि हम सब को सुखी बनायें तो यह भी होना चाहिये कि हम दूसरों को सुखी बनाने के लिये किसी को दुखी न करें। यह भी हमारा उद्देश्य होना चाहिये। हो सकता है कि सुखी बनाने के उद्देश्य में ४० एकड़ की सीमा को ठीक समझा हो। जनसंघ ३० एकड़ समझता है, पी० एस० पी० २० एकड़ समझती है, अभी सोशलिस्ट पार्टी का कुछ नहीं आया है। लेकिन जितना कम हो सकता है वह करेगी। वह इससे भी कम करेगी क्योंकि यह तो आपस में विरोधी पार्टियों में होड़ लग जाती है। अगर कांग्रेस ने ४० एकड़ रखी है तो जनसंघ ने कहा कि हम ३० ही रखें और पी० एस० पी० ने कहा कि हम २० ही रखें। इस प्रकार से यह कोई वैज्ञानिक निश्चय नहीं है। हर पार्टी को और हर व्यक्ति को एक जगह बैठ कर, कितनी जमीन एक परिवार के लिये काफी है और उसका काम ठीक तरह से चल सकता है उतना रखना उचित प्रतीत होता है, विचार करना चाहिये।

एक प्रश्न और मेरे दिमाग में उठा जिस पर मैं सोच रहा हूं कि हमारे प्रदेश में जब जमींदारी उन्मूलन हुआ था उस समय बहुत से मठ चल रहे थे। उनके पास जो जायदाद थी वह उनकी नहीं थी बल्कि गांवों के जमींदारों और रईसों ने दी थी और उसमें एक उद्देश्य निहित था और उसकी पूर्ति के लिये वह सम्पत्ति उस संस्था को दी गई थी। अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है तो सरकार कानून बनाकर उनका प्रबन्ध करे और वह उद्देश्य पूरा होना चाहिये। पिछले दो तीन सालों में होड़ लगी थी और मठाधीशों ने धड़ाधड़ शादियां करनी शुरू कर दीं। पता नहीं किस नियम के आधार पर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। मैं अपने जिले की बात जानता हूं कि कई महन्तों ने शादियां कीं और अपने को गृहस्थ घोषित कर के जनता की भूमि तथा जायदाद पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। इसमें एक जगह दिया है कि जो धर्मादा की सम्पत्ति है उस पर सीलिंग का कानून लागू नहीं होगा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि उन तमाम सम्पत्तियों को जिस उद्देश्य के लिये हमारे भाइयों ने सुरक्षित कर रखा था उस उद्देश्य की पूर्ति में लगाने के लिये सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए और अगर वैसा न हो सके तो भी उनकी जमीनें छीन करके किसी को देना या बांटना यह उचित नहीं कहा जा सकता। वह सार्वजनिक कार्य के लिये निकाली हुई भूमि है जो कि किसी खास परपज के लिये निकाली गयी थी। जिस सार्वजनिक उद्देश्य को रख कर आप सीलिंग करने जा रहे हैं, उसमें यह उचित नहीं होगा।

इसी तरह से कुछ बाग वगैरह की बातें हैं। हमारी सरकार की ओर से वृक्षारोपण का आन्दोलन चलाया जा रहा है कि ज्यादा वृक्ष लगाओ और इस कानून में बागों को मुस्तसना करके वृक्षारोपण आन्दोलन को बहुत काफी प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन अगर कहीं पर ज्यादा बाग हों तो जरूर जनता के खाने के लिये सुरक्षित होना चाहिए। गांव सभायें उनका प्रबन्ध करें जिससे गांव में जो गरीब हैं उनको भी फल खाने को मिल सकें। जब बाग जमींदारों के अधिकार में थे तो किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ खाने को पा जाते थे लेकिन जब से जमींदारी टूटी तब से उस पर सख्ती होने लगी और जब सीलिंग होने जा रही है तो उस पर और भी सख्ती हो जायगी। बहुत-सी जगहों पर लोग बाग लगवाना शुरू किये हैं इस वजह से कि जमीन बची रहे। इसके लिये कानून में कोई न कोई प्रावधान जरूर होना चाहिए कि कितनी सीमा तक कोई अपनी जमीन में बाग लगा सकता है। शायद पिछले

कानून में कुछ व्यवस्था की कि कोई भी मनुष्य अगर उसके पास इतनी जमीन है तो उसमें कितना बाग लगा सकता है और किस किस्म का बाग लगा सकता है।

सब से कठिन सवाल सरकार के सामने तब उपस्थित होगा जब वह जमीन ले लेगी और बटवारे का प्रश्न आयेगा। जिन अधिकरियों को रात-दिन यहां पर गालियां दी जा रही हैं, जिन पर अविश्वास प्रकट करते हैं चाहे कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो, चाहे विरोधी पार्टी के द्वारा, क्या उनके ऊपर, अकेले एक व्यक्ति के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप सौंपने को तैयार हो जायंगे जिसमें लाखों की सम्पत्ति के बटवाने का प्रश्न होगा? १०० एकड़ जमीन अगर हमारे यहां हो तो उसका मतलब है कि डेढ़ लाख रुपया। तो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इतना बड़ा अधिकार देना कि वह उस जमीन का बटवारा करे, यह कहां तक उचित होगा? किस ढंग से करे आप नियम जरूर बना देंगे, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा अधिकार किसी एक कर्मचारी के ऊपर छोड़ देना ठीक नहीं होगा। फिर यह प्रश्न उठेगा कि गांव-गांव से आप के पास लोगों की शिकायतें आयेंगी। इसलिये पहले से ही हम इन तमाम चीजों को क्यों न सोच लें?

सरकार को करोड़ों रुपया मुआवजा उन लोगों को देना पड़ेगा जिनकी जमींनें ली जायंगी। इससे अच्छा तो यह रहता कि आप एक लाइन में यह आदेश जारी कर दिये होते कि इतने एकड़ से जिसके पास ज्यादा जमीन हो वह इतनी मुद्दत के भीतर इस किस्म के आदमियों को दे दे बरना उसकी सारी जमीन ले ली जायगी। उसका मुआवजा नहीं देना पड़ता। आप कानून में यह स्पष्ट लिख देते कि यह जमीन उन्हीं लोगों को बेंची जायगी जिन लोगों के पास इतने से अधिक जमीन न हो या जो खेतिहर भूमिहीन हों। और एक सीमा निर्धारित कर देते कि आज से तीन महीने के भीतर जो लोग इस कानून के अनुसार अपना हस्तांतरण कर देते हैं वह जायज माना जायगा और जो लोग नहीं करते हैं उनकी सारी जमीन बिना किसी मुआविजे के ले ली जायगी और जिसको चाहेंगे वितरित करेंगे। मेरा यह सुझाव है। इससे जनता का ९, १० करोड़ रुपया बच जाता। उस रुपये को हम किसी दूसरे उपयोगी काम में लगाते। मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत उपयुक्त समय पर उपस्थित किया गया है और इसका पूर्ण रूप से स्वागत होगा। जो नीति रखी गयी है मैं उसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह भी जरूर निवेदन करूंगा कि केवल इसलिए सीमा न लगायें कि हम इतना रख दें। विरोधी दल के लोग कुछ कम करवायेंगे ही। तो जैसे बाजार में भाव बताने वाला कहता है कि दो सेर है लेकिन बाद में बातचीत से मुलायम होने पर वह कहता है कि डेढ़ सेर ले लो। तो अच्छा होगा कि आप पहले ही स्पष्ट कर दें कि हम इतने कम तक जा सकते हैं। अभी आपने निश्चित कर दिया तो ज्यादा अच्छा होगा।

गंगा और घाघरा की जमीन के सम्बन्ध में हमने कहा है, उस पर भी गम्भीरतापूर्वक आपको विचार करना चाहिए। यह निहायत अन्याय की बात होगी कि वैसी जमीनों को भी इसमें सम्मिलित किया जाय जो जमीन कि खुद ही स्थिर नहीं है। जो आज है कल दरिया के पेट में जा सकती है, आज बालू है, कल वह मिट्टी पता नहीं कितने वर्षों के बाद होगी। मैं आपको सैकड़ों गांवों की मिसाल दे सकता हूं जहां के लोग भूमिहीन होकर मारे-मारे फिरते हैं और उनको कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है, उनके पास कोई जीविका का साधन नहीं है, सरकार में आप हैं। आपने पंजाब से आये हुए, बंगाल से आये हुये शरणार्थियों के लिये व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अपने प्रदेश के इन नदियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाये हुए शरणार्थी, पुरुषों, स्त्री और बालकों के लिये आपके प्रदेश में, आपके राज्य में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

न तो उनको आपने कोई पढ़ने लिखने में रियायत दी है, न आप ने उनको कहीं ले जाकर अलग बसाया और न नौकरी में ही उनको कोई सुविधा दी है। आज उनको कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है। उनकी आंखें बराबर आपकी ओर लगी हुई हैं। वह हमारे सामने हाथ उठाकर पुकार मचाते हैं और हम आप के पास उनकी आवाज पहुंचाते हैं। जब उनका

[श्री रामलक्षण तिवारी]

कोई सुन्दर उपाय नहीं मिलता है तो उसका फल हमको भोगना पड़ता है। हम जब यहां से जाते हैं तो हमारे साथ-साथ कांग्रेस को भी बातें सुननी पड़ती हैं, अपनी उस संस्था को भी जिसकी ओर से हम मेम्बर बन कर यहां आये हैं, उसको भी लोग उलटी सीधी सुनाना शुरू करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्रों के लोगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनकी समस्याओं को भी आप इसमें स्थान देंगे। सीलिंग के बाद जो जमीन निकलती है उस जमीन को आप उन लोगों के लिये भी सुरक्षित करेंगे जो लोग कि आज दरिया की वजह से या और किसी प्राकृतिक कारण से शरणार्थी बन गये हैं।

एक और निवेदन कर देना चाहता हूं। उन लोगों की जमीन जो लोग कि यहां इस प्रदेश में रहते हैं और केवल एक जिले में जिनकी जमीन है उसका तो आप लेखा तैयार करा लेंगे। आप उनसे हिसाब मांगेंगे। नहीं ढंग से देंगे तो आप तैयार करा लेंगे। लेकिन इसी प्रदेश में, जिले जिले में और बहुत सारे गांवों में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एक गांव में भूमि नहीं है दस बीस गांवों में है, जिनकी एक जिले में नहीं दस बीस जिलों में भूमि है और इसी प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी है और हजारों बीघे के फार्म हैं। तो क्या इस सम्बन्ध में आपने कोई निश्चय किया है? मुझे नहीं मालूम कि इस बिल में इसकी कहीं भी गुंजाइश है। अगर इस बात को आप नहीं स्पष्ट करते हैं कि आया उस आदमी की जहां कहीं भी जमीन होगी वह सब जोड़कर के सीलिंग के कानून को अमलाई करेंगे या केवल एक गांव में जो मिल गई उसी को मान लेंगे, तो यह एक अधूरी चीज होगी। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी जमीन अगर अपने गांव में १० बीघे है तो दूसरे गांव में १०० बीघे है और दूसरे जिले में १ हजार बीघे है। दूसरे प्रान्त में चले जायं तो वहां भी दो हजार बीघे का फार्म पड़ा हुआ है। तो इस चीज पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। हम जब एक आदमी को सुखी रखने और उसके केवल उतने ही सुख को छीनने जिससे कि वह दुखी न हो और दूसरों को सुखी बनने की ओर कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हमें इस बात को स्पष्ट रूप से जांचना होगा कि जिन लोगों के पास जमीन है वह कहां-कहां है और कितनी-कितनी सीमा में है। तब हम सीमाबन्दी के कानून को कारगर कर सकते हैं और तभी हम जमीन अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं।

कुछ ऐसी भी आवाजें उस दिन उठाई गईं कि अगर जमीन बांटना है तो लाखों एकड़ जमीन जो ऐसे ही पड़ी हुई है क्यों नहीं सरकार उसको तोड़वाती है और उसका वितरण करती है? तो यह सही है कि अगर लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है जिसमें खेती हो सकती है और तोड़ी नहीं जा सकती है तो सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि वह जमीन भी तोड़ी जाय। और अधिक अन्न उपजाओ योजना का आन्दोलन जिसके अन्दर यह सीमाबन्दी का प्रयास भी है, कुछ अंश तक कारगर होगा। उसी तरीके से इन चीजों को भी इसके अन्दर लाने की चेष्टा की जानी चाहिये जिससे वह जमीन भी हमको इकट्ठा मिल सके और हम अधिक से अधिक लोगों को जमीन वितरित कर सकें।

कुछ यह शंका प्रकट की जा रही है कि आप देखते रहिये कि जो बड़े लोग हैं या जिनके पास काफी जमीन है या जो चलते पुरजे लोग हैं उनकी जमीन हरगिज नहीं ली जायगी और जो गरीब हैं, जिसके पास ४० एकड़ या ६० एकड़ जमीन है उनके पास से २० एकड़ जमीन जरूर निकल जायगी। जिसके पास २०० या ४०० एकड़ जमीन है उनसे जमीन नहीं निकल पायेगी। एक साहब मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है और आप देखिये कि इस तरह के हथकंडे चलाये जायंगे। उसने कहा कि अगर एक आदमी के दो लड़के हैं तो वह दो लड़के और कहीं से ढूंढ़ ले आयेगा और जिसके होने वाला है उसकी कल्पना कर ली जायगी और लेखपाल से मिलकर सारी जमीन को इस ढंग से लिखा लिया जायगा जिससे उसको अधिक से अधिक जमीन मिल सके। यह स्वाभाविक है कि जब पहले किसी के सत्व को अपहरण करने की चेष्टा की जायगी या किसी के अधिकार को लेने की चेष्टा की जायगी तो वह कोई भी प्रयत्न उठा नहीं रखेगा कि वह उसके खिलाफ कर सके।

म यही नहीं समझता बल्कि इसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी होगी जैसा कि अन्य देशों में हुई है। वह चीज यहां पर भी होगी और उसका एक संकेत मात्र हमको मिला भी है। जो अभी बारादरी में हुआ था। वह प्रतिक्रिया क्या होगी? वह इस प्रकार से होगी कि जो देश में देश को आगे ले जाने के लिये क्रान्ति होती है उस को विफल बनाने के लिये प्रति क्रान्ति हुआ करती है और उस प्रति क्रान्ति द्वारा क्रान्ति से किया गया सारा प्रयास विफल किया जाता है। तो हमारे देश में जितना भी कदम आप आगे बढ़ा चुके हैं और जितना भी आप आगे जा चुके हैं और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिये यह खतरे की घंटी है। स्वार्थ निहित वर्ग इस तरफ अपनी निगाह लगाये हुये हैं और उसके द्वारा इस प्रकार से तय किया जा चुका है कि जो कुछ किया गया है उसको विफल किया जाय। हमारे बहुत से भाई इसके लिये काम कर रहे हैं। हमारे जो नेता रहे हैं और जो हमारे साथ में बैठने वाले हैं वह चाहते हैं कि इस देश का सुधार उस प्रकार की क्रान्ति से किया जाय जिसे वह फिर से इस देश में लाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जो कांग्रेस ने किया है उस को बदनाम कर के खत्म करने की चेष्टा की जाय। इससे सरकार को सावधान रहना चाहिये। ऐसी जमात और ऐसी संस्थाओं को पनपने देने का और अवसर सरकार देती है तो उन सभी पार्टियों के लिये यह खतरे की बात होगी जिनका विश्वास क्रान्ति में है और जो जनता के लिये अधिकार देने की बात करती हैं, जो मजदूरों के लिये डंके पीटती हैं कि हमारी पार्टी मजदूर और किसानों के लिये है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और विरोधी भाइयों से भी कहूंगा कि इस सीमाबन्दी के मसले पर एकमत हो कर ऐसे कदम उठाये जायं जिससे कोई भी ऐसी जमात, जिससे इसको खतरा पहुंचता हो, न पहुंच सके और हमारा जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर हम आज तक प्रयास करते आये हैं, वह हमारा उद्देश्य पूरा हो सके। जय हिन्द।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, यह विषय, जस पर सदन में विचार हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत ही गम्भीरता-पूर्वक विचार होना चाहिये। पिछले दिन माननीय महीलाल ने अपना भाषण देते हुये यह कहा था कि मुझे इस बिल की धाराओं से और इस बिल के प्राविजन से सन्तोष नहीं है इसलिये माननीय मन्त्री जी को बधाई नहीं दे सकता। लेकिन मैं माननीय माल मंत्री जी को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता। इसलिये नहीं कि मुझे इस बिल से सन्तोष है, बल्कि इसलिये कि उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से, योग्यता से और कार्य-कुशलता से यह छोटा-सा बिल बना कर सरकार के सामने जो समस्यायें थीं, उन के सामने जो समस्यायें थीं, उनका हल निकाल लिया है।

पहला हल तो उन्होंने यह निकाला कि नागपुर का प्रस्ताव अमल में आ गया। नागपुर प्रस्ताव में कांग्रेस हाईकमांड का आदेश था कि सन १९६० तक भूमि सुधार का कानून लागू होना चाहिये, सीलिंग का कानून लागू होना चाहिये और उसके जवाब में हदबन्दी बिल आ गया है। प्लानिंग कमीशन की सिफारिश थी कि यह होना चाहिये, उसके जवाब के लिये यह बिल आ गया। किसान संगठन और जितनी राजनीतिक पार्टियां इस सीलिंग की मांग करती थीं उनके जवाब के लिये यह बिल आ गया। यह सफलता उनको प्राप्त हुई।

दूसरी समस्या यह हुई कि बगैर उन बड़े-बड़े भूस्वामियों को नुकसान पहुंचाये हुए, बगैर उनके हितों को नुकसान पहुंचाये हुए यह हल उन्होंने तैयार कर दिया। बिना उनकी एक बिस्वा जमीन लिये यह समस्या हल हो गयी। और तीसरी समस्या यह हल की कि भूमि-हीनों और मजदूरों के सामने एक सब्ज बाग खड़ा कर दिया कि हम तुम्हारे जीवन में क्रान्ति पैदा करने जा रहे हैं और तुम्हारी जिन्दगी में परिवर्तन होने जा रहा है। यह तीन बातें उन्होंने हल कीं और बड़ी कार्यकुशलता से इनको हल किया। इस बात के लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

माननीय महीलाल जी ने यह भी कहा था कि क्या माल मंत्री जी ने इस बिल को लाने से पहले इस बात का प्रयास किया है कि जो सीमा इसमें ४० एकड़ की रखी गयी है उसके रखने से कितनी भूमि इस प्रदेश में प्राप्त होगी जो भूमिहीनों को बांटी जायगी? क्या कोई आंकड़े

[श्री भीखालाल]

इकट्ठे किये हैं ? अगर आंकड़े इकट्ठे किये हैं और इस बात को जानने का प्रयास किया है कि इतनी जमीन प्राप्त होगी तो मैं चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री जी उसको अपने जवाब में बतायें, और अगर प्रयास नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अंधेरे में टटोलने का प्रयास किया है, किसी निश्चय के साथ इस बिल को लाने का प्रयास नहीं किया और मेरा यह निश्चित मत है कि यह बिल बिलकुल खोखला है और इसके जरिये से कि एक बिस्वा जमीन भी निकलने वाली नहीं है जो भूमिहीनों को मिल सके। माल मंत्री जी ने यदि कोई आंकड़े इस बात के नहीं इकट्ठे किये तो कोई औचित्य नहीं है कि ४० एकड़ की सीमा रखी जाय और अगर इसके खिलाफ कोई दलील देते हैं तो वह जनता को धोखे और भ्रम में डालना होगा और मेरा यह आरोप है कि यह बिल जनता को धोखे में डालने के लिये लाया गया है। इससे भूमिहीनों या मजदूरों को कोई मदद नहीं मिलेगी।

यह बिल इस तरह से क्यों लाया गया, हमारे माल मंत्री और हमारी सरकार क्यों इस तरह से, उदासीनता के साथ यह बिल लाये इसका भी एक इतिहास है और उसके कारण हैं। मान्यवर, यह हदबन्दी की मांग कोई नई मांग नहीं है। सन् १९४५ में आल-इंडिया किसान सभा ने एक किसानों की डिमांड का चार्टर बनाया और उस समय से यह हदबंदी की मांग चली आ रही है। यह प्रश्न उस वक्त उठा था। सन् १९४८ में तेलंगाना के किसानों ने अपनी उस डिमांड को लागू करने का प्रयास किया और उसके लिये एक क्रान्ति हुई। बहुत से किसान उसमें इस सरकार के हाथों मारे गये और उसी समय से यह सवाल कांग्रेस के एजेन्डा पर आया कि इस प्रश्न पर विचार होना चाहिये। फिर कांग्रेस सरकार ने सन् १९४९ में एक कांग्रेस एग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी बनायी। उसने सिफारिश की कि सीलिंग होनी चाहिये।

भूमि सुधारों में सीलिंग की बात आवश्यक है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि नागपुर प्रस्ताव से पहले उस रिपोर्ट पर कांग्रेस की स्वीकृति की मुहर आजतक नहीं लगी। प्लानिंग कमीशन ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बात की सिफारिश की कि सीलिंग होनी चाहिये, लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार बार-बार इसकी अवहेलना करती रही और उसकी मुखालिफत करती रही। हमारे भूतपूर्व माल मंत्री चौधरी चरण सिंह तो हदबन्दी के नाम से चिढ़ते थे। जब कभी हदबन्दी का सवाल इस सदन में आया उन्होंने उसका विरोध किया। अभी-अभी माननीय तिवारी जी भाषण दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की तो यह बहुत पुरानी नीति है कि जमीन जोतने वालों को मिले, जमीन भूमिहीनों को देनी चाहिये, जमीन का बटवारा होना चाहिये, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नागपुर प्रस्ताव के पहले क्या उन्होंने या सरकार ने इस बात का प्रयास किया कि जमीन का बटवारा हो या सीलिंग हो ? उनके भूतपूर्व मालमंत्री जब उसका विरोध करते थे तो क्यों नहीं उनको सलाह दी कि क्यों उन नारों की मुखालिफत करते हो। मान्यवर, यह नागपुर का प्रस्ताव कैसी परिस्थितियों में पास हुआ यह सब को विदित है। अन्न का संकट बढ़ रहा था। पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होने वाली है परन्तु अन्न की समस्या हल नहीं हुई, भुखमरी बढ़ती रही।

पिछले साल अन्न के सवाल को लेकर एक बड़ा भारी आन्दोलन उठा और सभी विरोधी दलों ने हिस्सा लिया। ५० हजार जनता ने आन्दोलन में भाग लिया और करीब १०,००० आदमी एक महीने के अन्दर जेल गये। उस समय इस कांग्रेस सरकार का माथा ठनका और उसने सोचना शुरू किया कि अवश्य हमारी भूमि-व्यवस्था और खेतिहर नीति में गलती है जिससे समस्या हल नहीं होती है। उस पृष्ठ भूमि में यह प्रस्ताव पास हुआ। अब डींगें मारी जाती हैं कि नागपुर में हमने हदबन्दी का प्रस्ताव पास कर दिया। तो यह बिल भी उसी पृष्ठभूमि में लाया गया। तो अब मरजी के खिलाफ एक बिल लाया गया, क्योंकि नागपुर में कहा गया कि हम हदबन्दी नहीं चाहते हैं, तो उसका जो हश्र हो सकता है वही इसका भी होगा।

मान्यवर, इस समय ३-३ भूमि व्यवस्थाएं और भूमि सुधार चल रहे हैं। एक तो चकबन्दी चल रही है, दूसरे हदबन्दी इस बिल से आने वाली है, और तीसरे सहकारी खेती की नींव पड़ रही है। हमारे भूमि सुधारों का क्या उद्देश्य होना चाहिये, किस पृष्ठभूमि में लागू होने चाहिये इसकी कोई कसौटी होनी चाहिये। एक तो यह कि हम देखें कि हमारे अन्न की समस्या इससे हल हो सकती है या नहीं, दूसरे बेकारी हल होती है या नहीं, ये दो मुख्य कसौटियां हैं भूमि सुधारों को आंकने की।

हदबन्दी को पहले लेता हूं। सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि ३-३ किस्म की व्यवस्थाओं में किस को प्राथमिकता देनी चाहिये, कौन-सा भूमि सुधार पहले और कौन-सा बाद में लागू करना चाहिये, लेकिन सरकार नहीं सोचती। या तो सरकार ध्यान नहीं देती या उसके पास इतनी अक्ल नहीं है कि उसको सोच सके या औचित्य ठहरा सके, या जैसा पिछले समय में देखा गया है कि नागपुर के प्रस्ताव के पास होने के बाद सरकार ने एक ऐलान किया कि चकबन्दी अब नये इलाकों में लागू नहीं की जायगी। एक कमेटी मुकर्रर की गयी, उसने रिपोर्ट दी कि हदबन्दी से चकबन्दी योजना पर कोई रुकावट नहीं आती, वह उन इलाकों पर लागू की जा सकती है जहां हदबन्दी का असर न पड़ता हो। तब दूसरा हुक्म निकाला गया कि चकबन्दी नये इलाकों पर भी लागू की जायगी जहां हदबन्दी नहीं होगी। एक इतिहास का उद्धरण है कि मुहम्मद तुगलक एक ऐसा बादशाह हुआ है जो अपनी अक्ल इस्तेमाल नहीं करता था कि यह काम उचित है या नहीं। उसके मुसाहिब, वजीर लोग, नौकर-चाकर जो थे वह उन्हीं की अक्ल पर काम करता था। हमारी सरकार भी उसी तरह से चल रही है, अपनी अक्ल को खर्च नहीं करना चाहती है कि हम सोचें कि इसका क्या औचित्य है। नौकरशाही जिस तरह समझा दे, वैसा कर रही है। नये इलाकों में जहां चकबन्दी होने जा रही है वहां इस किस्म के मौजों की फेहरिस्तें बन रही हैं कि कहां चकबन्दी और कहां हदबन्दी होगी। इस ४० एकड़ की सीमा को निर्धारित करके, उस पर अमल करके इस सरकार ने किस निश्चय के आधार पर इस पर अमल किया है इसका निश्चय करने का क्या इस सरकार को अधिकार प्राप्त है? इस ४० एकड़ की सीमा को निश्चित करने का अधिकार इस सरकार को प्राप्त नहीं है, यह अधिकार इस आदरणीय सदन को प्राप्त है जो इस बिल के जरिये से पास किया जायगा। अगर इस बिल के जरिये से ४० एकड़ की सीमा निश्चित की जाती है तब तो सरकार का निश्चय ठीक है, लेकिन जैसा कि इस आदरणीय सदन में इसका सैद्धान्तिक रूप से विरोध हो चुका है, मालूम नहीं यह सीमा बढ़ जाय या घट जाय। इसलिये सरकार ने सीमा निर्धारित करके प्रदेश में कार्य शुरू कर दिया है उसके द्वारा इस सदन के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मान्यवर, मान भी लिया जाय कि यह सदन में ४० एकड़ की सीमा पास हो जाती है और उसके बाद अमल-दरामद होता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर यह सीमा २० एकड़ पर आ जाती है तब सरकार ने जिस मौज में ४० एकड़ की सीमा मानकर चकबन्दी लागू कर दी है उसमें क्या होगा? उसमें हदबन्दी लागू होगी या चकबन्दी? मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को बतायेगी। इस-लिये मैं मांग करता हूं सदन से कि वह इसपर विचार करे और सरकार ने जो आदेश जारी किये हैं कि नये जिलों में चकबन्दी लागू की जाय उसको वापिस ले और जबतक यह बिल पास न हो जाय तबतक उसको स्थगित रखे।

अगर दूसरे पहलुओं से देखा जाय, भूमि सुधार के नजरिये से कि, चकबन्दी योजना ठीक है या नहीं, तो मैं समझता हूं कि चकबन्दी योजना बिलकुल निराधार है, इससे देश का फायदा नहीं होने वाला है। इस सम्बन्ध में सरकार की सबसे बड़ी दलील यह है कि चकबन्दी योजना लागू होने से जब बिखरे हुये खेत एक जगह हो जांयगे तो पैदावार बढ़ जायगी। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर बलजीत सिंह, जिनका जिक्र इस सदन में भी आ चुका है उन्होंने उत्तर प्रदेश के भूमि सुधारों का सर्वेक्षण किया है और चकबन्दी के गांवों में भी दौरा करके एक-एक चीज का अध्ययन किया है और रिपोर्ट दी है। उसमें उ होंने लिखा है कि चकबन्दी के लागू होने के बाद जमीन का रकबा ३ फीसदी कम हुआ है। डेढ़ फीसदी में रास्ते वगैरह बन जाते हैं और डेढ़ फीसदी सार्वजनिक कामों के लिये निकल जाती है। तो जब ३ फीसदी रकबा कम

[श्री भीखालाल]

हो जायगा, उस जमीन से जिसमें कि खेती हो रही थी, तो फिर किस प्रकार दावा किया जाता है कि पैदावार बढ़ेगी ? क्या पैदावार सिर्फ खेत इक्ट्ठा होने से बढ़ जाती है ? नहीं बढ़ती है। सरकार का दावा है कि चकबन्दी के जरिये जब एक जगह खेत इकट्ठा हो जायेंगे तो श्रम की बचत होगी, खेती की रखवाली करने में बचत होगी, मेहनत की बचत होगी। मैं पूछता हूं कि कौन-सा औचित्य है उस श्रम की बचत करने में, जब कि आज हमारे देश में बेकारी की समस्या फैली हुई है। तो श्रम की बचत करके और बेकारी फैलाने के बाद जो मजदूर बेकार हो जायेंगे उनको कौन से काम में लगाया जायगा ? मैं चाहता हूं कि मालमंत्री जी इस बात का जवाब दें।

इस बिल में जो सीमा रखी गई है उसके औचित्य को देखें कि ४० एकड़ की सीमा रखने के अनुसार इसमें ४० से १२८ तक की सीमा रखी गई है। अगर सिर्फ ४० एकड़ की सीमा को रखकर हम देखें कि कितनी जमीन बचती है तो नेशनल सेम्पुल सर्वे आफ इन्डिया के आंकड़ों के अनुसार जो कि प्रोफेसर बलजीत सिंह ने अपनी रिपोर्ट में दिये हैं, हमारे प्रदेश में ५ लाख ८२ हजार एकड़ जमीन निकलती है। और अगर यह सीमा १२८ एकड़ तक चली जायगी तो ५ लाख घट कर एक, दो लाख एकड़ जमीन भी नहीं रहेगी। इस बिल में माल मंत्री ने ऐसी-ऐसी धारायें अपने दोस्तों की मदद के लिये और उनकी रक्षा के लिये रखी हैं जिनको अगर देखा जाय तो एक दो हजार एकड़ जमीन भी नहीं निकलेगी। इसमें एक परिवार की परिभाषा की गयी है। वह इतनी ढीली है और उसमें कहा गया है कि चाहे वे लोग एक ही साथ क्यों न रहते हों और चाहे एक साथ ही कारबार क्यों न करते हों, लेकिन इस बिल की धाराओं के लिये एक अलग परिवार माना जायगा। कोई लड़का हो अगर उसके नाम अलग जमीन दर्ज है तो वह अलग परिवार मान लिया जायगा चाहे कारबार एक में ही होता हो। बहुत से जमींदारों ने इस प्रकार से अपनी बहुत-सी जमीन अपने लड़कों अथवा परिवार वालों के नाम कर दी है। उनके बचाव के लिये ही यह धारा रखी गयी है।

इसमें एक बात यह भी लिखी हुई है कि १० एकड़ बागों के लिये भी छोड़ेंगे। अगर वह आश्वासन देता है कि निर्धारित समय के अन्दर हम बाग लगा लेंगे तो १० एकड़ बागों के लिये छोड़ दी जायगी। इस बचत के तरीके से जो ५ लाख ८२ हजार एकड़ जमीन बचने वाली थी उसमें से केवल हजारों में ही रह जायगी और जब आप अमल करने लगेंगे तो केवल बिस्वों में ही रह जायगी। इसके अलावा आपने बटवारों की भी इजाजत दे दी है।

इसमें एक और धारा दी गयी है। अगर कोई सहकारी समिति बनी हुई है तो उस समिति के पास जो जमीन है उसमें जितने मेम्बर हैं उन मेम्बरों की जितनी जमीन होनी चाहिये उसको रखने के बाद हदबंदी होगी। अगर किसी भूस्वामी के पास ३-४ सौ एकड़ जमीन है, वह १०-१५ काश्तकारों या घर वालों को अपने साथ शामिल कर लेगा और इस प्रकार कृषि सहकारी समिति बना कर बच सकता है। इससे हदबंदी का उद्देश्य तो पूरा नहीं होता है, हो सकता है नागपुर प्रस्ताव पूरा हो जाता हो। इस प्रकार बड़े बड़े भूस्वामियों के लिये तरह तरह के रास्ते निकाल दिये गये हैं। अनेक प्रकार की छूट देकर लाभ पहुंचाने की कोशिश की गयी है।

इसमें यांत्रिक फार्मों का भी जिक्र है। कहा गया है कि जो यान्त्रिक फार्म हैं उनकी हदबन्दी न होगी, वे राष्ट्रीय फार्मों की तरह से चलाये जायेंगे और मालिकों को हिस्सेदार के रूप में या मैनेजर के रूप में मुकर्रर कर दिया जायगा। यह भी जमीन को बचाने का दूसरा तरीका है। जमीन जैसी की तैसी ही रहेगी। वह मैनेजर बन जायगा। नतीजा यह होगा कि उसमें घाटा दिखाया जायगा जो सरकार को बरदाश्त करना पड़ेगा। यान्त्रिक फार्म की परिभाषा रखी गयी है कि जो ३ साल पहले से ट्रैक्टर से जुतता हो। यह सर्टिफिकेट पाना कोई मुश्किल बात नहीं है जिसका देना उन लोगों के हाथ में है जो थोड़े से पैसे के लालच में यह कर सकते हैं। नतीजा यह होगा कि जिसने ट्रैक्टर का मुंह भी नहीं देखा वह यांत्रिक फार्म डिक्लेयर कर दिया

जायगा, वह हदबंदी की सीमा से बच जायगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है और निश्चित मत है कि ४० एकड़ की सीमा जो इस बिल में रखी गयी ह इसको घटाने की आवश्यकता है ताकि इस बिल का जो उद्देश्य है कि भूमिहीनों को जमीन मिले और देश की बेकारी दूर हो, हमारे देश की भुखमरी दूर हो और अन्न का उत्पादन बढ़े, उसकी पूर्ति हो सके। प्रोफेसर बलजीत सिंह, जिनकी रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, उन्होंने १५ एकड़ की हदबन्दी रखी है। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव पास किया है और उसके जरिये सरकार से मांग की है कि हदबन्दी की सीमा साढ़े १२ एकड़ से लेकर २० एकड़ तक ही होनी चाहिये।

एक सदस्य---मैं जानना चाहता हूं कि मेकेनाइज्ड फार्म्स कैसे बनेंगे ?

श्री भीखालाल---वह धारा २५(२) में है, उसे आप जरा देख लीजिये। कम्युनिस्ट पार्टी ४० एकड़ की सीमा के खिलाफ है।

राजस्व उप मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---कम्युनिस्ट पार्टी नेश्नलाइजेशन के खिलाफ है या माफिक है ?

श्री भीखालाल---कम्युनिस्ट पार्टी ४० एकड़ तक की सीमा रखने के जरूर खिलाफ है।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---मैं नेश्नलाइजेशन के बारे में पूछना चाहता हूं। अधिष्ठात्री महोदया, माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं बतला दूं कि यान्त्रिक फार्म्स जो हैं वे नेश्नलाइज किये जायेंगे, यह प्राविजन बिल में है और यदि कम्युनिस्ट पार्टी इस नेश्नलाइजेशन के खिलाफ है तब कुछ कहे। उनके ओनर्स को उतनी ही जमीन मिलेगी और ४० एकड़ जो बिल में होगा उससे ज्यादा नहीं मिलेगी।

श्री भीखालाल---माननीय मंत्री जी ने जो नेश्नलाइजेशन का प्रश्न उठाया है, इस बिल की धारा २५ में यान्त्रिक फार्म्स के नेश्नलाइजेशन के सम्बन्ध में कहीं जिक्र नहीं है। उसमें यह है कि हम अगर जरूरी समझेंगे तो कुछ समय के लिये उसे सरकारी फार्म की तरह से चलायेंगे और उनके फार्म्स के मालिकों को ही हम उसका मैनेजर बना देंगे। उसमें जो कहा गया है उसका क्या नतीजा होने वाला है। मैं इस बात का विरोधी हूं कि यह ४० एकड़ की सीमा रखी जाय। इसीलिये कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव पास किया और यह मांग की कि साढ़े १२ एकड़ से २० एकड़ तक की सीमा रखी जाय। अगर ऐसा किया जाय तो मेरा विश्वास है कि बहुत जमीन निकल आयेगी जो भूमिहीनों को दी जा सकती है। प्रोफेसर बलजीत सिंह ने जो सीमा निर्धारित की है वह १५ एकड़ की है। अगर साढ़े १२ एकड़ से लेकर २० एकड़ तक का औसत लिया जाय तो वह करीब १५ एकड़ के ही पड़ेगा और उसके अनुसार करीब ४३ लाख एकड़ जमीन प्रदेश के अन्दर निकल सकती है जो भूमिहीनों को दी जा सकती है।

इसके साथ-साथ हमारे प्रदेश में तमाम परती जमीन पड़ी हुई है जिसमें झाड़-झंखाड़ खड़े हुए हैं और जो गांव समाज के कब्जे में दे दिये गये हैं या जंगलात विभाग को दे दिये गये हैं। अगर उनको लेकर हम बटवारा करें तो इससे भी ज्यादा जमीन भूमिहीनों को बांटने के लिये मिल सकती है और ऐसी जमीन एक करोड़ एकड़ के करीब पड़ती है। लेकिन इस बिल में ऐसी धारायें रखी गयी हैं जो उन जमीनों से कोई सरोकार नहीं रखती हैं। उन पर इस बिल का कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सदन इस पर विचार करे कि ४० एकड़ की जो सीमा रखी गयी है वह कहां तक उचित है। मैं यह मांग करता हूं कि गम्भीरता के साथ इस पर विचार किया जाय और देखा जाय कि कम्युनिस्ट पार्टी ने जो साढ़े १२ एकड़ और २० एकड़ के दर्मियान हदबन्दी की मांग की है उसका औचित्य है कि नहीं।

अब एक सवाल कम्पेनसेशन का है। मान्यवर, मुआवजे की जो दर रखी गयी है वह भूमिधरों को ४० गुना दिया जायगा और सीरदारों को २० गुना दिया जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि यह फर्क क्यों रखा गया है। सरकार यह कह सकती है कि भूमिधरों ने लगान

[श्री भीखालाल]

का १० गुना देकर भूमिधरी का अधिकार प्राप्त किया है इसलिये उनको मुआविजा मिलना चाहिये। लेकिन सरकार को यह भी मालूम है कि इस प्रदेश के करीब ५७ फीसदी भूमिधर ऐसे हैं जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन विधेयक के कंवेंशन की बिना पर भूमिधरी अधिकार बिना १० गुना दिये ही पाया है। उनको भी इस धारा के मातहत एक सा ही मुआवजा देने का प्राविजन है। इस तरह से इन कानून में बड़े भूस्वामियों को सहायता पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया है।

यह जो २० गुना से ४० गुने की दर रखी गई है इस से भी मुझे विरोध है. यह बहुत अधिक है। जब जमींदारी खत्म की गई थी उस समय ८ गुने से २० गुने तक मुआवजा दिया गया था, तो इस व्यवस्था में यह सीमा २० गुने से ४० गुने तक क्यों रखी जा रही है? इसका कोई औचित्य नहीं बताया गया है। मान्यवर, इस की जो धारा ५ (२) है जिस के द्वारा १५ अगस्त, १९५९ के बाद के कोई भी हस्तांतरण हों उन का इस कानून पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस धारा को लेकर काफी विवाद हुआ है, उस का औचित्स भी बताया जा चुका है, उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता परन्तु एक बात की मैं जरूर याद दिलाऊंगा कि ७ तारीख को जब अविश्वास केप्रस्ताव पर यहां बहस हो रही थी उस समय माननीय झारखंडे राय ने अपने अविश्वास पर बोलते हुये सरकार से यह कहा था कि हमें सरकार पर इसलिये भी अविश्वास है कि नागपुर प्रस्ताव द्वारा सीमा निर्धारण का एलान किया गया था लेकिन उस के बाद कोई जमीनों के हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाई गई। इस का जवाब उस दिन माननीय मंत्री जी ने दिया था कि रोक इस वास्ते नहीं लगा सके कि संविधान हमारे रास्ते में आता है। उस के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी जायदाद बेचने, व्यय करने का अधिकार है लेकिन फिर उसी संविधान की धारा को लेकर आप कहते हैं कि हम रोक लगा सकते हैं और उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह की रोक हमने जमींदारी अबालिशन की धारा २३ व ७७ में लगाई हैं और मिसाल भी इस की उन्होंने दी थी कि उस वक्त हम ने सन् १९४६ से सन् १९४८ तक के ट्रान्सफर नाजायज करार दिये थे।

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि एक ही विषय में उन की तरफ से यह २ तरह के तर्क कैसे उपस्थित किये गये? कृपया मंत्री जी इस को बतायें। जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ने नागपुर प्रस्ताव के बाद ही कहा था कि जमीनों के बटवारे पर तुरन्त रोक लगाई जाय। एक कहावत है कि चोर से कहो चोरी कर और शाह से कहो जाग। नागपुर के प्रस्ताव के बाद सरकार की तरफ से एलान हुआ कि इस प्रस्ताव के द्वारा कानून बनेगा और जमीनें भूमिहीनों को मिलेंगी, परन्तु साथ ही दूसरी तरफ ४० एकड़ की सीमा का एलान भी कर दिया गया कि भूस्वामियों, होशियार हो जाओ और समय से अपना इंतजाम कर लो। क्या यह उचित नहीं था कि बजाय १५ अगस्त १९५९ के उसी दिन से हस्तान्तरण पर रोक लगाई जाती? क्या जवाब और औचित्य है उसी दिन से रोक न लगाने का? बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद बड़े-बड़े काश्तकारों ने अपनी जमीनों का प्रबन्ध कर लिया और इस बीच में धड़ा-धड़ बंटवारे हुये हैं, जमीनें बेंची गई हैं रहननामे और बयनामे हुये हैं। मेरा तो खयाल है कि इस तरह से जब यह कानून होगा तो प्रदेश देखेगा कि एक बिस्वा जमीन भी हाथ नहीं लगेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि १५ के बजाय जिस दिन जमींदारी विनाश कानून लागू हुआ था उस दिन से जितने हस्तांतरण हुये हैं वह सब इस कानून के लिये नाजायज करार दिये जांय। और समझा जाय कि वह बटवारे नहीं हुये हैं। मैं समझता हूं कि यह सदन इस पर विचार करेगा। अब केवल एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा और वह यह है कि यह विषय बहुत ही गम्भीर है। इस बिल में यह दावा किया गया है कि हम भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं और दावा किया गया है कि इससे खेतिहर मजदूरों में मौलिक परिवर्तन होगा और समाज में अच्छा स्तर बनेगा। इस बिल को लेकर सदन में तरह-तरह की विचारधाराएं आईं। कुछ माननीय सदस्यों ने मौलिक रूप से इसका विरोध किया है। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस की तरफ से चार-पांच सदस्य बोले

हैं। दो ने समर्थन किया है सीमा का, बाकी लोगों ने ४० एकड़ की सीमा का विरोध किया है, इधर से कोई २० एकड़ की मांग करता है और कोई साढ़े बारह एकड़ की। यह चूंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जिससे किसानों की व्यवस्था में एक कान्तिकारी परिवर्तन होने जा रहा है और आर्थिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन होने का दावा किया जा रहा है इसलिये इसके पास करने के लिये हम कुछ ऐसी परम्पराओं को अपनाएं जो जनतांत्रिक हों और जिनसे देश का भला हो। हम चाहते हैं कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार हो। मैं सभी दलों के माननीय नेता और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के नेता से कहना चाहता हूं कि इस बिल पर बहस करने समय किसी किस्म का कोई प्रतिबन्ध न लगावें और स्वतंत्र रूप से जनतांत्रिक प्रणाली को अपनाते हुए माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने का मौका दें ताकि हम जान सकें कि लोगों की विचारधाराएं क्या हैं। इस सदन के अन्दर जितने माननीय सदस्य हैं वह सभी वर्ग के हैं। कुछ बड़े-बड़े राजा महाराजा हैं, कुछ फार्म वाले हैं, कुछ मध्यमवर्गीय किसान हैं और कुछ भूमिहीन भी हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस बिल पर विचार करते समय किसी किस्म का व्हिपिंग न हो। अपने दल की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि हमारे दल में कोई व्हिपिंग नहीं की जाएगी। यह बिल प्रवर समिति में जाएगा वहां पर स्वतंत्र रूप से विचार होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार विचार होने के पश्चात् एक अच्छा बिल सदन के सामने आएगा।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाश्री महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मेरा ऐसा विश्वास है कि कांग्रेस सरकार ने अब तक जो बिल बनाए हैं उनमें आदर्श और व्यवहार दोनों के सामंजस्य की दृष्टि से यह मुझे औरों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा लगा है। इस खयाल से कि एक बिल की तारीफ सिर्फ यही नहीं होनी चाहिये कि क्या होना चाहिये, उसमें यह भी खयाल रखना पड़ता है कि वर्तमान स्थिति में क्या संभव है और जो कुछ है उससे अधिक अच्छा रखा जा सकता है या नहीं? जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इस बिल को समझने के लिये हमें तीन चीजों को एक साथ सामने रखना पड़ेगा– जमींदारी का एबालीशन, सीलिंग और कोआपरेटिव्ज। अगर इन तीनों चीजों को, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सामने रखकर इस पर बहस करें तो इसकी व्यावहारिकता और अच्छाई अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। मुझे ऐसा खयाल नहीं है कि इसके खिलाफ कहा नहीं जा सकता है। मेरा खयाल है कि काफी बातें कही जा सकती हैं और काफी बातें कही भी गई हैं। लेकिन इसके खिलाफ जो कहा गया वह दो तरह के आरोप हैं। एक तरफ के लोगों का कहना है कि यह बिल कांग्रेस के कम्युनिज्म के नजदीक होने का परिचय देता है। कुछ का कहना है कि कांग्रेस ऐसा बिल पेश करके कम्युनिज्म के सिद्धान्तों की अपनाती जा रही है और नकाब में यद्यपि यह गांधीपन है लेकिन वास्तव में वह कम्युनिज्म के उसूलों को मानती है। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट लोगों की मांग है कि इस बिल के द्वारा कांग्रेस एक नया नकाब पहन रही है जो सही माने में सोशलिस्ट नहीं है। तो इससे मुझे यह लगता है कि यह बिल व्यावहारिकता और आदर्श के नजदीक है। अगर उसके दोनों (Extremes) एक्सट्रीम्स मुखालिफत करते हैं तो देखना पड़ता है कि वह चीज व्यावाहरिक दृष्टि से आंकी गई है। इसीलिये मैंने कहा कि यह बिल आदर्श और व्यवहार की दृष्टि से दूसरे बिलों के मुकाबले में मुझे ज्यादा अच्छा लगा। इससे जो सवाल पैदा होते हैं उनके ऊपर वाकई बहुत खुले दिल और दिमाग से बहस होनी चाहिये और जैसा अभी एक साथी ने कहा, इस मामले में कोई व्हिपिंग नहीं होनी चाहिये। निजी तरीके से तो मैं समझता हूं कि इसमें व्हिपिंग न हो तो भी नतीजा वहीं होगा जो वह नतीजा नहीं लगाये हुए हैं।

अब जो इसका व्यावहारिक पहलू है उसे मैं भी चाहता हूं, बहुत दलीलों के साथ ठंडे दिल से उस पर गौर होना चाहिये। जहां तक इन बातों का प्रश्न है कि कांग्रेस हुकूमत अक्ल लगाती है या नहीं, बहरहाल मैं समझता हूं कि अगर ऐसे मामले पर भी अम्ल नहीं लगाती तो किन मामलों में अकल लगाती होगी क्योंकि यह बिल हमारी आगे आने वाली सन्तानों के लिये

[श्री गोविन्द सहाय]

बनाया जा रहा है। तो यह बात अच्छी नहीं लगती हम एक दूसरे को यह कहें कि फलां में अकल नहीं है या नीयत खराब है। क्योंकि नीयत में जाने से बहस का रुख बदल जाता है।

सीलिंग क्या होनी चाहिये ? सही बात है ५० भी रखी जा सकती है, ४० भी, ३० भी तथा १२ भी रखी जा सकती है, उसे जितना आप स्ट्रेच करें यह कोई सेक्रोसेंक्ट नहीं है। जिन पर रखने की जिम्मदारी है उन्हें दोनों तरह से सोचना होगा। जिन लोगों से जमीन ली जाती है और जिस ध्येय के लिये ली जा रही है, जैसा अभी एक सदस्य ने बताया कि ध्येय है अन्न की पैदावार को बढ़ाना और भूमिहीन लोगों को रोजगार देना। अब इसी दृष्टि से आप देखिये कि अगर आप यह चाहते हैं कि अन्न की पैदावार घटे नहीं तो कोई ऐसी जबरदस्त तबदीली नहीं कर सकते जिससे २,३ साल के जमाने में वह मामला खटाई में पड़ जाय। वैकुअम क्रीएट हो जाय तो यह सोचना होगा कि जो चीज चालू है वह ऐसे ढंग से चालू रहे, उसकी कंटीन्यूटी कायम रहे और कोई बड़ा भारी वैकुअम पैदा न हो। जिन दोस्तों की यह राय है कि १२, १५ या २० एकड़ सीलिंग रखी जाय, मेरा खयाल है इसके माने यह हैं कि वह यह चाहते हैं कि जो देहात है, जहां ८३ फीसदी हमारी आबादी रहती है उसमें नेतृत्व का कोई विकास न हो सके। १२ एकड़ जमीन का मतलब है १२०० रुपया साल की आमदनी। तीन यूनिट से ४० एकड़ पर भी आये तो प्लानिंग कमीशन के अनुसार ३६०० रु० साल की आमदनी ४० एकड़ की निकलती है। एक किसान का लड़का या एक किसान की ४० एकड़ की आमदनी ४००० रु० साल की हुई। उसकी आमदनी तो आप बांध देते हैं ४ हजार रुपया साल। इसके मानी यह हैं कि ८३ फीसदी लोग जो गांवों में बसे हुये है उन लोगों को फलने फूलने का तथा नया नेतृत्व पैदा करने का मौका नहीं मिल सकता। ४ हजार की आमदनी में कोई इंसान अपने लड़के को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता। ऐसा अगर हम करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि कम से कम ४० एकड़ की सीलिंग हो और इससे जब हम शुरू कर रहे हैं तो इससे व्यावहारिकता से गांव के अन्दर नया नेतृत्व निकल सकेगा। यह हो सकता है कि साढ़े १२ एकड़ से रोटी मिल जाय लेकिन रोटी मिलने से प्राब्लम हल नहीं होता है। और भी चीजें हैं। कल्चरल एक्टिविटीज हैं। मेरा खयाल है कि मौजूदा हालत में ४० एकड़ ही जमीन ठीक है, लेकिन यह कोई एबसोलूट बात नहीं है। जहां तक कांग्रेस सरकार का सवाल है हो सकता है कि यह लैन्ड रिफार्म की आखिरी किस्त हो, यह कोई गारन्टी नहीं कर सकता कि यह एबसोलूट है लेकिन ४० एकड़ इधर से कहा जाय और उधर से कहा जाय २०, ३० या साढ़े १२ एकड़ तो उस खयाल से तो उनका कहना ठीक होगा साढ़े १२ एकड़ वालों से कि कांग्रेस वाले आपको नहीं बाटना चाहते थे, हमने तो आप को भी जमीन बाटने की बात कही, लेकिन वह प्रेक्टिकल नहीं लगता। वह फूड प्रोडक्शन व गांव विकास के खयाल से ठीक नहीं है। ४० एकड़ में जमीन कम हो जायगी और २० एकड़ में ज्यादा होगी और ४० में अगर ५ लाख आदमियों को जमीन मिल जायेगी तो २०–३० एकड़ में ७ या साढ़े ७ लाख को मिल जायगी। इससे प्राब्लम हल नहीं हो जाता और ढांचा एक दम से अव्यवस्थित हो जाता है और दूसरी कोई चीज बन नहीं पाती है। (व्यवधान)

मेरा खयाल है कि लैण्ड रिफार्म हमको करना होगा, आप उसे रोक नहीं सकते और जो प्रगति के रास्ते में रोड़ा बनेंगे हालात उन्हें उखाड़ फेकेंगे। मेरा यकीन है और इतिहास इस बात का साक्षी है दुनिया में जितने भी इंकलाब पैदा होते हैं वे समय की आवश्यकता के अनुसार पैदा होते हैं। अब से ५० साल पहले अगर हम यह कहते कि जमीन का बटवारा हो सकता है या जमींदारी खत्म की जा सकती है तो उलट कर लोग कहते कि इंसान कौन होता है, जमीन का बटवारा तो ईश्वर ने किया है; लेकिन आज यह प्रगति है, लोग सोचने लगे हैं कि जमीन का बटवारा सबकी भलाई के लिये हो सकता है और ऐसे जितने लोग आप जज्ब करते जायेंगे उतना ही आपका रवैया, व्यावहारिक रूप लोगों में फैलता जायगा। मनुष्यों का जीवन एक जमीन की स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं चलता है। वह दरिया के बहाव की तरह है। इसलिये

स्ट्रेट लाइन नहीं खींची जा सकती है आज की स्थिति में मैं समझता हूं कि सब बातों को सामने रखते हुये ४० एकड़ ज्यादा व्यावहारिक है, और इससे कोई बहुत जबरदस्त अव्यवस्था भी नहीं होगी, कोई बैकुअम भी पैदा नहीं होगा। गांव में पैदावार की जो प्रणाली है उसमें भी रुकावट नहीं पड़ेगी ।

अब एक सवाल कम्पेनसेशन का है। अभी जिन भाइयों ने विचार प्रकट किये, मैं उनसे सहमत हूं। यह बात समझ में मेरी नहीं आई कि आप ४० गुना भूमिधर लोगों को देते हैं। सीरदार और भूमिधर में कोई फर्क नहीं रखा है। दोनों में ४० एकड़ रखा है। तो उनके कम्पेनसेशन में यह इम्तियाज नहीं करना चाहिये। यह इम्तियाज तो ज्यादा मुनासिब नहीं लगता ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—भूमिधरी का जो १० गुना लिया है उसे फिर आप वापस करेंगे ?

श्री गोविन्द सहाय—वैसे इस सवाल का जहां तक उस प्रश्न से ताल्लुक है कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरे कहने से उनका कुछ रुपया वापस हो जाय तो वे ले लें।

राजा वीरेन्द्र शाह—न्याय की बात क्या है ?

श्री गोविन्द सहाय—सामाजिक न्याय, समय की आवश्यकता के अनुसार उसकी परिभाषा बदलती रहती है। इसलिये वह कोई स्ट्रेट चीज नहीं है। यह गौर के लिये है कि अगर आप प्रतिकर की प्रणाली को दोनों जगह ४० गुना कर देंगे तो वह ज्यादा व्यावहारिक होगा और ४० गुना जमीन की असली कीमत से काफी कम है। बहरहाल, यह राय है, अगर आप लोगों को भी नामन्जूर है तो मुझे एतराज नहीं होगा।

अब दूसरा सवाल है कोआपरेटिव्ज का। उस बारे में मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। एबालिशन आफ जमींदारी और उसके बाद जमीन का वितरण और फिर सहकारी खेती, यह एक क्रम है। तो सहकारी खेती के सम्बन्ध में मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि जो बयानात निकले हैं और जो बिल में है उससे एक बात साफ नहीं होती है कि अगर कोई सहकारी समिति है और उसमें ऐसे लोग हैं कि किसी के पास १०० एकड़ है, किसी के पास ५० एकड़ और किसी के पास २ एकड़, तो जो १०० एकड़ वाले का सरप्लस लैण्ड होगा वह उसी सहकारी समिति को जायगा या किसी दूसरी सहकारी समिति को जायगा। यह सही है कि कोआपरेटिव फार्म्स होंगे, उनका ऐग्रेगेट होगा लेकिन इसका जरा ज्यादा क्लैरिफिकेशन कर दें तो अच्छा होगा। मौजूदा बिल में यह बात बहुत स्पष्ट नहीं मालूम होती। फिर भी मेरा खयाल है कि जो बिल पेश किया गया है उससे अगर बहुत लाभ नहीं होता, जैसा कि उधर से कहा गया कि शायद कुछ भी लाभ नहीं होगा, मुझे आश्चर्य है कि कम से कम इतना लाभ तो हुआ ही कि जमीन का बंटवारा होने लगा। यह दूसरी बात है कि लैण्डलेस लेबर को दी गयी या अपने रिश्तेदार को दी गयी, लेकिन जो लैण्ड एक जगह इकट्ठी पूल्ड थी वह इस बिल की धमक से, इसके आने से उसको दूसरों के नाम तो किया गया। अगर यही बात मान ली जाय जो आपका उसूल था कि जो लैंड किसी के पास बहुत ज्यादा थी उसको उन्हीं लोगों को तकसीम करने के लिये विवश तो होना पड़ा, तो यह नहीं है कि इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, फायदा तो हुआ।

अब रहा यह बात कि कितनी जमीन मिलेगी, तो यह सही हो सकता है कि जमीन कम मिले क्योंकि जो कानून हम बनाते हैं उसको लोग किस स्पिरिट में लेते हैं इस पर मुनहसिर है। मैं अब भी यह समझता हूं कि हमारी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का जो तरीका है उसमें कानून तो बनता है परन्तु कानून बनने से पहले लोगों को तैयार नहीं किया जाता। नतीजा यह होता है कि जो लोगों को बहकाते हैं उसी को लोग मान लेते हैं। लिहाजा यह जरूरी था कि जो कानून बने उसे हम लोगों को समझाते। उस हालत में मैं समझता हूं लोगों में कानून तोड़ने की

[श्री गोविन्द सहाय]

प्रवृत्ति पैदा नहीं होती। जो यह कहा जाता है कि १५ अगस्त से चालू न कर के पहले से कर दिया जाय, तो जो हमारे कानूनी पंडित हैं वे सब भी चुपके चुपके यही राय देते हैं कि यह १५ अगस्त का भी माना नहीं जायगा। इसमें हम ही एक फैक्टर नहीं हैं, इसमें जुडिशियरी भी एक फैक्टर है। हमारे जजेज के दिमाग में भी यह बात आने की जरूरत है कि इससे लोगों को फायदा होगा। इसलिये हो सकता है कि जितना फायदा इसके जरिये होना चाहिये था वह न हो पाये, लेकिन साथ ही जो प्रथा है कानून बनाने की उसके अनुसार जितना सम्भव था, वह करने की, मेरा खयाल है, इस बिल में कोशिश की गयी है।

अब रहा यह कि कोआपरेटिव फार्मिंग या सीलिंग से क्या यह प्राबलम हल हो जायगी? तो इसके बारे में, दो रायें हो सकती हैं। कुछ दोस्तों की ईमानदारी से यह राय है कि जितना सरकार नये नये कारखाने अपने आप खोलती जा रही है, व्यापार अपने आप करने लगी है उससे पेचीदगियां बढ़ीं और वे दोस्त यह समझते हैं कि अगर सरकार यह काम खुद न करती और लोगों को मौका देती तो यह अन्न वगैरह का सवाल काफी हल हो सकता था। यह बड़ा सद्धांतिक मसला है और इसके बारे में, दो रायें इस, देश में हैं और अगर नहीं हैं तो कल को होनी हैं। नहीं हैं, इसके लिये मुझे अफसोस है, होनी चाहिये। इसी में हमारा कल्याण है क्योंकि सारी बहस एक आइडियोलोजिकल प्लेन पर आ जायगी। मेरा अपना खयाल यह है कि बढ़ती हुई समाज की जिम्मेदारियों को पहले सरकारें नहीं पूरी करती थीं और पहले की सरकारों का यह काम नहीं था कि वह लोगों को रोटी दे, वह लोगों की शिक्षा का प्रबंध करे, लोगों के रोजगार की जिम्मेदारी ले, यह काम पहले व्यक्ति किया करते थे। वह अपने भाग्य पर और अपने ईश्वर के सहारे अपने मसलों को हल किया करते थे। ज्यों ज्यों यह भावना बढ़ती जा रही है और सरकार के प्रति जनता की यह आशा बढ़ती जा रही है और यह विचार लोगों में व्यापक होता जा रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी गरीबी और हमारी अमीरी तथा चीजों के दाम बढ़ने तथा घटने में सरकारी नीति जिम्मेदार है। सरकार उसी हालत में पूरा कर सकती है जब सरकार का व्यापार हाथ में रहेगा और चीजों के दाम मुकर्रर करने में सरकार का हाथ रहेगा। जो सरकार पहले काम नहीं करती थी उन कामों में सरकार को प्रवेश करना होगा। इसलिये आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार रहे जिसकी इन चीजों की जिम्मेदारी रहे तो वह उनको पूरा नहीं कर सकती है जब तक कि इन सब चीजों में आमूल परिवर्तन करने और दखल देने की नीति को न अपनायेंगी।

इसलिये यह कोई खुशी की बात नहीं है बल्कि सरकार को दखल देने में अनेक दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, मुखालिफत अपने सिर मोल लेनी होती है और इसके लिये कोई ढांचा भी नहीं बना है, इसलिये जब कानून आते हैं तो खुशी नहीं होती है। लेकिन इन सबका मुख्य कारण यह है कि दस साल का अनुभव हमें बताता है कि अगर हम चाहते हैं कि खेती की पैदावार बढ़े तो उसके लिये न सिर्फ फार्मों के खोलने की जरूरत है, न थोड़े से किसानों को मदद देने की जरूरत है, बल्कि सुचारु रूप से चलाने के लिये जो लाखों किसान बहुत ज्यादा तादाद में हैं जिनके पास जमीन कम है जब तक उनके पास टैक्नोलाजी और साइंस की मदद नहीं पहुंचाई जायगी तब तक हम अन्न का उत्पादन नही बढ़ा सकेंगे। जो किसान पैदा करते हैं जब तक उनके सामान के लिये मार्केटिंग का इंतजाम नहीं करेंगे तब तक वह लाभ नहीं उठा सकेंगे। इसलिये छोटे-छोटे किसानों तक टैक्नोलाजी और साइंस को पहुंचाने के लिये हमें अपने रिसोर्सेज और लैण्ड को पूल करना होगा। इसलिये इस दिशा में जाने के लिये यह एक कदम है और मैं समझता हूं कि इन कदमों से शुरू में फायदा नहीं हुआ करता है। जैसे एक भाई ने बताया कि चकबंदी के बारे में बहुत ज्यादा विरोध किया गया और फिर भी उसको नहीं माना गया और आखिर में वही नतीजा हुआ कि चकबंदी से नुकसान हुआ। मैं समझता हूं कि चकबंदी से कोई नकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इसके करने में थोड़े काल तक अनिश्चितता आई और किसानों का लगाव जमीन से कम हुआ जिसके कारण प्रोडक्शन में थोड़े काल के लिये नुकसान हुआ।

लेकिन जब चकबंदी ठीक तरह से चालू हो गई तो सब ठीक हो गया। जब एक काम से दूसरा काम शुरू करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था लाते हैं तो एक वैकुअम पीरियड आया करता है और उसमें अनिश्तिता बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है और परेशानी भी बढ़ती है, लेकिन इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसलिये हमारे देश में जो पालिसी कांग्रेस के नागपुर सेशन में तय की गई है, मेरा अपना खयाल तो यह है कि उससे अवश्य लाभ होगा और इससे अन्न की समस्या के हल होने में मदद मिलेगी और इसके अलावा टैक्नोलाजी और साइंस को छोटे-छोटे किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसलिये इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये इस बिल के जरिये एक कदम उठाया गया है। कहा यह जाता है कि यह पूरा नहीं होगा। नागपुर में आपने जो प्रस्ताव पास किया है उसको कैसे खत्म किया जाय और हुकुम सिंह जी के दोस्तों की जमीन कैसे बचाई जाय, इसके लिये यह बिल लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह बात कहना जायके में भी अच्छी नहीं है और वास्तविकता में भी अच्छी नहीं लगती है। जायके से मेरा मतलब यह है कि एक गवर्नमेन्ट की जो पालिसी है, वह ठाकुर हुकुम सिंह साहब का कोई परसनल मामला नहीं है। जहां तक मेरा खयाल है कांग्रेस पार्टी में ज्यादा जमींदार नहीं हैं। हों भी थोड़े से तो उनकी ट्रेनिंग यह रही है कि अगर बड़े काज के लिये थोड़ा बहुत छोड़ना पड़े तो उसको कुर्बान करना चाहिये। निजी तरीके से मुझे भी काफी नुकसान होने वाला है। १०० एकड़ के करीब जमीन मेरी भी निकलने वाली है लेकिन मैंने ट्रांसफर वगैरह नहीं किया। तो कोई पर्सनल सवाल नहीं है कि किसी की जमीन जाय या न जाय। इस दृष्टि से नहीं सोचना है।

मेरा खयाल है यह बिल रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के जरिये नहीं आया बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है। हम लोगों में काफी इसके पहलुओं पर बहस हुई है और जो इसके बड़े प्राविजन्स हैं मेरा खयाल है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अंश तक इसको व्यावहारिक समझती है। हो सकता है कि कुछ लोगों की यह राय हो कि साढ़े १२ एकड़ जमीन पर सीलिंग होनी चाहिये। बहरहाल, होगा वही जो इधर के लोग चाहेंगे। जब होना ४० एकड़ है तो साढ़े १२ एकड़ कहने से नुकसान नहीं होगा। इससे उसूल भी कायम रहता है और जमीन को भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब इधर के लोगों को सोचना होगा तो सब पहलुओं पर विचार करना होगा। साढ़े १२ एकड़ पर अगर सीलिंग कर दें तो ज्यादा लोगों को जमीन दे सकेंगे, लेकिन गांव की जिन्दगी में आप अगर कायल होंगे, गांव के अन्दर अगर आप जमीन की सीमा निर्धारित कर रहे हैं तो कल को आमदनी के ऊपर भी सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। खेती का जो पेशा करता है उसके ऊपर सारे बंधन लगाना और उद्योग के क्षेत्र में और सर्विसेज में बंधन न लगाना, यह घातक हो सकता है। इसलिये यह एक शुरुआत है। इसका आप समर्थन करिये। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। दूसरा कदम भी जल्दी बढ़ेगा। अगर आप रोड़ा अटकायेंगे तो जो कदम आगे उठाना है, जो हम भी समझते हैं कि होना चाहिये, उसमें बाधा पड़ेगी। इसलिये अगर आप नीयत पर शक करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप कहिये कि हम इसका स्वागत करते हैं और आगे जो इससे अच्छा कदम है उसको उठाइये। तो जो बात आप चाहते हैं उसमें हमें मदद मिलेगी। मैं समझता हूं कि इस बिल की किसी तरफ से मुखालिफत नहीं होनी चाहिये क्योंकि जो ज्यादातर लोग इस पर बोल रहे हैं वह कांग्रेस के लोगों से ज्यादा जोर के साथ इन उसूलों का प्रचार कर रहे हैं। हमारे कम्युनिस्ट दोस्तों ने तेलंगाना के जमाने से इसका नारा लगाया है। हमारे सोशलिस्ट दोस्तों ने भी इन सिद्धांतों को माना है। हमारे जो बिलकुल शुद्ध सोशलिस्ट हैं वह वर्षों से इसका प्रचार कर रहे हैं।

*श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। शुद्ध सोशलिस्ट हैं तो शुद्ध कांग्रेसी भी होंगे। इसके साथ-साथ एक और निवेदन है। जो सदन में ज्यादा बोलते हैं तो सदस्य लोग ऊब जाते हैं। सदन का समय भी खराब होता है और उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टीकाराम पुजारी]

बोलने में भी परेशानी होती है। इससे मैं कहूंगा कि दस मिनट सदस्य के लिये और पंद्रह मिनट नेता के लिये रखे जायं। उन्हीं का नम्बर आता है जो डेढ़-डेढ़, दो-दो घंटे बोलते हैं।

श्री अधिष्ठाता--माननीय पुजारी जी, आप बैठिये, इसके बाद में कहियेगा।

श्री टीकाराम पुजारी--मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा.....

श्री अधिष्ठाता--माननीय पुजारी जी, आप बैठ जाइये, आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी--व्यवस्था का ही प्रश्न मैं करता हूं, बिना व्यवस्था का प्रश्न मैं नहीं करता।

श्री गोविन्द सहाय--मैं यह कह रहा था कि यह एक ऐसा विषय है कि जिस पर कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट, सोशलिस्ट और जनसंघ के दोस्त सभी सहमत हैं। इस मामले में सब की राय है कि भूमि का विभाजन होना चाहिये। सिर्फ बहस इसी बात पर हो सकती है कि उसकी सीमा क्या हो--४० हो, ३० हो, २० हो या साढ़े बारह हो? इधर के लोगों का यह खयाल है कि हर दृष्टि से गांव के समूचे विकास को देखते हुये, अन्न की समस्या के सुलझाव को देखते हुये, आज की स्थिति में ४० एकड़ एक व्यावहारिक है। (व्यवधान) हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे लोग हों जिनका खयाल हो कि ४० नहीं ३२ हो, ३० हो। लेकिन यह कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो सैद्धांतिक हो। ज्यादातर हमारी जो ओपीनियन है ४० एकड़ पर ज्यादा आंखें जमती हैं। यह आखिरी है, या इससे अच्छा नहीं हो सकता, यह दावा हम नहीं करते। लेकिन इन हालात में ४० एकड़ आज एक व्यावहारिक दीखता है और ४० एकड़ से हम समझते हैं कि कोई अव्यवस्था नहीं होगी, कोई बड़ा वैकुअम नहीं होगा। इसलिये हम उसका समर्थन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस बिल का विरोध किसी तरफ से भी नहीं होगा।

मुझे पता नहीं चला है कि स्वतंत्र पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी की तरफ से क्या उनका दृष्टिकोण सामने आया है। कम से कम अभी इस सदन में मुझे सुनने का मौका नहीं मिला। बाहर कुछ जानने का मौका मिला है, लेकिन इस सदन में जानने का मौका नहीं मिला। उन दोस्तों का इसके विपरीत खयाल है और उनका खयाल है कि सरकार जो यह सीलिंग करने जा रही है इससे व्यक्तियों की आजादी का हनन होता है और इसका घातक परिणाम होगा। इससे हमारी जो एक प्राचीन परम्परा है वह भी टूटने वाली है। बहरहाल, मैं समझता हूं कि चाहे उनकी बातें अपनी जगह सही हों, लेकिन इन मौजूदा परिस्थितियों के काम्प्लीकेशंस में जो सरकार की जिम्मेदारी ज्यों-ज्यों आप बढ़ाते जा रहे हैं उसमें चाहे इधर की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसको व्यापार में, जमीन की पालिसी में, प्राइस के फिक्सेशन में इन सब चीजों में दिलचस्पी लेनी पड़ेगी और इसलिये आज के युग में, मैं सिर्फ एक फिकरा ही कहूंगा। आप एक पेचीदा मशीन युग की समस्याओं का पुराने कृषि युग की फिलास्फी से मुकाबिला नहीं कर सकते। आज के मशीन युग की समस्याओं को हल करने के लिये आपको अपने सोचने के ढंग में आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आप न करें, आपको अख्तियार है। लेकिन आवश्यकता आपसे इसको करायेगी।

हम भी आखिर सीलिंग के प्रश्न पर एक मत नहीं थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अन्दर सीलिंग के प्रश्न पर विरोध न रहा हो। हमारे पहले रेवेन्यू मिनिस्टर, बुनियादी तरीके से, ईमानदारी के साथ सीलिंग के खिलाफ थे। लेकिन समय की आवश्यकता व्यक्ति के विचारों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। यह इस बात का सबूत है कि एक आगे बढ़ती हुई पार्टी की पहचान ही यह हो सकती है कि उसमें एक तंगनजरी के साथ में विचार न होकर के, बल्कि जो समय की आवश्यकता है उसके अनुकूल अपने ज्ञान को अपने, सोचने के ढंग को बदलने की सामर्थ्य हो। मैं इस बात को मानता हूं कि यह सीलिंग का सवाल कोई धार्मिक

सवाल नहीं है, कोई कट्टरता का सवाल नहीं है। अब से दो चार साल पहल बहुतसे इधर के लोगों की भी राय यह थी कि सीलिंग की कोई जरूरत नहीं है। हम बहसों में इस बात को काटा करते थे कि सीलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हम सीलिंग के ऊपर आने को मजबूर हुए हैं। दस साल के कटूर अनुभव के बाद हम इस नतीजे पर आये हैं कि हम बड़ी-बड़ी जमीनें भी तोड़वा लें, बड़े-बड़े किसानों की जमीन में खाद और पानी की व्यवस्था भी कर दें तो भी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि टेक्नालाजी और साइंस को कृषि के क्षेत्र तक न पहुंचायें और उसके लिए कोआपरेटिव जरूरी है और कोआपरेटिव के लिए सीलिंग जरूरी है। तो यह एक विचारों का प्रभाव है जिसका कि हम पर असर हो रहा है, और इसी खयाल से मैंने कहा कि कांग्रेस सरकार का लैन्ड के मामले में यह आखिरी बिल है। आखिरी से मेरा मतलब यह है कि जो कुछ उनके दिमाग में मौजूदा हालत में आ सकता है और उन मौजूदा हालात में जो कुछ उसके लिये सोचा जा सकता है वह सोचकर यह बिल आपके सामने रखा है। कोई भी आदमी यह दावा नहीं कर सकता है कि इस बिल के अन्दर परिवर्तन नहीं किया जायगा। हो सकता है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो जाय और ऐसी हालत पैदा हो जाय जिससे ४० के बजाय कुछ कम ठीक हो तो कमी की तरफ जा सकते हैं और यह भी हो सकता है कि लोगों का विचार बदल जायं और ४० के बजाय ५० की तरफ जा सकें। यह सामाजिक तरक्की का एक तरह से प्रोसेस हुआ करता है जो समाज को जिन्दा रखता है।

हम एक सामाजिक क्रान्ति के दौर से गुजर रहे हैं तो हमारी प्रगति के रास्ते में जो भी लोग हायल होंगे वह उखाड़ कर फेंक दिये जायंगे। मेरा खयाल है कि यह बिल जो लाया गया ह इसमें सब चीजों का जितना समावेश हो सकता है वह रखने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने अपनी सारी सम्पत्ति उस तराई की लैन्ड को तोड़ने में लगाई है वह काबिले तारीफ बात है। आप वहां पर जाकर देखें। नामुमकिन था कि कोई आदमी उन जमीनों पर खेती कर सकता हो। उन्होंने अपनी सारी ताकत को वहां पर लगाकर, अपनी सारी जवानी को वहां पर लगाकर, उस मिट्टी को खेती के लायक बनाया है और उसके बनान में उन लोगों को करीब ७, ८ साल लगे और ७, ८ साल का वक्त मामूली तरीके से ऐसी जमीन में लगता है। तो यह सामाजिक न्याय से उचित नहीं होगा कि लैन्ड लेस लेबर को वहां पर ल जाकर बसाया जाय। वह वहां पर जाकर सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि टैक्नालाजी से और वहां की आबोहवा से लड़ने की ताकत उनमें न हो। इसलिये व्यावहारिक दृष्टि से सरकार उस जमीन को अपने हाथ में ले ले और लेने के बाद उसका मैनेजर मुकर्रर करे तब वह एक तरीके से पोसफुल लिक्वीडशन उस जमीन का होगा। हमारे कम्युनिस्ट भाइयों को तो इसका समर्थन करना चाहिये क्योंकि अब वह वाएलेन्ट लिक्वीडेशन को इसके मुकाबले में ज्यादा पसन्द नहीं करते हैं। इससे वहां के लोगों का फायदा होगा। यह बिलकुल उचित बात है कि मैकेनाइज्ड फार्म पर सरकार का कब्जा हो। चाहे उसको बाद में सीड फार्म बना लिया जाय। अगर ऐसा होगा तो जो सीड की दिक्कत रहती है और अच्छा बीज नहीं मिलता है इसकी दिक्कत हल होगी। यह असल बीज का सवाल एक मौलिक सवाल है। सरकार उसको मैकेनाइज्ड फार्म या स्पेशल फार्म में तब्दील कर सकती है और जो उसके मैनेजर होंगे उनसे कह सकती है कि अगर आप उपज बढ़ायें और इसमें प्रगति दिखायें तो आपको बोनस मिलेगा। यह प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें किसी दोस्त को बचाने का सवाल हो। इसमें इन्साफ और सोशल जस्टिस को समझने की बात है। दूसरे तजुर्बे हासिल होते हैं और जो नये-नये खेती के अनुसन्धान होते हैं उनके करने के भी वहां पर संभावना हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मैनेजर का प्रपोजल है उसको मान लेना चाहिये और उसका स्वागत करना चाहिए .....

राजा वीरेन्द्रशाह---जो ९० लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है उसका क्या होगा ?

श्री गोविन्दसहाय—असल में मैं राजा साहब की बेताबी को समझता हूं। जमीन के लिये लोगों को बड़ा पशन होता है। जब जमीन निकलती है तो उनको कुछ गुस्सा भी आता है। आपका मतलब यह है कि जो कुछ जमीन पड़ी हुई है उसका प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? मैंने यह कब कहा कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जायगा। जो इसके अन्दर आ गई है वह प्रयोग में आयेगी और तरक्की होने की गुंजाइश है। बहरहाल, मैं समझता हूं, उधर के लोगों को नुकसान पहुंचाने का न इसमें कोई मकसद है और न किसी को ठेस पहुंचाने की बात है और न किसी को फायदा पहुंचाने की बात है। मैं समझता हूं यह समय की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के लिये हम आगे बढ़ रहे हैं और उस बढ़ने के लिये जो हमारा दिमाग सोच सकता है उसको सोचकर आपके सामने रखा है। मैं आशा करता हूं कि जिस व्यावहारिक और खुले दिमाग से यह आपके सामने रखा है इसको उसी तरीके से मंजूर करेंगे और इसका स्वागत करेंगे क्योंकि मेरा यकीन है कि आप और मैं सब मिलकर, जो विचारों का प्रवाह है, उसकी प्रगति को रोक नहीं सकते हैं। अगर हमने और अपने यह प्रयत्न नहीं किया तो वह प्रयत्न सब के लिये बहुत मंहगा पड़ेगा। इसलिए दानिशमन्दी का तकाजा है और दानिशमन्द हवा के ढंग को पहचानकर अपने एम्शन्स उसके अनुकूल बना लेते हैं। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस बिल का आप समर्थन करेंगे।

*श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)—सदरे मोहतरमा, गालिब का एक शेर बाद आ गया कि:

रखिये गालिब मुझे इस तल्खनवाई से माफ।
आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है॥

मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी दिल खराश हों कि जो किसी व्यक्ति या समुदाय को बुरी मालूम पड़ें लेकिन मैं यहां पर एक पार्टी जो बिलांग करता हूं और उसका जो नुक्ते नजर है, आपके सामने रखना चाहता हूं।

मैंने बड़े गौर से गोविन्द सहाय जी को सुना और मुझे हैरत हुई यह सुन कर कि यह बिल दूसरे बिलों से अच्छा है। क्या अच्छाई है? गुड वर्डस है, या वसीह है, या कौन सी चीज ऐसी है कि जिसने उनकी तवज्जह अपनी तरफ खींची है। मेरी समझ में नहीं आया कि कैसा रुख उन्होंने इस बिल के बारे में रखा है। इस बिल को देखने पर, इसके एम्स ऐण्ड आब्जेक्ट्स देखना मामूली बात है। पढ़ने वाला सबसे पहले उसी को पढ़ता है। उसमें कहा गया है कि हम यह चाहते हैं कि कोआपरेटिव बेसिस पर फार्मिंग हो, हम यह भी चाहते हैं कि ज्यादा उपज हो ताकि अगर कोई आने वाली कैलेमिटी हो उसका हम मुकाबला कर सकें। हम यह भी चाहते हैं कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिल सके और दश में खुशहाली हो और यह भी कहा गया है कि हम चाहते हैं कि जमीन की तकसीम भी हो।

यह चार, पांच बातें जो एम्स ऐण्ड आब्जेक्ट्स में हैं। क्या वाकई उनकी तलाफी इस बिल से हो जाती है? अगर हो तो मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिये तैयार हूं। लेकिन जब बिल को पढ़ा जाय और हम उसको देखें तो यह मामूली-सा बिल मालूम पड़ता है, मुख्तसर-सा। इसमें कुल ४० सेक्शन्स हैं। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में अच्छी तरह से इसका मुताला हो सकता है। मेरी समझ में ऐसा आता है कि माननीय गोविन्द सहाय जी अक्सर जनरल डिस्कशन किया करते हैं और मुझे माफ करेंगे कि जिस सूरत से उन्हें इस को पढ़ना चाहिये उस तरह से उन्होंने इसको पढ़ा नहीं और अगर पढ़ा तो उसकी खामियों को दिखाया नहीं, जैसे एक होशियार आदमी अपने काम की खामियों को सामने नहीं रखता। हमारे यहां राम जी सरन एक एडवोकेट हैं। जब एक अपील को आर्गू करने गये तो बड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जोरदार तरीके से आर्गू कर गये, बड़ी शानदार बहस रही, लेकिन जब देखा गया कि यह अपील कौन सी है तो पता लगा कि अपील दूसरी है और उन्हें दूसरी ही अपील पर आर्गू करना था। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपनी बात के साथ-साथ फीगर्स और फैक्ट्स भी जरूरी हैं।

मेरा दावा है कि इस बिल में कोई अच्छाई नहीं है और दो, ढाई साल में इससे खराब और कोई बिल नहीं आया। इस बिल में कोई सीलिंग नहीं की गई है, कतई सीलिंग नहीं है और अगर कोई इसे साबित कर दें तो मैं उसकी शागिर्दी करने के लिये तैयार हूं। इसमें कहा गया है कि ४० एकड़ की सीमा है, उससे घटिया ६० एकड़ और उससे घटिया ८० एकड़ और उसके बाद १२८ एकड़ और फिर उसके बाद आपने दफा १३ में कितने एक्सेप्शन दिये हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, १८ एक्सेप्शन्स हैं, जिनमें एक खलिहान वाले को छोड़ कर किसी के लिये कोई सीमा नहीं है। पहली मई, १९५९ के पहले जो आराजी है, चाहे उसमें वह १,००० एकड़ पर बाग लगा ले। गरीबों की बड़ी हमदर्दी के लिये उन्होंने अपनी जमीनें डिस्पोज आफ नहीं कीं और उसे अपने काम में भी ला सकते हैं ऐसे प्राविजन हैं। दफा १६ देखिये। आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्या है एक तमाशा है। डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल का प्रेसीडेंट कौन? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। यहां खैर साहब ठीक टाइम पर आते हैं, वहां तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आप देखें कि उसके अख्तियारात कितने लामुतनाही हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। दफा १६ में जिसको भी चाहे २ एकड़ से लेकर १० एकड़ तक बाग लगाने के लिये आज भी दे सकता है। कहते हैं कि सीलिंग लग गयी। हमें पता नहीं, कहां गयी? क्या परेशानी है, क्या खिलफशार है, कुछ समझ में नहीं आया। यह सीलिंग नहीं है।

गोविन्द सहाय जी ने कहा कि बड़ी अक्ल व दानिशमन्दी के साथ और दिमागी जद्दोजहद के बाद इस बिल को तैयार किया है, लेकिन यहां तो रोने की जगह है। मालूम होता है कि अक्ल की सीलिंग हो गयी और उसके बाद उन्होंने तय किया कि इससे बढ़िया बिल बन नहीं सकता था। तो इस सरकार को क्या कहा जाय जिसकी अक्ल खत्म हो गयी, जो इसके आगे सोच नहीं सकती। मैं आप को दावे से कहता हूं, जैसा कि भीखालाल जी ने कहा कि, जमीन इससे आपको मिलने वाली नहीं है, कोई गुंजायश नहीं है मिलने की। यहां होता यह है कि कानून बनने से पहले ही, जब कि वह दिमाग में होता है, पब्लिक में रोजे रोशन की तरह से आम हो जाता है। चुनांचे हर आदमी माननीय गोविन्द सहाय की तरह से फ़ैयाज नहीं है। लोग बागात लगाते हैं, जमीन को डिस्पोज आफ भी करते हैं और हर मुमकिन तरीके से इस बात की कोशिश करते हैं कि हम अपनी जमीन को किसी जरिये से कम करें। जिसके पास जायदाद है वह हक बजानिब है उसका फायदा उठाने के लिए।

तो मैं पूछता हूं कि सीलिंग का क्या नुक्तेनजर है। कहीं ४० एकड़ या १२० एकड़ या १५० एकड़ और कहीं जमीन फरटाइल है, कहीं खराब है, कहीं सिंचाई का इन्तजाम है, कहीं नहीं है और पापुलेशन का भी खयाल रखने की जरूरत है। अगर हम उसका लिहाज रखें तो हमको पता चलता है कि आप जिसे क्रान्तिकारी जमाना कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गये तो मैं कहता हूं कि हम बहुत पीछे पड़ गये। सन् ८०-८२ में हमारे यहां ५ मिलियन टन फूड में इजाफा था और आज अक्ल, विज्ञान और साइंस के जमाने में क्या हुआ कि आप पीछे हटे। आप गल्ला मांगते फिरते हैं। कहां से गल्ला आता है? माननीय गोविन्द सहाय के फार्म से आता है, राजा मनकापुर के फार्म से आता है या चौधरी साहब के यहां से आता है? सब फोरेन कंट्रीज से आता है।

(इस समय ३ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

कोई मीन्स आफ प्रोडक्शन नहीं बढ़े। मैं यह नहीं कहता कि उधर अक्ल नहीं है। आज भी उधर अक्लमन्द और होशियार लोग बैठे हैं। लेकिन यह भी कानून है कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स होना चाहिए और यह भी कह रहे हैं कि सीलिंग होनी चाहिये और कोआपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए। इन नारों से बचने के लिये यह काम किया है कि किसी शक्ल में

[श्री शिवराजबहादुर]

कानून ले आयें। हिन्दुस्तान और खासतौर से यू० पी० की बदकिस्मती है कि लोग कानून पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते तो पूछते भी नहीं हैं। बार असोसिएशंस में अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े एडवोकेट हैं लेकिन कानून तभी पढ़ेंगे जब कि मेहनताना मिल जाता है। या कभी अखबार में देख लिया कि माननीय गोविन्द सहाय की बड़ी अच्छी स्पीच हुई, और कहा कि बड़ी मुदल्लल स्पीच है। बस अखबार में पढ़ लिया कि नेता विरोधी दल ने कह दिया कि बड़ा अच्छा है, जो रीयल स्पिरिट है कानून की उस को नहीं देखते हैं न उस को पढ़ते हैं।

आप कहते हैं कि हम सीलिंग से फायदा उठा लेंगे। मुझे तो बड़ी मायूसी हुई। इत्तफाक से मैंने इस बिल को एक दफा पढ़ने के बजाय दो दफ़ा पढ़ा। एक दफ़ा मेरे मित्र ने पढ़ कर सुनाया, दूसरी दफा मैंने पढ़ा। इसमें कोई सीलिंग नहीं है, कोई भी हदबन्दी नहीं है। जो भी चाहे, जितनी भी जमीन चाहे रख सकता है। यह सिर्फ एक धोखा दिखला दिया है, यह बड़ा हसीन फरेब है। यह है तो दरिया, लेकिन बड़ी हसीन जगह है। हम उसकी तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर दरिया नहीं है, सुराब है लेकिन लगता है कि दरिया है। हम दरिया की तरफ भागते हैं कि पानी मिलेगा लेकिन जब देखते हैं, कि सुराब है, सब्जबाग है, धोखा है। "लैंड रिफार्म्स" नाम की पैम्फलेट में यह लिखा हुआ है :

"Whatever reforms might be contemplated one should not forget, that in judging their merit more importance should be given as to how they would affect the society as a whole than as to how they would affect particular sections."

जब हम कोई रिफार्म्स लाना चाहते हैं तो हम नहीं सोचते कि इस रिफार्म से किसी ग्रुप को, किसी पार्टी को फायदा होगा बल्कि हम देखते हैं कि आम पब्लिक को फायदा हो। आज हम देखते हैं कि मुश्किल से २.५ एकड़ जमीन एवं जगह आती है। हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से बड़ी हमदर्दी दिखाई जाती है, सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसायटी का नारा बुलन्द किया जाता है, हम देखते हैं कि रोज हमारे मन्त्रीगण कहते हैं कि किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, लेकिन अगर कोई मर जाता है तो कह दिया जाता है कि हैजा हो गया या ताउन हो गया। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की विशेषता क्या थी, उन्होंने जो गलती की उसको माना लेकिन आज हमारी सरकार अपनी गल्तियों को कभी नहीं मानती बल्कि फैक्ट्स और फीगर्स को ट्विस्ट करके और छिपाकर हमारे सामने रखती है और कहती है कि हमने ठीक काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बड़ा खतरा है। अगर एक आदमी अंधा हो और वह कुवें में गिर जाय तो कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन जिसकी दोनों आंखें खुली हुई हों, जानता हो कि सामने कुवां है, खतरा है, फिर भी अगर गिर जाय तो बड़ी खतरे की बात है।

गर बीनम कि ना बीना चाह अस्त
गर खामोश बिन सीनम गुनाह अस्त

अगर हम देखते हैं कि कोई अंधा कुवें की तरफ जा रहा है और उसमें गिर जायगा तो उसको अगर हम न रोकें तो यह गुनाह है, लेकिन अगर कोई आदमी जिसे दोनों आंखें हैं वह कुवें की तरफ जा रहा है और कहता है कि इसमें गिर जायेंगे तो उससे कहो कि जल्दी कूदो। अगर सरकार इस बात से खुश है कि उसने बहुत अच्छा काम किया तो देहातों में वह दौरा करें तो मालूम होगा कि वह खुशहाल हैं या गरीब और मोहताज हैं। खुशहाली सिर्फ आपकी किताबों में है। जितना लिटरेचर आपके यहां से चलता है मैं तो सब पढ़ नहीं पाता जब कि मुझे कुछ पढ़ने का शौक है और पढ़ना चाहिये और मैं समझता हूं कि गोविन्द सहाय जैसे भी लायक सदस्य नहीं पढ़ पाते होंगे। जितना लिटरेचर है उसको अगर देखा जाय तो पता चलगा कि दुनिया में अगर कहीं पैराडाइज है तो वह सिर्फ यू० पी० में है, और कहीं नहीं है और न इससे अच्छी सरकार कहीं बन सकती है।

कोआपरेटिव फार्मिंग की बात कही जाती है। यू० पी० में कोआपरेशन पहले था भी और कोई भी तरक्की पसन्द आदमी कोआपरेशन को बुरा नहीं समझेगा। देहात में जिस समय कोल्हू लगते हैं तो उस पर सैकड़ों आदमी अपना गन्ना पेरते हैं, तो क्या यह कोआपरेशन नहीं है, लेकिन यह विलिंगनेस के साथ हो रहा है। कोआपरेटिव फार्मिंग जो आप लाना चाहते हैं क्या उसमें विलिंगनेस है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। किसी को मारना खराब चीज है लेकिन जब मैदान में दो फौजें आरास्ता हों तो उस वक्त लड़ाई लड़ना ही ठीक होता है, कोई चीज किसी वक्त अच्छी होती है, किसी वक्त बुरी होती है, चीजें बदलती रहती हैं। हर परिस्थिति में, हर माहौल में अलग-अलग देखना होता है। इसमें शुबहा नहीं कि हर आदमी चाहता है कि लैंडलेस लेबर गरीब आदमी हैं, उनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिलनी चाहिये। गोविन्द सहाय जी को बड़ा दर्द था, फर्माया कि तराई भावर में लाखों, करोड़ों रुपया सर्फ हो गया। बड़ी-बड़ी रियासतें खत्म हो गईं, उनका दर्द नहीं कर सके। हम देखते हैं कि दर्द है, हमारे साथ भी बैठने वाले बड़े-बड़े फार्म वाले हैं। अच्छी हैसियत वाले हैं। मान लीजिये कि कोई आदमी हवाई जहाज में उड़ता है, जरूरत है तो उड़े। कोई साइकिल पर चलता है, कोई मोटर पर चलता है और कोई रिक्शा पर चलता है, कोई तांगे पर चलता है। लेकिन किसी के पैर तो सलामत हों जिनसे वह चल सके। इतना खाना सब को जरूर मिलना चाहिये कि वह जिन्दा रह सकें। अभी थोड़े दिन हुये मालूम हुआ था कि रिक्शा बन्द किये जावेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक दफ़ा यहां से रिक्शा पर जा रहा था। रिक्शा वाले से बात करन पर मालूम हुआ कि वह इंटर पास था और बी० ए० में दाखिला लिये था। वह रात में रिक्शा चलाकर अपना काम चलाता था। उससे यह भी मालूम हुआ कि कई पोस्ट-ग्रेजुएट लड़के भी एसा कर रह हैं। तो यह हमारे देश के लिये कलंक का बायस है। आचार्य कृपलानी जी रिक्शा पर नहीं बैठते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है। लेकिन जैसे मोटर में इंजिन होता है, ऐसे ही रिक्शा में भी लग जाय तो चलाने वाले पर कोई जोर नहीं पड़ेगा और लोगों का रोजगार नहीं जावेगा। माननीय श्रीपाल सिंह जी के फार्म को सरकार ले ले, मगर उनके पट भरन का जरिया तो कुछ छोड़ना ही होगा। जमींदारियां गईं और रियासतें गईं, नवाब रामपुर, अब नवाब रामपुर नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष--अब नैतिकता की बातों को छोड़कर विधेयक पर, सीलिंग पर आ जाइये।

श्री शिवराजबहादुर--इस बिल में ४० सेक्शन्स हैं। १ से लेकर ४ तक तो सिर्फ डेफ़ीनीशन्स हैं। इसमें लिखा है कि--

"It shall come into force at once except in the areas mentioned in section 2, where it shall come into force from such date and in such manner as may be notified under that section, and different dates may be appointed for different areas."

मेरा कहना है कि यह सरकार बड़ी अनडेमोक्रेटिक होती जा रही है। इस बिल में कोई सीलिंग नहीं है। ४० एकड़, ५० एकड़, १०० एकड़, १,००० एकड़ हो सकता है। यानी यह सरकार के खयाल के ऊपर मबनी है कि फलां जगह सीलिंग यह हो और फलां जगह न हो। जैसे हमारे यहां तो जमींदारी खत्म हो गई है मगर पहाड़ों में नहीं की गई है। गवर्नमेंट का इसमें कोई डिस्क्रीशन नहीं होना चाहिये। यह एक बड़ी भारी कमी है और यह नहीं रहनी चाहिये। सेकेंड चैप्टर में दो चीजें सीलिंग के अलावा दी गयी हैं। सीलिंग के बाद एक्वीजीशन कैसे होगा। नोटिस दिया जायगा। उसमें टाइम कितना मुकर्रर होगा। उस टाइम के अन्दर उसको बता देना चाहिये कि वह कौन-सी जमीन लेना चाहता है और किस को छुड़वाना चाहता है। अगर किसी बजह से वह नहीं बता पाया तो उसका फैसला प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी करेगी या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेगा। इन दोनों अधिकारियों को अनसर्टेन बना दिया गया है। उनको ऐसे अख्तियार नहीं देने चाहिये थे। डेमोक्रेसी का यह

[श्री शिवराज बहादुर]

तकाजा है कि इसके लिये भी पब्लिक के लोग रखे जाते, पब्लिक के प्रतिनिधि होने चाहिये थे। जहां इसमें टाइम लिमिट रखी है वहां लिखा हुआ है :—

"Any party aggrieved by an order under section 9, may, within thirty days of the date of the order, prefer an appeal to the District Judge within whose jurisdiction the land is situate."

इस प्रकार से ३० दिन का वक्त दिया गया है लेकिन जहां गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसके लिये ९० दिन की मियाद रखी गयी है। जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वह सेक्शन इस तरह से है :—

"Notwithstanding anything contained in this Act, the period of limitation for filing an appeal by or on behalf of the State Government shall be ninety days from the date of the order appealed against."

गवर्नमेंट के पास बहुत से जराये होते हैं, ज्यादा उसकी मालूमात होती है लेकिन फिर भी उसके लिये ज्यादा वक्त रखा गया है। यह कितनी डिस्पैरिटी है। क्लाज ८ का सब-क्लाज ४ इस तरह से है :—

"Subject to the provisions of sub-sections (2) and (3) the order of the Prescribed Authority shall be final and conclusive and be not questioned in any court of law."

यहां बताया गया है कि कहां से आगे हम नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब आप काफी कह चुके। आप किसी बड़े उसूल पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री शिवराजबहादुर—अब मैं बगैर किताब के बोलूंगा। दूसरा सेक्शन कम्पेन्सेशन का है। कम्पेन्सेशन का जो तरीका इसमें अपनाया गया है वह दुरुस्त नहीं है। कम्पेन्सेशन यह देखते हुए होना चाहिये कि कौन जमीन किस कीमत की है। यह नहीं कि किसी का फार्म है जिसमें उसने बहुत-सा रुपया लगाया है लेकिन उसको भी वही कीमत दें जो मामूली जमीन की दे रहे हैं। मार्केट वैल्यू के हिसाब से कम्पेन्सेशन देना चाहिये।

चैप्टर ४ बहुत इम्पार्टेन्ट है। उसमें बताया गया है कि लैंडसेस लेबरर को जमीन दी जायगी। जिनके पास कोई जमीन नहीं है उनको जमीन देनी होगी। इसलिये अब इसमें यहां लैंडलेस लेबरर के लिये कोई जगह नहीं है। सेक्शन २५ में यह है कि जमीन का डिस्पोजल किसको किस तरह से कर सकते हैं। उसमें यह है कि जिसके पास मेकेनाइज्ड फार्म तीन साल पहले से था उसका मैनेजर उसको मुकर्रर कर दिया जायगा और अगर यह पब्लिक हित में मुनासिब नहीं है तो वह जमीन जिसका कि वह फार्म है उसी फार्म वाले को दे दी जायगी और वह फार्म वाला अपनी ताकत के मुताबिक जब तक चाहे और सरकार से अपने ताल्लुकात अच्छा रख सकेगा उसे रख सकता है। तो यह कोई बहुत बढ़िया डिस्पोजल का तरीका नहीं रखा गया है। लैण्डलेस लेबरर के लिये जमीन देने के लिये इस बिल में दफा १ से लेकर ४० तक कहीं भी तजकिरा नहीं है, सिर्फ यही दिया है कि जो लैण्डलेस लेबरर की कोआपरेटिव सोसाइटी होगी उसको वह जमीन दे दी जायगी बशर्ते कि १५ एकड़ से वह ज्यादा हो। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो बताया गया है कि कोआपरेटिव सोसाइटी को जमीन देंगे और दूसरी तरफ एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स में यह है कि लैण्डलस लेबरर की कोआपरेटिव सोसाइटी को जमीन दी जायगी। इसके माने यह हैं कि लैण्डलस लेबरर को उस कोआपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर होना लाजिमी होगा और तब उनको जमीन दी जायगी। जब तक वे उसके मेम्बर नहीं बनेंगे तब तक किसी शक्ल में वे उस जमीन को पाने के मुस्तहक नहीं होंगे। यह तो कोई तकसीम नहीं है।

कहा गया है कि इक्वीटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये लेकिन इसमें तकसीम और डिवीजन का जो तरीका है वह बिल्कुल गलत है। जिन ग्राम समाजों के पास जमीन नहीं है उनको सिर्फ १५ एकड़ तक जमीन दी जा सकती है वरना उनको भी इससे कम जमीन नहीं मिलेगी। फिर एक मेम्बर हो जो सोसाइटी का मेम्बर हो तब उसको जमीन मिलेगी। लेकिन किस सूरत में जमीन मिलेगी उस सूरत में जमीन मिलेगी जब कि उसके पास साढ़े १२ एकड़ से जमीन ज्यादा न हो। अगर उसके पास जमीन साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा होगी तो उसे वह जमीन नहीं मिलेगी। फिर यह जो वितरण का तरीका इस बिल में रखा गया है वह फेयर एवरेज किस्म की जमीन होगी या किस किस्म की होगी इसका कोई तजकिरा नहीं है। यह इतने गलत किस्म कीतकसीम है कि एक आदमी के पास तो हजारों बीघे का फार्म रहेगा और एक किसान जिसके पास साढ़े १२ एकड़ जमीन होगी वह चाहे अच्छे किस्म की हो या खराब किस्म की हो उससे ज्यादा जमीन पाने का वह मुस्तहक नहीं होगा।

अब रही अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव सोसाइटीज की बात। डेनमार्क में सबसे अच्छा कोआपरेटिव है। वहां के काश्तकार न तो बहुत ज्यादा मालदार हैं और न बहुत ज्यादा गरीब हैं। किसी देश की खुशहाली का अन्दाजा ४,६ बड़े आदमियों, पद्मपत सिंहानिया, टाटा, बिड़ला और डालमिया से नहीं हो सकता बल्कि उसका अन्दाजा तो जनसमुदाय से हो सकता है कि अवाम का रुझान इधर है कि नहीं। तो जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको ऐसा काम करना चाहिये कि जिन लैंडलेस लेबरर और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पास जमीन नहीं है उनको भी जमीन किसी न किसी सूरत से पहुंचायी जा सके और उसकी ठीक तरीके से तकसीम हो सके। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके से सीलिंग का बात जो रखी गयी है वैसा न होकर इनकम के ऊपर सीलिंग होनी चाहिये। जैसा कि आन्ध्र में ५,४०० की इन्कम पर सीलिंग हो रही है काश्मीर और जम्मू में भी सीलिंग हुई है। तो आप जमीन की सीलिंग न करके इन्कम की सीलिंग करें ताकि कोई आदमी उससे पीड़ित न हो। चौथे चैप्टर की बातें मैंने अर्ज की हैं और जहां तक डिस्ट्रिब्यूशन आफ लैंड का सवाल है उसको एक्वायर करके हम किस तरह से उसका डिस्पोजल कर सकते हैं यह मैंने बतलाया। इसका जो पांचवां सेक्शन है वह मिसलेनियस है उस में लार्ज होल्डिंग ऐक्ट को रिपील किया गया है और उसके परिणाम क्या होंगे यह सब है। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यह बिल हर नुक्तेनजर से तिश्ना है। मैं चाहता हूं कि इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और वहां इन तमाम बातों पर गौर किया जाय क्योंकि यह तो अजसरेनौ तब्दील करने के काबिल है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिन आदेशों और उद्देश्यों को लेकर यह विधेयक आया है मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, मैं इससे पहले एक बात और भी स्पष्ट कर दूं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अभी तक जो भाषण हुए उनमें २ बातें स्पष्ट थीं। एक तो कुछ भाइयों का खयाल यह था कि यह बिल प्रो-कम्युनिस्ट है और कुछ का खयाल था कि यह प्रो-कैपिटलिस्ट है, कहा गया कि बड़े-बड़े भूपतियों को छोड़ा जा रहा है। मैं तो उन लोगों में से हूं कि जिनको भूमि के सम्बन्ध में न कुछ देना है न कुछ लेना है इसलिये मैं कोशिश करूंगा कि एक आब्जेक्टिव बे में, एक मानवीय और सामाजिक आधार पर अपने विचारों को सदन के सम्मुख रख सकूं। सब से पहले मैं दो शब्द इसके उद्देश्य के विषय में कहना चाहता हूं, उस में ४-५ बातों को व्यक्त किया गया है।

पहली बात तो यह है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये भूमि का वितरण किया जायगा और उसका अधिक साम्यपूर्ण वितरण किया जाय, दूसरे सहकारिता के आधार पर खेती की व्यवस्था, तीसरे अन्न की अधिक उपज हो और पिछड़े लोगों का हित हो और साथ ही सार्वजनिक हित

[श्री नवलकिशोर]

भी हो। जो उद्देश्य हमने इसमें रखे हैं, मेरा विश्वास है कि उनके सम्बन्ध में सदन में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन देखना हमें यह है कि यह चीजें कहां तक कार्यान्वित हो सकती हैं। इसके विषय में सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो सीलिंग की बात आई या अधिकतम जोत की सीमा की बात आई उस के पीछे एक ही भावना है कि समाज में जो एक डिस्पैरिटी है, जो विषमता है वह दूर हो। इस पर मैं समझता हूं किसी को मतभेद नहीं हो सकता और न होना ही चाहिये। लेकिन मुझे इसमें एक बात महसूस होती है और वह यह कि जो विषमता को कम करने की बात है उसको हमने केवल भूस्वामियों तक ही सीमित किया है, इस में मुझे थोड़ा-सा कुछ डिसक्रिशन महसूस होता है क्योंकि सोशल जस्टिस की मांग है कि समाज में जहां भी विषमतायें हों उन को हटाया जाय, परन्तु हम देखते हैं कि उद्योगपतियों पर या व्यापारियों पर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, शहरी आय पर कोई सीमा नहीं है, यह जो भी सीमा लगाई जा रही है वह देहाती आय पर ही लगाई जा रही है। कहा जा सकता है कि आय पर इस में कोई सीमा नहीं है, यह बात टेक्निकली ठीक हो सकती है लेकिन जो बुद्धिवादी हैं वह समझ सकते हैं कि जब एक तरह से आय का साधन सीमित किया गया है, तब इस तरह से आय अवश्य सीमित होगी। लेकिन अगर इसी बात को माना जाय कि आय पर सीलिंग नहीं की है तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो तिजारत या व्यापार का क्षेत्र है उन की आय को सीमित न करें बल्कि उनके भी साधनों को सीमित कर दें। मिसाल के तौर पर इस बात का कानून बनावें कि उद्योगपति की आमदनी इतने से ज्यादा न हो, वकील की इतने से ज्यादा न हो, डाक्टर की इतने से ज्यादा न हो। एक आदमी के पास एक मकान हो, बीस मकान न हों। इस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता है। प्रदेशीय सरकार कह सकती है कि यह हमारे अधिकार की बात नहीं है। कम से कम उद्योगपति के बारे में तो कह सकती है कि केन्द्रीय सरकार के हाथ की बात है। मान्यवर, मुझको याद है कि जिस समय जमींदारी एबालिशन बिल यहां से पास हुआ था, इसी तरह का एक प्रस्ताव हुआ था--जिसके प्रस्तावक हमारे आज के मुख्य मंत्री थे। उन्होंने प्रस्ताव किया था कि उद्योग-धंधों को नेशनेलाइज किया जाय। मैं यही चाहता हूं कि चाहे हमारे अधिकार में हो या न हो, लेकिन साढ़े छः करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व जब हम करते हैं तो हम यह प्रस्ताव करें कि देहात के अन्दर जो लोग खेती करते हैं उनकी खेती पर सीलिंग करें लेकिन और भी जितने वर्ग हैं उनकी आय के ऊपर भी सीमा निर्धारित करनी चाहिये। श्रीमन, मैंने यह एक सामाजिक न्याय की बात कही।

दूसरी बात, सीलिंग कितनी हो, इसके बारे मे कोई कहता है १० एकड़, कोई ४० एकड़ और कोई २० एकड़। नागपुर के प्रस्ताव की बात कही गयी। मैंने उसको पढ़ा है। उसमें कहीं यह नहीं कहा गया है कि कितनी सीमा होनी चाहिये। एक जनरल डाइरेक्टिव है कांग्रेस पार्टी का कि अधिकतम जोत की सीमा निर्धारित की जाय। वह ४० एकड़ हो सकती है, १० एकड़ हो सकती है, १०० एकड़ हो सकती है। हर प्रदेश में अपनी-अपनी भिन्न सीमा है। श्रीमन, मुझे याद है कि जब मैंने यह कहा कि हमारे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी हजार रुपये से ज्यादा न हो। अगर ज्यादा हो भी तो वह १० परसेन्ट वालेन्टरी कट कराएं। तो मुझे मंत्रि मंडल की तरफ से जवाब मिला कि समाजवाद के माने यह नहीं हैं कि भिखमंगों की तादाद बढ़ाई जाय। उनके भी बीबी-बच्चे हैं। उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। अगर हमारी इस मांग के माने भिखमंगों की तादाद बढ़ाना है तो मैं जानना चाहता हूं कि ४० एकड़ की जो सीलिंग है जिस में सरकारी आंकड़ों के अनुसार अधिक से अधिक आमदनी ४ हजार रुपया साल की होगी यानी ३००-३२५ रुपया महावार तो उनके बीबी-बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों की कैसे और क्या तालीम होगी, वह कैसे आई० ए० एस० और पी० सी० एस० बनेंगे? इंजीनियर और टेक्नीशियन्स बनेंगे? इसका कोई जवाब मेरी समझ में नहीं आता। मुझे यह महसूस होता है कि यह डिस्क्रिमीनेशन है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसके लिये जिम्मेदार हो या न हो। सारे देश के अन्दर आज कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है--एक दूसरी गवर्नमेंट भी

वह भी इत्तफाक से खत्म हो गई। हमारे नेतागणों को वर्किंग कमेटी में बैठने का अवसर मिलता है। उनके हाथ में देश के संचालन की जिम्मेदारी है तो क्या वजह है कि हम केन्द्रीय सरकार पर इस बात का जोर क्यों नहीं डालते कि अगर हम डिस्पैरिटीज को कम करना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह को भी कम करें। इसके अतिरिक्त हमारा जो प्रांविशियल केडर है वह तो हमारे हाथ में है। श्रीमन, आज से दो साल पहले एक सप्लीमेन्टरी बजट के द्वारा उसमें एक स्पेशल केडर क्रिएट किया गया था और कहा गया था कि सभी पी० सी० एस० को आई० ए० एस० में जाने का मौका नहीं मिलता है लिहाजा एक स्पेशल ग्रेड कर रहे हैं जो १,२०० तक होगा। मैंने उसका विरोध किया था। कल मैंने अखबारों में पढ़ा कि पी० सी० एस० में एक क्लास वन केडर खोला जा रहा है जिसका ग्रेड ५००--१,२०० होगा। क्यों किया जा रहा है? कहा जाता है कि उनको इंसेंटिव नहीं होगा काम करने का। हमको बड़ा खयाल होता है इन कर्मचारियों का, और होना भी चाहिये हमको शासन का संचालन करना है। हमको यह तो खयाल है कि पी० सी० एस० अफसरों को इंसेंटिव नहीं होगा लिहाजा एक स्पेशल केडर क्रिएट किया जाय क्योंकि उनके लिये ८५० रु० माहवार की आमदनी उपयुक्त नहीं समझी जा रही है। मगर यहां हम निर्धारित कर रहे हैं ३०० रु० माहवार की आमदनी। जो देहात में रहने वाले हैं उनकी जिन्दगी को हम बांध देना चाहते हैं ३०० रु० माहवार पर और अगर एक जनरेशन और बीत जाय तो ईश्वर मालिक है उनकी क्या आमदनी होगी। तो मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं मैंने एक दफा यह कहा था कि हमारी जनसंख्या इतनी है कि अच्छा है कोई ऐसा कानून बनाया जाय कि एक व्यक्ति एक ही व्यापार करे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक प्रगति की बात है मैं किसी से पीछे नहीं हूं मगर मुझको जो महसूस होता है वह यह कि तमाम क्रान्ति और समाजवाद केवल एक ही वर्ग के लिये एक्सपेरिमेंट करने की चीज है या कुछ और वर्ग भी हैं जिन पर करना चाहिये? मुझे डर है कि हम इन तरीकों से एक शिक्षित बुरुजुआ वर्ग प्रदेश के अन्दर करने जा रहे हैं जो आगे चल कर हमको परेशानी में डाल सकता है। हम सब जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को हमने इतनी फेसिलिटीज दीं मगर उसके बदले में हमको क्या मिला? इतने खर्च के बाद भी अगर हमको एक आनेस्ट, ऐफीशियेंट ब्यूरोक्रेसी मिल गई होती तो भी मुझे सब्र होता।

श्री के० एम० मुंशी ने कहा कि मेरा यह अनुभव हुआ है एक गवर्नर की हैसियत से कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इनएफीशियेंट है, करप्ट है, और उसमें वेस्टेज बढ़ गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जब सीलिंग करें तो ऐसी पिक्चर हमारे दिमाग के अन्दर होना चाहिये ताकि समाज के सभी अंगों का सही-सही संतुलन हो सके तभी यह बात अच्छी होगी। एक बात और कही जा सकती है और वह यह कि जो अरबन इन्कम्स हैं उनके ऊपर बड़े-बड़े टैक्सेज हैं और उसके द्वारा हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर लास्की जो ब्रिटिश समाजवादी दल के नेता रहे हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि "गोडेड टैक्सेशन जो है इससे देश के अन्दर समाजवाद नहीं आ सकता" क्योंकि हम सब जानते हैं एक रुपये में ६ आने टैक्स के अन्दर जाते हैं और १० आने का इवेजन होता है। फिर टैक्स की जो बात है तो जो बड़े-बड़े फार्म्स वाले हैं वह लार्ज लैंड होल्डिंग टैक्स देते हैं। तो कोई दलील मुझे ऐसी नहीं लगी जिसके ऊपर हम यह आधारित करें कि ४० एकड़ ही सीमा होनी चाहिये इससे अधिक नहीं बल्कि कम ही होनी चाहिये।

मंत्री जी ने जब इस विधेयक को पेश किया, मान्यवर, उन्होंने बड़ी होशियारी से कोई बात नहीं बताई। उन्होंने कोई आंकड़े पेश नहीं किये कि हमारे पास कितनी भूमि सरप्लस होगी ४० एकड़ के बाद? सरकारी आंकड़े जो सन् १९५४ के हैं उनमें लिखा हुआ है कि ६ लाख एकड़ होगी। कुछ कहते हैं १५ लाख होगी। मगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार ६ लाख ही होगी। हमें यह नहीं बताया कि कितने भूमिहीन व्यक्ति हैं और उनमें जमीन किस आधार पर बांटी जायगी। मगर जितनी जानकारी मुझको हो सकी उसके आधार पर कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले यह एक बात मैं नहीं

[श्री नवलकिशोर]

समझ पाया कि ४० एकड़ जमीन की आमदनी ४,००० रु० साल होगी ही इसका क्या आधार है। यदि यह कहा जाय कि सरकारी जो विभाग हैं जैसे कृषि विभाग, या जो स्टेट फार्म्स हैं, उनके आंकड़े हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरी यह सूचना है कि केवल मेकेनाइज्ड फार्म्स करीब-करीब ३४,००० एकड़ के हैं। मैं यह चाहता हूं कि १०० रु० एकड़ की आमदनी के हिसाब से ३४ लाख रु० की आमदनी उनकी होनी चाहिये। पर अगर मुझको सरकार के कर्मचारी १७ लाख रुपये की आमदनी ही दे दिया करें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन मैं श्रीमन्, बतलाऊं कि ८ लाख रुपये का उल्टे नुकसान होता है। जो खेती करते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि पैदावार एक-सी नहीं होती। कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है।

दूसरे जो कृषि टैक्सेशन का कायदा है उसमें जितना लगान होता है उसका साढ़े १२ गुनी आमदनी को जोड़ कर फार दी परपजज आफ टक्सेशन मान लते हैं। उसको अगर साढ़े १२ गुना मान लें तो ८ रुपये एकड़ का जो लगान है उसकी आमदनी १०० रुपये फी एकड़ होगी। मेरा विश्वास है कि ८ रुपये फी एकड़ यूनीफार्म लगान की भूमि नहीं हो सकती। इसलिए मैं इस बात पर भी निश्चय नहीं कर सका कि ४० एकड़ से ४ हजार रुपये की आमदनी हो ही जायगी। लेकिन यदि इसको हम मान लें कि इतनी आमदनी हो जायगी तो जैसा मैंने कहा कि चाहे मेरा अपना विश्वास न भी हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप मैक्सिमम इन्कम ३०० रुपये कर दें लेकिन वह कानून सब के लिये लागू होना चाहिये।

हमारे कुछ कम्युनिस्ट भाइयों ने स्पीच देते हुए कहा कि साढ़े १२ एकड़ से २० एकड़ तक की सीलिंग उनके हिसाब से सही होनी चाहिये। उन्होंन एक प्रोफेसर का हवाला दिया कि उनके हिसाब से १५ एकड़ होनी चाहिये। इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर मैं यह उन से जानना चाहता हूं कि उनके दिमाग में नक्शा क्या है? वे इस देश की उच्चतम और निम्नतम आय कितनी रखना चाहते हैं? मेरा विश्वास है कि समाजवाद के मानी यह नहीं है कि हम उच्चतम आय को ही आय निश्चित कर दें बल्कि होना यह चाहिये कि मिनिमम आय निश्चित करें तब समाजवाद हो सकता है। मैं अगर उनके साढ़े १२ एकड़ को मान लूं तो १,२०० रुपये साल की आमदनी हुई। कम्युनिस्ट भाइयों का कहना है कि १०० रुपये से कम और १,००० रुपये से ज्यादा आमदनी न हो तो क्या कम्युनिस्ट भाई यह चाहते हैं कि जो १०० रुपये की मिनिमम आय की बात है तो जो खेती करने वाले लोग हैं उनको भी वे उसी कैटेगरी म रखना चाहते ह, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो उनके हिसाब से ही अगर उनकी मेक्सिमम इन्कम १ हजार रुपये मान लें तो हर इंडस्ट्री में एक हजार से ज्यादा नहीं होना चाहिये। ऐग्रिकल्चर भी एक इंडस्ट्री मान लें तो उनके हिसाब से १२,००० रुपये साल यानी १२० एकड़ की सीलिंग आती है। उन्होंने यह आक्षेप किया कि चोर से कहो चोरी करो और साहू से कहो जागते रहो। मैं कहना नहीं चाहता, यह उद्धरण खुद कम्युनिस्ट भाइयों पर लागू होता है। मैं अपने क्षेत्र में गया। कोआपरेटिव फार्मिंग की बड़ी चर्चा कम्युनिस्ट भाई करते हैं लेकिन देहाती क्षेत्रों में जाकर बराबर वे इस बात का प्रचार करते हैं, झारखंडे राय जी चाहें तो इंक्वायरी करा लें, कि कोआपरेटिव के बाद तुम्हारे खेत छिन जायेंगे। ऐसी बहुत-सी मिसालें हैं लेकिन मैंने उदाहरण के लिये एक ही दी है। आपके साथी ने कहा कि एक तरफ तो कहा जाता है कि ४० एकड़ पर सीलिंग होगी, लोग होशियार हो जायं और जाग जांय, दूसरे तरफ कहते हैं कि इससे भूमिहीनों को एक स्वर्ग बनाने की बात कही गयी है। लिहाजा मुझे इतनी-सी बात कहनी पड़ी।

मैं एक बात और कह दूं। हमारे दिमाग में एक साफ नक्शा यह भी होना चाहिये कि हमारे प्रदेश की एकोनामी की रूपरेखा क्या होगी? हम ऐग्रिकल्चर एकोनामी को कंटीन्यू करना चाहत ह या इसको चेंज करके इंडस्ट्रियल एकोनामी को प्रेरित

करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी संख्या कृषि पर अधिक निर्भर होगी उतनी ही हमारी एकोनामी खराब होगी, उतनी ही मुल्क में गरीबी होगी, कंगाली होगी। और जितनी अधिक जनसंख्या खेती को छोड़ कर दूसरे उद्योगों पर लगेगी उतनी ही हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती जायगी। पिछले १२ साल से जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है। माननीय मंत्री जी इस बात के आंकड़े देने की कृपा करें कि क्या जनसंख्या खेती पर ज्यादा बढ़ी है या खेती से ज्यादा घटी है। अगर खेती पर ज्यादा बढ़ी है तो इसके माने हैं कि हमारे आर्थिक ढांचे का भविष्य अभी बहुत साफ और अच्छा नहीं है और अगर उस पर घटी है तो इसके माने यह हैं कि हमने एक ठोस कदम आगे बढ़ाया है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से हिन्दुस्तान भर के अन्दर ७० फीसदी आदमी खेती पर आधारित हैं। हमारे प्रदेश के अन्दर ७४.२ हैं। इसी तरह सारे हिन्दुस्तान में जो भूपति हैं, जिनके पास अपनी जमीन है उनकी संख्या ४६.९ है और हमारे प्रदेश में ६२.३ परसेंट है। और जो भूमिहीन व्यक्ति हैं हिन्दुस्तान भर में उनकी तादाद है ६.९ परसेंट और उत्तर प्रदेश में ५.२ परसेंट है। इसके साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन ने यह भी कहा है कि जो ७० फीसदी आदमी खेती पर निर्भर हैं थर्ड प्लान के अन्दर उनकी तादाद ५५ फीसदी पर लाना है तब जाकर आर्थिक ढांचे में हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। देखना यह हैं कि जो बात हम कर रहे हैं इससे खेती पर तादाद कम होगी या अधिक? अगर अधिक होगी तो मैं समझता हूं कि प्लानिंग कमीशन की इच्छा पूरी होने वाली नहीं है और अगर कम होगी तो हम वाकई देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने में सफल होंगे।

एक बात और। इस विधेयक में भूमिहीन भाइयों की बात है। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जितनी हमारी लैंड होल्डिंग्स हैं, और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी ताईद करेंगे, उनमें से ५० फीसदी ऐसी हैं जो २ एकड़ से नीचे की हैं और २५ फीसदी २ और ५ एकड़ के बीच में हैं। अगर हम ३ १/८ एकड़ को भी एकोनामिक होल्डिंग मान लें, हालांकि वह है नहीं, तो इसके माने हैं कि करीब-करीब ६२ से ६५ परसेंट तक होल्डिंग्स हमारे प्रदेश में अनएकोनामिक हैं। तो यह भी सोचने की बात है कि जो आलरेडी अनएकोनामिक होल्डिंग्स हैं उनको हम पहले एकोनामिक बनायें या अनएकोनामिक होल्डिंग्स को बढ़ाते चले जायं? यह भी प्रश्न ऐसा है जिस पर आपको विचार करना है।

इक्विटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन की बात कही गयी। मेरी सूचना है कि करीब ३५ लाख भूमिहीन व्यक्ति हमारे प्रदेश के अन्दर हैं और जमीन, जैसा मैंने शुरू में कहा, सन् १९५४ के आंकड़ों के हिसाब से केवल ६ लाख एकड़ मिलेगी। तो मैं नहीं समझ पाया कि इक्विटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन उस जमीन का कैसे होगा।

दूसरी बात जिसका एक साथी ने उधर से इशारा किया कि ९० लाख एकड़ जमीन वैसे १०५ लाख एकड़ तक बतायी जाती है, कल्टीवेबिल वेस्ट लैंड भी हमारे पास है। तो यह सही है कि उसका भी इन्तजाम होना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप उसके लिये इन्तजार करें लेकिन यह एक बड़ा पर्टिनेन्ट क्वेश्चन है कि आज १२ साल के बाद भी हमने उसका क्या इन्तजाम किया। लोगों को कहने का मौका है कि १०५ लाख एकड़ जो लैंड पड़ी है पहले उसका इन्तजाम किया जाय उसके बाद जिनके पास सरप्लस है उसे लीजिये। मगर उसको आप करते नहीं। दफ़ा ५ (२) में लिखा हुआ है कि १५ अगस्त से पहले जिन लोगों ने अपनी भूमि को ट्रांसफर कर दिया है वह इस में नहीं आयेंगी तो मैं समझता हूं कि सिवाय तराई भावर के जो बदकिस्मत लोग हैं, जिन्हें राइट आफ ट्रांसफर नहीं था, हर इन्सान इतना होशियार है कि उसने अपनी जमीन बांट दी होगी और मैं अपने उन साथियों से इत्तफाक नहीं करता हूं कि वह बांटना भी बाँटना तो है ही, चाहे घर वालों में ही सही। बहरहाल, इस विधेयक का यह मन्शा नहीं है तो फिर तनी कम भूमि पर इक्विटेबिल डिस्ट्रिब्यूशन किस तरह से होगा?

[श्री नवलकिशोर]

कहा गया है कि हम कोआपरेटिव फार्म्स बनायेंगे । यह सही बात है और मैं समझता हूं कि सिद्धान्ततः कोई आदमी इससे इन्कार नहीं कर सकता । कोआपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिये । लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग की रूप-रेखा क्या होगी ? श्रीमन्, मैं भी अगर एक भूमिहीन हूं और मुझे यदि जमीन मिले और मैं कोआपरेटिव सोसाइटी बनाऊं तब तो बात ठीक है लेकिन जो हमारे भूमिहीन भाई हैं वह इतने अनपढ़ है कि उनके लिये कोआपरेटिव सोसाइटी बनाना हैजारड्स टास्क है । मैं यह नहीं कहता कि न हो, होना चाहिय । लेकिन जो आज नियम हैं उनको सरकार को बदलना चाहिये क्योंकि मौजूदा ढांचे से यह उम्मीद करना कि किसानों को इससे फायदा होगा इसमें मुझे संदेह है । श्रीमन्, मैं यह जानता हूं कि आजकल जो कोआपरेटिव सुपरवाइजर है वह डायरेक्टर के ऊपर डोमिनेट करता है इसलिये कि वह अनपढ़ है और अपने कर्त्तव्य को समझता नहीं है । इस तरीके से अगर नियमों में परिवर्तन नहीं किया गया और नान आफीशियल एजेन्सीज अच्छी न बन सकीं तो कोआपरेटिव सोसाइटीज के बजाय ब्यूरोक्रेटिक एजेन्सीज हो जायंगी और नौकरशाही का आधिपत्य और भी अधिक स्थापित हो जायगा ? मंत्री जी यह भी बताएं कि जो मेम्बर बनेंगे उनके कैसे अधिकार होंगे ? उनको प्रोपराइटरी राइट्स होंगे या सीरदार या भूमिधर बनेंगे ? उनको अपनी जमीन ट्रांसफर करने या डिस्पोज आफ करने का अधिकार होगा या नहीं ? इनकी भी क्लेरीफिकेशन की आवश्यकता है ।

श्रीमन्, खेती के उत्पादन की बात कही गई । मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे यहां का टेनेन्सी ऐक्ट सब से अग्रगामी है । हमारे जो पहले माल मंत्री थे, उनके विषय में यह कहना कि वह सीलिंग के खिलाफ थे गलत है । सिद्धान्ततः इसे वह पसन्द करते थे । उनका सिर्फ कहना यह था कि इस देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि सीलिंग हो । इससे विशेष फायदा नहीं होगा । यह उनकी राय थी । सही होगी या गलत होगी, इसके लिये मैं नहीं कह सकता । मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार की कड़ी में यह अंतिम कड़ी है कि सीलिंग कर दी जाय । फिर कोई दलील बाकी नहीं रहेगी इसके लिये कि आपके यहां खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी क्यों नहीं होती है ।

मेरा कहना यह है जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने एक आर्टीकिल लिखा था उसमें उन्होंने बताया था कि १९२३ के मुकाबले में भी पैदावार नहीं बढ़ी है । उनके आंकड़ों को मैं सही मान लेता हूं तो श्रीमन् जमींदारी खत्म हो गई और नई भूमि भी तोड़ी गई फिर भी हमारा उत्पादन नहीं बढ़ता है तो वहीं न कहीं कमी जरूर है । इसलिये हमारा फर्ज है कि हम इसकी तलाश करें । केवल यह कहना कि सीलिंग से उत्पादन बढ़ेगा, ठीक नहीं मालूम होता है । लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा उत्पादन बढ़े । लेकिन हमें तजुर्बा हुआ है कि बावजूद हमारे तमाम प्लानिंग के और लाखों करोड़ों रुपयों के खर्च करने के बावजूद भी हमारी सरकार के आँकड़ों के हिसाब से हमारी पर कैपिटा इन्कम घटी है । मैं सरकार का ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं कि वह इस बात को सोचे और देखे । माननीय ढेबर भाई ने इस बात को कई बार कहा है कि पिछले सालों में धनवान अधिक धनवान हुआ है और गरीब और भी ज्यादा गरीब हुआ है । अगर यह सही है तो श्रीमन्, स्पष्ट जितनी सहायता हम पहुंचाना चाहते थे उतनी नहीं पहुंचा सके हैं, न स्तर ही ऊंचा हो सका है, मैं समझता हूं कि सीलिंग से भी उसको उतना फायदा नहीं हो सकेगा । यह भी सोचना है कि पैदावार बढ़ाने के लिए जहां यह अच्छा है कि मेकेनाइज्ड फार्म्स हों--हालांकि मेकेनाइज्ड फार्म्स कहीं-कहीं बहुत अच्छे नहीं हैं, वहां मेरा कहना यह है कि आप को इंटेसिव कल्टीवेशन पर जोर देना पड़ेगा और यदि हम पसन्द करें तो मान्यवर, फैमिली प्लानिंग की ओर भी जोर देना पड़ेगा । उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है । इस संबंध में मैं एक बात यह भी कहूंगा कि और प्रदेशों में भी इस तरह की सीलिंग की हुई बात है--आंध्र, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, आसाम और उड़ीसा में इस तरह के बिल आये है और आयेंगे । सब के यहां भिन्न-भिन्न सीमाएं हैं ।

आसाम में ९३ एकड़ है तो यह भी बात हमारी सरकार के दिमाग में रहनी चाहिए कि कोई एक सीमा संक्रोसेंट हो गयी है यह बात नहीं है। आप नक्शा बना लीजिये किस हद तक आप अधिकतम आमदनी ले जाना चाहते हैं उसके बाद निश्चय कीजिये।

एक दो बातें और रह जाती हैं। एग्जम्प्शन की बात हमारे विधेयक में है कि अमुक अमुक चीजें जो पदा करेंगे उनके लिए एग्जेम्पशंस किये गये हैं। प्लानिंग कमीशन ने भी कुछ एग्जम्शन्स की बात कही ह। उन्होंने कहा ह कि निम्न श्रेणी के फार्म एग्जेम्प्ट किये जा सकत ह।

"Efficiently managed farms which consist of compact blocks, on which heavy investment or permanent structural improvements have been made and whose break up is likely to lead to a fall in production."

उन्होंने इफीशेंटली मैनेज्ड फार्म्स की बात कही है। सरकार कह सकती है कि इफीशेंटली मैनज्ड फार्म्स शब्द बड़ा वेग है। इसकी कैसे डेफिनीशन हो? सही है, कठिनाई है कुछ हद तक। लेकिन अगर हम चाहें तो डिफाइन हो भी सकता है। तराई भावर में जहां ९८ फार्म्स थे सौ एकड़ से ऊपर। लार्ज होल्डिंग टैक्स के बाद अब केवल ४० रह गये हैं। तो जो फार्म्स हमारा टैक्स देने के बाद भी चल रह हैं उनको हम इफीशेंटली मैनेज्ड फार्म्स मान सकते हैं। मेरा यह सुझाव है। प्लानिंग कमीशन ने यही कहा है। राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा और मैसूर ने उनकी यह सिफारिश मान ली है इसलिए कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में ये सहायता देंगे। तो हमारी सरकार इस बात के लिए सोचे वे ऐसे फार्म्स को एग्जेम्ट कर सकती है या नहीं। एक बात कही जा सकती है कि जो हमने नियम बनाया है ऐसा करने से पक्षपात होगा। उसका जवाब यह है कि अगर किसी के बाप दादा से कोई जमीन चली आ रही है तो कह सकते हैं कि उन्होंने एक्सप्लायटेशन किया ह उनकी जमीन ले ली जाय मगर जिन्होंने जमीन को तोड़ा, पैसा लगाया, फिर इस्तेमाल किया उनके साथ यह बात लागू नहीं होती।

इसके बाद तराई भाबर के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। तराई भावर का क्षेत्र वह क्षेत्र रहा है जहां बिलकुल जंगल था और जंगली जानवर रहा करते थे। कई बार कोशिश की गयी उसको बसाने की लेकिन कामयाबी नही हुई। कुछ लोग कुछ दिन तक टिके, बीमार हुए और चले गये। फिर जंगल का जंगल हो गया। १९४७ के बाद जब देश आजाद हुआ तो हमारी प्रदेशीय और केन्द्र की राष्ट्रीय सरकारों ने यह आवाज उठायी कि हमारे देश म अन्न का उत्पादन बढ़ना चाहिए। उसी समय में एक दुर्भाग्य यह हुआ कि हमारे देश का विभाजन हुआ और लाखों और हजारों की तादाद में शरणार्थी भाई पंजाब के क्षेत्र से हमारे प्रदेश में आये। दो चीजें एक साथ हुईं—शरणार्थियों का आना और सरकार का इस बात को प्रोत्साहन देना कि अन्न को हम अधिक उपजायें। शरणार्थी भाइयों ने उस क्षेत्र में जाकर जहां जंगल था, सरकार के प्रोत्साहन पर और सरकार के आश्वासन पर उनमें ट्रैक्टराइजेशन किया, जंगलों को साफ किया, फार्म बनाये। जो कुछ पूंजी थी उसको लगाया और उसके बाद आठ दस सालों में उन्होंने अपने फार्म तैयार किये।

इस बीच में एक यह भी दिक्कत थी कि ज्यादातर वहां पैदावार गन्ने की होती है। गन्ने के लिए चूंकि वहां कोई फैक्ट्री नहीं थी उनको दूर-दूर आठ-आठ, दस-दस, बारह आने मन खर्च करके अपना गन्ना ढोकर ले जाना पड़ता था। आज पहली बार बाजपुर में फैक्ट्री बनी तो उनको एक आशा हुई कि उनकी स्थिति संभल जायगी। ऐसे समय में यह विधयक आया जिससे उनको परेशानी होना स्वाभाविक है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कह सकता हूं कि दफा २२ (२) में उन्होंने इस बात का कुछ प्राविजन किया है। इस तरह के जो फार्म्स हैं, फार्म होल्डर्स हैं उनके लिए कुछ सुविधायें देने की बात उसके अन्दर सोची जा सकती है। मैं यह नहीं कहता कि उनके फार्म्स को आप मत लीजिए। लेकिन जिस समय उस सेक्शन के अधीन सरकार नियम बनाये उस समय इस बात का जरूर ध्यान

[श्री नवलकिशोर]

रखे कि वह क्या सुविधायें उन लोगों को दे सकती हैं जिससे कि उनके फार्म्स टूटें भी तो इतनी आहिस्ता-आहिस्ता टूटें कि जो कुछ भी उन्होंने पूंजी लगायी है उसका कुछ हिस्सा वापस आ जाय। दूसरी बात यह भी सोचने की है कि जो आदमी एक बार डिस्प्लेस हो गया, पंजाब से हमारे यहां डिस्प्लेस होकर आया तो एक दफा फिर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा।

तीसरी बात यह कि आपने एक्सेप्शन किया है धारा २ में कि यह विधेयक कुमायूं डिवीजन में लागू नहीं होगा सिर्फ काशीपुर और तराई भावर क्षेत्र को छोड़कर जहां कि जमींदारी नहीं है। अच्छा होता कि अब तक कुमायूं जमींदारी उन्मूलन बिल भी पास हो गया होता मगर नहीं हुआ। खैर, सोचने की बात आज यह है कि अब जब आपने कुमायूं डिवीजन को इससे अलग रखा है, एक्सेप्शन में रखा है तो कोई वजह नहीं दिखाई देती कि काशीपुर और तराई भावर जो उसका ही एक हिस्सा है, फिर जो सुविधाएं आप उनको देते हैं वह सुविधा इसको न दें जब कि वहां के फार्मर्स सरकार के काश्तकार हैं, वे टेनेन्ट्स हैं और दूसरी ओर वे जमींदार हैं तो जमींदार को तो प्रोटेक्शन मिल रहा ह और जो टेनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं केवल माननीय मंत्री जी का ध्यान जो एक सोशल जस्टिस की बात है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। यह बात उनके बहुत कुछ सोचने की है। इस संबंध में श्रीमन्, और भी कुछ बातें हैं। आज्ञा हो तो मैं और आगे चलूं नहीं तो कल श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब कल आप कहेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३१ अगस्त, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

१ अप्रैल, १९५९ से १५ जुलाई, १९५९ तक सर्वश्री वी० सी० एम० केमिकल्स द्वारा भेजे गये सुपरफास्फेट की सूची

संख्या	जिले का नाम	भेजी गई मात्रा (टनों में)
१	मेरठ	११२
२	आगरा	२४०
३	मुजफ्फरनगर	१४०
४	बिजनौर	३८०
५	खीरी	१००
६	मथुरा	२८०
७	मैनपुर	४२०
८	उन्नाव	८०
९	बरेली	१२०
१०	बुलन्दशहर	३५५
११	इटावा	१४०
१२	कानपुर	२०
१३	रामपुर	६०
१४	देहरादून	४०
१५	सहारनपुर	२४०
१६	एटा	८०
१७	बदायूं	१००
१८	मुरादाबाद	२२०
१९	शाहजहांपुर	६६
२०	पीलीभीत	४०
२१	सीतापुर	८०
२२	गोरखपुर	३००
२३	फर्रुखाबाद	१८०
२४	झांसी	२४०
२५	बस्ती	१६०
२६	बांदा	१२०
२७	आजमगढ़	४०
२८	बहराइच	१००
२९	देवरिया	१००
३०	बलिया	२००
३१	गाजीपुर	२०
३२	जौनपुर	२४०
३३	मिर्जापुर	६०
	योग	५,०७३

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

सूची

१—गौरा	.. .. ..	२—परती बाजार
३—घुघुलिया	.. .. ..	४—रेहरा बाजार
५—ससनी मजगावां	.. .. ..	६—महुआ
७—मुगलहा	.. .. ..	८—तेतरी बुजुर्ग
९—सेखुई	.. .. ..	१०—परसा खुर्द
११—परसा बुजुर्ग	.. .. ..	१२—तेतर खुर्द
१३—मिटिया	.. .. ..	१४—मधुरी
१५—नेटवा वगहिया	.. .. ..	१६—अजगरा
१७—फुलवरिया	.. .. ..	१८—मदनपुर
१९—कटका	.. .. ..	२०—गेगंटा

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ट २४ पर)

बाराबंकी जिले में देहाती तथा शहरी क्षेत्रों की तहसीलवार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की स्थिति

(१) तहसील नवाब गंज	दुकानों की स्थिति	संख्या	टिप्पणी
(अ) शहरी क्षेत्र			
	१--बाराबंकी शहर	.. ७	
	२--बांकी टाउन एरिया	.. १	
	३--सतरिख टा० ए०	.. १	
	४--जैदपुर टा० ए०	.. २	
	५--देवा टा० ए०	.. १	
(ब) देहाती क्षेत्र	६--मसौली	.. १	
२--तहसील फतेहपुर-- ..	१--फतेहपुर टा० ए०	. २	
(अ०) शहरी क्षेत्र	२--राम नगर टा० ए०	.. २	
(ब) देहाती क्षेत्र ..	३--बदो सराय	.. १	
३--तहसील रामसनेही घाट--	१--रुदौली नो० ए०	.. ३	
(अ) शहरी क्षेत्र ..	२--दरियाबाद टा० ए०	.. १	
	३--टिकैत नगर टा० ए०	.. १	
(ब) देहाती क्षेत्र ..	४--तहसील हेडक्वार्टर रामसनेही	.. १	
४--तहसील हैदरगढ़--	१--शून्य	.. १	
(अ) शहरी क्षेत्र ..	तहसील हेडक्वार्टर हैदरगढ़	.. १	
(ब) देहाती क्षेत्र		१	

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

क्रम-संख्या	तालाब का नाम	क्षेत्रफल	ग्राम	तहसील
	जिला गोरखपुर			
१	करथारी तालाब ..	८५.०७	करथारी ..	सदर
२	सिकटौर ..	२३०.०१	सिकटौर ..	,,
३	मनीराम ..	७.९२	मनीराम ..	,,
४	जहीदा ..	१३.६८	सपटहिया ..	,,
५	दोलतपुर ..	२४.३९	दोलतपुर ..	,,
६	बैजनाथपुर ..	५१.९०	बैजनाथपुर ..	,,
७	मनझरिया ..	७.१४	मनझरिया ..	,,
८	जगल बहादुर अली ..	२४.०७	जगल बहादुर अली ..	,,
९	कोलूहा (महेसरा) ..	३७.१८	कोलहा ..	,,
१०	जगत नन्द लाल सिंह ..	६२.५१	नन्द लाल सिंह ..	,,
११	जगत रसूलपुर ..	१३.६५	रसूलपुर ..	,,
१२	कोहरभार ..	२८.०१	कोहारभार ..	,,
१३	गोलहिया डोहर ..	२४.५८	गोलहिया ..	,,
१४	बरनाटीकर ..	८.६	बरनाटीकर ..	,,
१५	नदोर लाल ..	५१५.२७	नदोर ..	,,
१६	भिलौरा ..	१६.१६	भिलौरा खुर्द ..	,,
१७	सोनौरा खुर्दनाला ..	१७.८३	सोनौरा खुर्द ..	फरेन्दा
१८	कमनहता ताल ..	२०६.२१	कमनहा ..	,,
१९	सरवा ताल ..	६८१.५०	सरवा व मुसावार वगैरा	,,
२०	झिउरा	४२.८१	झिउरा ..	वांसगांव
२१	कोड़ी राम ..	०.२	कोड़ी राम ..	,,
२२	बहीदाबाद ..	०.५	कार्यालय के निकट ..	सदर
२३	बलाकीपुर नं० १ ..	०.६	बलाकीपुर ..	सदर
२४	बलाकीपुर नं० २ ..	०.५	,, ,, ..	,,
२५	पजावा नं० १ ..	१.३	पजावा ..	,,
२६	पजावा नं० २ ..	१.०	,, ,,	,,
२७	सुरज कुन्ड ..	०.५	सूरज कुन्ड ..	,,
२८	बिलौरा नर्सरी न० १ ..	०.२५	बिलौरा ..	,,
२९	बिलौरा नर्सरी न० २ ..	०.२५	,, ,, ..	,,
	बस्ती जिले के तालाब			
१	बंसी डोहर ..	१३.९६	गरगोजवा ..	बांसी
२	भगनहया ताल मोहान के साथ ..	५५.०	मझावन कलां ..	बांसी
३	घघर परासी नाला ..	१४०.१५	रेहरा व वस्था आदि	बांसी व डुंमरिया गंज
४	पथरा ताल ..	१७०.३९	पधारा वगैरहा ..	बांसी

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

जिलेवार चीनी का माहवारी कोटा

जिले का नाम		माहवारी कोटा	जिले का नाम		माहवारी कोटा
१—कानपुर	..	१४७५	२७—फतेहपुर	..	२६०
२—इलाहाबाद	..	१०२५	२८—जालौन	..	२२५
३—झांसी	..	४५०	२९—हमीरपुर	..	२४०
४—लखनऊ	..	१०७५	३०—बांदा	..	२७०
५—बरेली	..	५५०	३१—गाजीपुर	..	३८०
६—बाराणसी	..	१०७५	३२—बलिया	..	३६०
७—गोरखपुर	..	७०५	३३—देवरिया	..	५८५
८—मिर्जापुर	..	३७०	३४—बस्ती	..	६०५
९—आगरा	..	१०७५	३५—आजमगढ़	..	५३५
१०—सहारनपुर	..	६८०	३६—नैनीताल	..	१६५
११—मेरठ	..	११४०	३७—अल्मोड़ा	..	२५५
१२—देहरादून	..	३२०	३८—गढ़वाल	..	२५५
१३—अलीगढ़	..	६३०	३९—टेहरी गढ़वाल	..	१४५
१४—मथुरा	..	३६०	४०—उन्नाव	..	२७०
१५—मुरादाबाद	..	८२५	४१—राय बरेली	..	२९०
१६—रामपुर	..	३२०	४२—हरदोई	..	४३५
१७—शाहजहांपुर	..	४१०	४३—खीरी	.	२९०
१८—मुजफ्फरनगर	..	५३५	४४—गोंडा	..	५१०
१९—बदायूं	..	४५५	४५—बहराइच	..	३८०
२०—फर्रुखाबाद	..	४२५	४६—सुल्तानपुर	..	३१०
२१—इटावा	..	३४०	४७—प्रतापगढ़	.	२७०
२२—जौनपुर	..	४२५	४८—बाराबंकी	..	४१५
२३—सीतापुर	..	४३५	४९—बुलन्दशहर	..	६३०
२४—फैजाबाद	..	४६५	५०—मैनपुरी	..	२७०
२५—बिजनौर	..	४७५	५१—एटा	..	४१५
२६—पीलीभीत	..	१९५			
			टोटल्स	..	२५,०००

पी० एस० ग० पी०—ए० पी०—१४८ एल० ए०—१९५९—८४५ ।